


सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2015-16



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2015-16

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xvii-xiii
विनियोग लेखे-	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1-19
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	20-31
3. भवन निर्माण विभाग	32-38
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	39-41
5. राज्यपाल सचिवालय	42-43
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	44-45
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	46
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	47-48
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	49-53
10. ऊर्जा विभाग	54-58
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	59-60
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	61-65
13. ब्याज संदाय	66-70
14. ऋण की वापसी/अदायगी	71-74
15. पेंशन	75-77
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)	78
17. वाणिज्यकर विभाग	79-81
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	82-90
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	91-98
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	99-125
21. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	126-134
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	135-145
23. उद्योग विभाग	146-158
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	159-162
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)	163
26. श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	164-186
27. विधि विभाग	187-189
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	190
29. खनन एवं भू-तत्व विभाग	191-193

30.	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	194-199
31.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)	200
32.	विधान सभा	201-202
33.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	203-204
34.	झारखण्ड लोक सेवा आयोग	205
35.	योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	206-211
36.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	212-219
37.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	220
38.	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	221-222
39.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	223-229
40.	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	230-236
41.	पथ निर्माण विभाग	237-244
42.	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	245-257
43.	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	258-263
44.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	264-265
45.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	266-271
46.	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	272-275
47.	परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	276-281
48.	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	282-301
49.	जल संसाधन विभाग	302-313
50.	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	314-322
51.	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	323-338
52.	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	339-347
53.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	348-357
54.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	358-369
55.	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	370-377
56.	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	378-386
57.	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	387-388
58.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	389-398
59.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	399-414
60.	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	415-441
	परिशिष्ट	442

प्रस्तावना

वर्ष 2015-16 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)				
दत्तमत	13,44,74,90	54,73,96	5,94,27,66	43,12,26
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)				
दत्तमत	1,84,27,69	36,76,00	1,46,61,48	11,88,65
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,33,80,83	4,16,59,00	98,13,23	3,70,83,69
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)				
दत्तमत	37,87,66	00	29,76,95	00
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	8,17,27	00	6,55,20	00
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग				
दत्तमत	48,51,18	00	40,76,86	00
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)				
दत्तमत	17,66,34	00	16,41,10	00
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)				
दत्तमत	29,48,77	1,20,00,00	28,81,37	1,00,00,00
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)				
दत्तमत	1,33,69,93	13,50,00	1,11,28,17	13,31,78
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	23,00,38,40	79,10,90,00	22,37,12,90	73,75,41,79

सारांश			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

7,50,47,24	11,61,70	00	00
37,66,21	24,87,35	00	00
35,67,60	45,75,31	00	00
8,10,71	00	00	00
1,62,07	00	00	00
7,74,32	00	00	00
1,25,24	00	00	00
67,40	20,00,00	00	00
22,41,76	18,22	00	00
63,25,50	5,35,48,21	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत	32,20,57	10,00,00	19,57,13	10,00,00
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) दत्तमत	47,19,22	61,40,00	36,39,20	49,64,30
13. ब्याज संदाय प्रभारित	34,36,95,04	00	33,20,07,98	00
14. ऋण की वापसी/अदायगी प्रभारित	20,00,00	22,74,02,83	00	22,45,93,40
15. पेंशन दत्तमत	45,85,14,00	00	39,90,01,39	00
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग) दत्तमत	2,38,89	00	2,03,30	00
17. वाणिज्यकर विभाग दत्तमत	68,55,31	10,37,30	50,10,51	5,91,58
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग दत्तमत	12,84,43,01	20,30,74	7,78,79,62	20,22,57
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दत्तमत	5,04,91,16	00	4,20,83,89	00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दत्तमत	27,65,89,70	5,37,95,17	18,18,63,17	3,39,86,98
21. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) दत्तमत	10,59,98,71	00	7,76,28,99	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

12,63,44	00	00	00
10,80,02	11,75,70	00	00
1,16,87,06	00	00	00
20,00,00	28,09,43	00	00
5,95,12,61	00	00	00
35,59	00	00	00
18,44,80	4,45,72	00	00
5,05,63,39	8,17	00	00
84,07,27	00	00	00
9,47,26,53	1,98,08,19	00	00
2,83,69,72	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)				
दत्तमत	32,79,99,89	3,74,59,07	30,81,07,93	2,10,80,94
23. उद्योग विभाग				
दत्तमत	4,33,82,55	1,00,00	3,01,35,49	1,00,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग				
दत्तमत	1,18,51,38	65,00	98,88,74	55,00
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)				
दत्तमत	1,99,45	00	1,18,54	00
26. श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग				
दत्तमत	14,92,12,54	75,18,00	4,03,83,50	12,80,60
27. विधि विभाग				
दत्तमत	2,67,19,80	00	2,49,20,78	00
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय				
प्रभारित	63,34,91	00	53,41,29	00
29. खनन एवं भू-तत्व विभाग				
दत्तमत	37,12,65	6,00,00	24,65,96	00
30. कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	2,35,15	1,08,05,00	1,52,86	67,74,44
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	95,48	00	61,00	00
32. विधान सभा				
दत्तमत	63,28,07	00	58,24,71	00
प्रभारित	32,01	00	29,11	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

1,98,91,96	1,63,78,13	00	00
1,32,47,06	00	00	00
19,62,64	10,00	00	00
80,91	00	00	00
10,88,29,04	62,37,40	00	00
17,99,02	00	00	00
9,93,62	00	00	00
12,46,69	6,00,00	00	00
82,29	40,30,56	00	00
34,48	00	00	00
5,03,36	00	00	00
2,90	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	25,07,16	2,00,00	21,36,86	2,00,00
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	6,95,20	00	6,07,78	00
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)				
दत्तमत	11,46,57,95	2,00,00	4,55,44,17	2,00,00
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग				
दत्तमत	13,52,58,17	3,18,09,00	7,99,01,12	1,93,07,24
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)				
दत्तमत	18,00,71	00	17,12,57	00
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)				
दत्तमत	24,42,93	00	17,36,03	00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)				
दत्तमत	11,48,80,85	00	10,36,16,31	00
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	4,36,94,04	24,70,84	3,24,52,87	22,34,16
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	2,88,45,05	33,88,20,00	2,58,90,33	33,73,83,36
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)				
दत्तमत	37,57,32,17	2,29,00,00	24,76,21,23	2,27,12,35

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

3,70,30	00	00	00
87,42	00	00	00
6,91,13,78	00	00	00
5,53,57,05	1,25,01,76	00	00
88,14	00	00	00
7,06,90	00	00	00
1,12,64,54	00	00	00
1,12,41,17	2,36,68	00	00
29,54,72	14,36,64	00	00
12,81,10,94	1,87,65	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
43. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) दत्तमत	1,03,61,00	1,32,30,00	78,71,23	84,02,71
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दत्तमत	7,61,27	00	6,04,06	00
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग दत्तमत	1,98,34,11	34,00,00	1,08,76,41	90
46. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) दत्तमत	38,93,48	64,60,00	34,09,59	61,42,10
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) दत्तमत	1,07,35,61	9,15,00	98,11,54	2,35,97
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) दत्तमत	24,44,56,79	19,93,11	15,56,12,81	19,16,34
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	3,62,75,87	16,53,99,00	2,57,64,77	11,09,37,13
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) दत्तमत	98,21,31	5,67,95,61	69,27,32	47,56,95
51. कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग) दत्तमत	13,35,02,53	2,22,90,38	11,72,03,55	1,66,63,69
52. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) दत्तमत	84,79,71	14,48,00	58,11,74	12,97,41

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

24,89,77	48,27,29	00	00
1,57,21	00	00	00
89,57,70	33,99,10	00	00
4,83,89	3,17,90	00	00
9,24,07	6,79,03	00	00
8,88,43,98	76,77	00	00
1,05,11,10	5,44,61,87	00	00
28,93,99	5,20,38,66	00	00
1,62,98,98	56,26,69	00	00
26,67,97	1,50,59	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)				
दत्तमत	46,17,10	39,67,20	34,50,92	25,30,87
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)				
दत्तमत	2,38,93,43	12,57,00	1,80,01,08	9,63,73
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	10,13,32,23	20,63,40,00	9,64,61,74	15,24,41,82
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)				
दत्तमत	23,29,32,41	4,00,00	8,22,95,94	3,42,45
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)				
दत्तमत	27,21,85	23,50,00	22,17,37	23,50,00
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	14,35,84,37	6,55,00	10,52,62,65	90,06
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	64,80,12,74	15,00,00	44,71,64,47	5,47,34
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग				
दत्तमत	29,75,50,15	2,54,00,00	18,68,37,41	88,80,32
कुल दत्तमत	4,78,04,38,22	1,88,59,99,38	3,36,78,42,52	1,56,38,51,48
कुल प्रभारित	35,35,74,43	22,74,02,83	33,86,41,36	22,45,93,40
कुल जोड़	5,13,40,12,65	2,11,34,02,21	3,70,64,83,88	1,78,84,44,88

सारांश - क्रमशः				
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय				
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)		
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		
11,66,18	14,36,33	00		00
58,92,35	2,93,27	00		00
48,70,49	5,38,98,18	00		00
15,06,36,47	57,55	00		00
5,04,48	00	00		00
3,83,21,72	5,64,94	00		00
20,08,48,27	9,52,66	00		00
11,07,12,74	1,65,19,68	00		00
1,41,25,95,70	32,21,47,90	00		00
1,49,33,07	28,09,43	00		00
1,42,75,28,77	32,49,57,33	00		00

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	3,36,78,42,52	1,56,38,51,48	33,86,41,36	22,45,93,40
घटाएँ - कुल वसूलियाँ	5,12,00,87	00	00	00
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दिखाया गया है।	3,31,66,41,65	1,56,38,51,48	33,86,41,36	22,45,93,40

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक:
नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**अनुदान संख्या - 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष			
2401	फसल कृषि-कर्म		
2402	मृदा तथा जल संरक्षण		
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय		
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	8,96,68,90}	13,44,74,90	5,94,27,66	(-)7,50,47,24
अनुपूरक	4,48,06,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,23,48,77
(अगस्त 2015	: 1,52,38,82			
1 दिसम्बर 2015	: 11,35,05			
फरवरी 2016	: 9,45,00			
31 मार्च 2016	: 4,50,29,90)			

पूँजी :

मूल	54,00,00}	54,73,96	43,12,26	(-)11,61,70
अनुपूरक	73,96}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,61,70
(14 अगस्त 2015	: 73,95			
31 मार्च 2016	: 10,87,75)			

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (i) ₹ 7,50,47.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 3,56,60.59 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 78,12.21 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 13,33.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,48,06.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,23,48.77 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,50,47.24 लाख) से ₹ 1,26,98.47 लाख कम था।
 (iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 102 खाद्यान्न फसलें 04 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम-कृषकों को धान एवं अन्य बीजों की उपलब्धता (योजना)			
	मूल 20,00.00}	9,63.12	9,41.03	(-)22.09
	पुनर्वि० (-)10,36.88}			

₹ 10,36.88 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि निदेशालय से ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

2.	ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20,00.00}	8,22.15	8,22.15	0.00
	पुनर्वि० (-)11,77.85}			
3.	ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)			
	मूल 4,00.00}	7,76.41	7,76.41	0.00
	अनुपूरक 16,05.00}			
	पुनर्वि० (-)12,28.59}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 11,77.85 लाख एवं ₹ 12,28.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

4.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 8,67.00}	5,91.17	5,91.17	0.00
	पुनर्वि० (-)2,75.83}			

₹ 2,75.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (योजना)			
	अनुपूरक 7,00.00}	7,00.00	5,02.48	(-)1,97.52
₹ 1,97.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	103 बीज			
6.	01 बीज संवर्धन फार्म (गैर-योजना)			
	मूल 4,04.41}	3,70.79	3,70.79	0.00
	अनुपूरक 22.13}			
	पुनर्वि० (-)55.75}			
₹ 55.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	104 कृषि फार्म			
7.	ए 2 बीज उत्पादन (योजना)			
	मूल 1,00.00}	21.01	21.01	0.00
	पुनर्वि० (-)78.99}			
₹ 78.99 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
	107 वनस्पति संरक्षण			
8.	09 पौधा संरक्षण योजना (गैर-योजना)			
	मूल 7,80.95}	6,49.33	6,49.33	0.00
	अनुपूरक 0.03}			
	पुनर्वि० (-)1,31.65}			
	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
9.	01 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 48,73.78}	43,39.65	43,39.65	0.00
	अनुपूरक 22.10}			
	पुनर्वि० (-)5,56.23}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 22,50.00}	6,70.44	6,70.44	0.00
	पुनर्वि० (-)15,79.56}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,31.65 लाख, ₹ 5,56.23 लाख एवं ₹ 15,79.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

11.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 3,50.00}	4,29.53	4,29.53	0.00
	अनुपूरक 5,50.00}			
	पुनर्वि० (-)4,70.47}			

₹ 4,70.47 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,00.00 लाख की बचत राज्य डीजल सब्सिडी स्कीम को निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,70.47 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

12.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10,50.00}	4,38.50	4,38.50	0.00
	पुनर्वि० (-)6,11.50}			

₹ 6,11.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

13.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (योजना)			
	मूल 1,50.00}	3,67.14	3,67.14	0.00
	अनुपूरक 3,60.00}			
	पुनर्वि० (-)1,42.86}			

₹ 1,42.86 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	114 04 तिलहन विकास तेलहन विकास (के०प्रा०यो०) मूल 82.00} पुनर्वि० (-)33.30}	48.70	48.70	0.00
₹ 33.30 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11.40 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 21.90 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
15.	97 समेकित तिलहन विकास योजना (योजना) मूल 80.00} पुनर्वि० (-)37.92}	42.08	42.08	0.00
₹ 37.92 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
16.	ए ए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एवं ऑयल पाम (योजना) मूल 27.00} अनुपूरक 13.00} पुनर्वि० (-)32.00}	8.00	8.00	0.00
17.	119 01 बागवानी तथा वनस्पति फसलें उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (गैर-योजना) मूल 4,56.40} अनुपूरक 2.00} पुनर्वि० (-)1,91.07}	2,67.33	2,67.08	(-)0.25
18.	05 सब्जी विकास योजना (रोगमुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (गैर-योजना) मूल 3,52.52} अनुपूरक 0.10} पुनर्वि० (-)2,21.10}	1,31.52	1,31.42	(-)0.10

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 32.00 लाख, ₹ 1,91.07 लाख एवं ₹ 2,21.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	789 02	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)		
	मूल 10,00.00}	3,62.17	3,62.17	0.00
	पुनर्वि० (-)6,37.83}			
₹ 6,37.83 लाख की प्रत्याशित में से, ₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4,37.83 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
20.	28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के०प्रा०यो०)		
	मूल 7,50.00}	3,09.43	3,09.43	0.00
	पुनर्वि० (-)4,40.57}			
₹ 4,40.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
21.	28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (योजना)		
	मूल 1,50.00}	1,96.80	1,96.80	0.00
	अनुपूरक 1,50.00}			
	पुनर्वि० (-)1,03.20}			
₹ 1,03.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
22.	99	नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (के०प्रा०यो०)		
	मूल 3,75.00}	1,22.06	1,22.06	0.00
	पुनर्वि० (-)2,52.94}			

₹ 2,52.94 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,73.90 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 79.04 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (योजना)			
	मूल 50.00}	1,35.79	1,35.79	0.00
	अनुपूरक 1,26.00}			
	पुनर्वि० (-)40.21}			

₹ 40.21 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

24.	ए ओ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,00.00}	2,34.08	2,34.08	0.00
	पुनर्वि० (-)2,65.92}			
25.	ए ओ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)			
	मूल 1,00.00}	2,65.93	2,65.93	0.00
	अनुपूरक 5,68.00}			
	पुनर्वि० (-)4,02.07}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,65.92 लाख एवं ₹ 4,02.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

26.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,25.00}	2,78.88	2,78.88	0.00
	पुनर्वि० (-)3,46.12}			

₹ 3,46.12 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 39.80 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 3,06.32 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

27.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (योजना)			
	अनुपूरक 2,50.00}	2,50.00	1,54.36	(-)95.64

₹ 95.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
28.	ए 4 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)			
	मूल 45.00}	14.93	14.93	0.00
	पुनर्वि० (-)30.07}			

₹ 30.07 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

29.	ए ए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 41.00}	5.89	5.89	0.00
	पुनर्वि० (-)35.11}			

₹ 35.11 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4.80 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 30.31 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के सूचित नहीं किया गया है।

30.	ए एफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यांश (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 18,65.00}	16,20.80	6,34.48	(-)9,86.32
	पुनर्वि० (-)2,44.20}			

31.	ए एफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यांश (योजना)			
	अनुपूरक 12,05.00}	8,71.00	6,06.98	(-)2,64.02
	पुनर्वि० (-)3,34.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,44.20 लाख एवं ₹ 3,34.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
32.	02 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 20,00.00}	5,77.92	5,77.92	0.00
	पुनर्वि० (-)14,22.08}			

₹ 14,22.08 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,65.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 10,57.08 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
33.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 45,00.00}	20,80.41	20,80.41	0.00
	पुनर्वि० (-)24,19.59}			

₹ 24,19,59 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 18,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 6,19.59 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

34.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 8,00.00}	10,73.17	10,73.17	0.00
	अनुपूरक 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)7,26.83}			

₹ 7,26.83 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,50.00 लाख की बचत राज्य डीजल सब्सिडी स्कीम के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी। ₹ 3,76.83 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

35.	34 गन्ना के विकास योजना (योजना)			
	मूल 70.00}	26.11	26.11	0.00
	पुनर्वि० (-)43.89}			

₹ 43.89 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

36.	96 विभिन्न कृषि उपकरणों सिंचाई पम्प सेट सहित के सौर उर्जा का उपयोग (योजना)			
	मूल 8,50.00}	8,50.00	6,80.15	(-)1,69.85

₹ 1,69.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

37.	97 समेकित तिलहन विकास योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	30.19	30.19	0.00
	पुनर्वि० (-)69.81}			

₹ 69.81 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
38.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सेंशन एवं तकनीकी (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,00.00}	7,57.84	7,57.84	0.00
	पुनर्वि० (-)17,42.16}			

₹ 17,42.16 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 10,43.40 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 6,98.76 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

39.	99 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सेंशन एवं तकनीकी (योजना)			
	मूल 4,00.00}	5,44.94	5,42.31	(-)2.63
	अनुपूरक 4,50.00}			
	पुनर्वि० (-)3,05.06}			

₹ 3,05.06 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

40.	ए ओ नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,00.00}	13,89.67	13,83.75	(-)5.92
	पुनर्वि० (-)11,10.33}			

₹ 11,10.33 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,11.20 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 7,99.13 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

41.	ए ओ नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर (योजना)			
	मूल 7,00.00}	16,87.40	16,87.40	0.00
	अनुपूरक 33,11.00}			
	पुनर्वि० (-)23,23.60}			

₹ 23,23.60 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
42.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 24,78.00}	17,23.71	17,23.71	0.00
	पुनर्वि० (-)7,54.29}			
	₹ 7,54.29 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,38.80 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 5,15.49 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
43.	ए 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (योजना)			
	अनुपूरक 14,31.00}	14,31.00	12,59.39	(-)1,71.61
	₹ 1,71.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
44.	ए 2 तिलहन विकास योजना (योजना)			
	मूल 1,15.00}	61.18	61.18	0.00
	पुनर्वि० (-)53.82}			
	₹ 53.82 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
45.	ए 4 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)			
	मूल 90.00}	55.82	55.82	0.00
	पुनर्वि० (-)34.18}			
	₹ 34.18 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
46.	ए ए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 82.00}	25.73	22.17	(-)3.56
	पुनर्वि० (-)56.27}			
	₹ 56.27 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 22.80 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 33.47 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
47.	ए ए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एंड ऑयल पाम (योजना)			
	मूल 27.00}	20.42	20.42	0.00
	अनुपूरक 26.00}			
	पुनर्वि० (-)32.58}			

₹ 32.58 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

48.	ए एफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यांश (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,16,30.00}	1,01,64.80	45,02.04	(-)56,62.76
	पुनर्वि० (-)14,65.20}			

49.	ए एफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यांश (योजना)			
	अनुपूरक 72,30.00}	36,46.00	30,22.42	(-)6,23.58
	पुनर्वि० (-)35,84.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 71,27.96 लाख एवं ₹ 42,07.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

50.	800 अन्य व्यय 34 गन्ना के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 55.00}	13.40	13.40	0.00
	पुनर्वि० (-)41.60}			

₹ 41.60 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

51.	90 कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)			
	मूल 3,06.00}	3,04.29	1,93.62	(-)1,10.67
	पुनर्वि० (-)1.71}			

₹ 1,12.38 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
52.	ए एफ	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का केन्द्रांश (के०प्रा०यो०)		
	मूल	55,95.00}	48.62.40	29,05.71
	पुनर्वि०	(-)7,32.60}		(-)19,56.69
53.	ए एफ	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यांश (योजना)		
	अनुपूरक	36,15.00}	18,42.00	17,58.65
	पुनर्वि०	(-)17,73.00}		(-)83.35
	2402	मृदा तथा जल संरक्षण		
	101	मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण		
54.	01	सर्वे स्थापना (गैर-योजना)		
	मूल	2,84.87}	1,58.15	1,58.00
	पुनर्वि०	(-)1,26.72}		(-)0.15
	102	मृदा संरक्षण		
55.	04	क्षेत्रीय स्थापना (गैर-योजना)		
	मूल	15,50.43}	9,88.61	9,88.59
	पुनर्वि०	(-)5,61.82}		(-)0.02
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 7,32.60 लाख, ₹ 17,73.00 लाख, ₹ 1,26.72 लाख एवं ₹ 5,61.82 लाख की प्रत्याशित बचत एवं क्रम संख्या 52 एवं 53 के अन्तर्गत ₹ 19,56.69 लाख एवं ₹ 83.35 लाख क्रमशः की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम		
	01	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण		
	102	श्रेणीवद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ		
56.	11	कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)		
	मूल	90.00}	4.86	4.86
	पुनर्वि०	(-)85.14}		0.00

₹ 85.14 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
57.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 11 कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,80.00}	56.54	56.54	0.00
	पुनर्वि० (-)1,23.46}			

₹ 1,23.46 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

58.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 07 कृषि विभाग (ईख विभाग सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 5,60.31}	4,29.25	4,29.34	+0.09
	अनुपूरक 5.00}			
	पुनर्वि० (-)1,36.06}			

₹ 1,36.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

59.	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 106 भार और माप का विनिमय 07 माप एवं तौल का मानकीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 2,80.90}	92.82	92.82	0.00
	पुनर्वि० (-)1,88.08}			

₹ 1,88.08 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग का पुनर्गठन होने कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण ए जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 45.00}	45.00	0.00	(-)45.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	ए आर सुखा के लिए आपातकालीन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 3,00.00}	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 45.00 लाख एवं ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 67 मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
₹ 2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
4.	91 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 24,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)24,00.00}			
भारत सरकार द्वारा आर०के०वी०वाई० योजना के लिए निधि पद्धति में बदलाव किये जाने के कारण ₹ 24,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
5.	ए आर सुखा के लिए आपातकालीन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 राज्य बीज निगम को अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड के नाम का बदलाव किये जाने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	67 मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
₹ 6,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
8.	91 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 1,88,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०(-)1,88,00,00}			
भारत सरकार द्वारा आर०के०वी०वाई० योजना के लिए निधि पद्धति में बदलाव किये जाने के कारण ₹ 1,88,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
9.	ए जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 55.00}	55.00	0.00	(-)55.00
10.	ए आर सुखा के लिए आपातकालीन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 6,00.00}	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
	800 अन्य व्यय			
11.	68 मृदा सुधार, प्रबंधन एवं भूमि विकास की योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 55.00 लाख, ₹ 6,00.00 लाख एवं ₹ 4,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
12.	91 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 94,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)94,00.00}			
भारत सरकार द्वारा आर०के०वी०वाई० योजना के लिए निधि पद्धति में बदलाव किये जाने के कारण ₹ 94,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम		
	01	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण		
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
13.	11	कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)		
	मूल	30.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)30.00}		

₹ 30.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

पूँजी :

(v) ₹ 11,61.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 73.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय		
	101	कृषि सहकारिता		
1.	09	कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के अधारभूत संरचना, भू-अर्जन एवं सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)		
	मूल	5,50.00}	1,11.07	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,38.93}		

₹ 4,38.93 लाख की प्रत्याशित में से, ₹ 73.96 लाख की बचत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण हुई थी। ₹ 3,64.97 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	796 09	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू-अर्जन एवं अन्य सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)		
	मूल 8,00.00}	4,04.69	4,04.69	0.00
	अनुपूरक 73.96}			
	पुनर्वि० (-)4,69.27}			

₹ 4,69.27 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4401 113 10	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय कृषि इंजीनियरी कृषि तकनीक का विकास एवं प्रसार में नवीनीकरण (योजना)		
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
2.	789 09	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू-अर्जन एवं अन्य सुविधाओं के विकास की योजना (योजना)		
	मूल 1,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.00}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	10	कृषि तकनीक का विकास एवं प्रसार में नवीनीकरण (योजना)		
	मूल	20.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00}		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		
4.	10	कृषि तकनीक का विकास एवं प्रसार में नवीनीकरण (योजना)		
	मूल	50.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00}		

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 30.00 लाख, ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 20.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने विशिष्ट के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या - 2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2403 पशुपालन			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,73,28,53}	1,84,27,69	1,46,61,48
अनुपूरक	10,99,16}		(-)37,66,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			30,72,14
(9 सितम्बर 2015 : 72,75			
9 फरवरी 2016 : 2,76,80			
31 मार्च 2016 : 27,22,59)			
पूंजी :			
मूल	24,66,00}	36,76,00	11,88,65
अनुपूरक	12,10,00}		(-)24,87,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			22,47,35
(9 फरवरी 2016 : 6,50,00			
31 मार्च 2016 : 15,97,35)			

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 37,66.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 79.41 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 7,69.75 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 2,50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,99.16 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 30,72.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 37,66.21 लाख) से ₹ 6,94.07 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2403 पशुपालन 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 अधीक्षण (गैर-योजना)	1,72.13	1,72.13	0.00
	मूल 2,27.33}			
	अनुपूरक 0.20}			
	पुनर्वि० (-)55.40}			
2.	101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 02 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (के०प्रा०यो०)	73.50	73.50	0.00
	मूल 1,35.00}			
	अनुपूरक 90.00}			
	पुनर्वि० (-)1,51.50}			
3.	02 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (योजना)	45.81	45.81	0.00
	मूल 45.00}			
	अनुपूरक 67.50}			
	पुनर्वि० (-)66.69}			
4.	03 अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना)	51,07.98	51,07.17	(-)0.81
	मूल 59,16.90}			
	अनुपूरक 2.91}			
	पुनर्वि० (-)8,11.83}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 55.40 लाख, ₹ 1,51.50 लाख एवं ₹ 66.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

एम०ए०सी०पी० से संबंधित बकाये का भुगतान करने हेतु निधि का प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 1,95.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 6,16.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	27 पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,43.25}	1,15.86	1,15.86	0.00
	पुनर्वि० (-)27.39}			

₹ 27.39 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त उपकरणों का क्रय नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

	103 कुक्कुट विकास			
6.	61 कुक्कुट विकास (के०प्रा०यो०)			
	मूल 60.75}	0.00	9.64	+9.64
	अनुपूरक 1,10.25}			
	पुनर्वि० (-)1,71.00}			

₹ 1,71.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 60.75 लाख की बचत गलत इकाई के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,10.25 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 9.64 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	106 अन्य पशुधन विकास			
7.	37 राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 1,55.00}	1,06.73	1,06.73	0.00
	पुनर्वि० (-)48.27}			

₹ 48.27 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।

	109 विस्तार तथा प्रशिक्षण			
8.	34 प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 70.00}	42.79	42.79	0.00
	पुनर्वि० (-)27.21}			

₹ 27.21 लाख की प्रत्याशित बचत लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण पूरा नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	789 02	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (के०प्रा०यो०)		
	मूल 30.00}	14.38	14.38	0.00
	अनुपूरक 20.00}			
	पुनर्वि० (-)35.62}			
₹ 35.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
10.	13	सूकर प्रजनन इकाई (योजना)		
	मूल 2,00.00}	1,80.00	1,80.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			
₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत अर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।				
11.	61	कुक्कुट विकास (75:25) (के०प्रा०यो०)		
	मूल 52.25}	39.75	21.84	(-)17.91
	अनुपूरक 32.75}			
	पुनर्वि० (-)45.25}			
12.	61	कुक्कुट विकास (75:25) (योजना)		
	मूल 17.75}	16.40	8.36	(-)8.04
	अनुपूरक 11.25}			
	पुनर्वि० (-)12.60}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 63.16 लाख एवं ₹ 20.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
13.	796 24	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापनाएँ (योजना)		
	मूल 4,20.00}	3,67.46	3,67.46	0.00
	पुनर्वि० (-)52.54}			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	37 राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 4,37.00}	3,26.24	3,26.24	0.00
	पुनर्वि० (-)1,10.76}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 52.54 लाख एवं ₹ 1,10.76 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई थी।

	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
	091 सचिवालय			
15.	08 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,90.17}	1,59.86	1,59.86	0.00
	पुनर्वि० (-)30.31}			

₹ 30.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2403 पशुपालन			
	101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
1.	67 पशुधन रोग नियंत्रण (पी०पी०आर० नियंत्रण कार्यक्रम) (के०यो०यो०)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
	106 अन्य पशुधन विकास			
2.	10 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (एन०एम०पी०एस.) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			
4.	65 पशुधन विकास का सब मिशन (कलस्टर बेस्ड मास डिवरमिंग हेल्थ कवर प्रोग्राम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	1,19.40	0.00	(-)1,19.40
	अनुपूरक 1,20.00}			
	पुनर्वि० (-)2,00.60}			
5.	65 पशुधन विकास का सब मिशन (कलस्टर बेस्ड मास डिवरमिंग हेल्थ कवर प्रोग्राम) (योजना)			
	अनुपूरक 80.00}	80.00	0.00	(-)80.00
उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपभोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
6.	66 पशुधन विकास का सब मिशन (पशुधन बीमा) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 90.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)90.00}			
7.	66 पशुधन विकास का सब मिशन (पशुधन बीमा) (योजना)			
	मूल 60.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)60.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 90.00 लाख एवं ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	70 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन०एम०पी०एस०) (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,20.00}	1,20.00	0.00	(-)1,20.00
9.	70 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एन०एम०पी०एस०) (योजना)			
	अनुपूरक 80.00}	80.00	0.00	(-)80.00
	107 चारा तथा चारागाह विकास			
10.	56 चारा टेस्टिंग लैब का आधुनिकीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	15.30	0.00	(-)15.30
	अनुपूरक 30.00}			
	पुनर्वि० (-)64.70}			
11.	56 चारा टेस्टिंग लैब का आधुनिकीकरण (योजना)			
	अनुपूरक 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,20.00 लाख, ₹ 80.00 लाख, ₹ 80.00 लाख एवं ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	109 विस्तार तथा प्रशिक्षण			
12.	33 पारा-भेंट प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			
प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होने के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
13.	12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,43.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,43.00}			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	69 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 85.80}	85.80	0.00	(-)85.80
15.	69 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)			
	अनुपूरक 57.20}	57.20	0.00	(-)57.20
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
16.	12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 79.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)79.00}			
17.	69 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 47.40}	47.40	0.00	(-)47.40
18.	69 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)			
	अनुपूरक 31.60}	31.60	0.00	(-)31.60

उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

- (v) ₹ 24,87.35 लाख की अंतिम बचत के देखते हुये दिसम्बर 2015 (₹ 5,60.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 6,50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,10.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22,47.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 24,87.35 लाख) से ₹ 2,40.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय 101 पशु-चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य 04 पशु चिकित्सालयों की स्थापना सुदृढीकरण की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 81.75}	30.95	30.95	0.00
	पुनर्वि० (-)50.80}			
₹ 50.80 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई थी।				
2.	07 पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 1,20.00}	20.13	20.13	0.00
	पुनर्वि० (-)99.87}			
₹ 99.87 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य पूरा नहीं होने एवं समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
3.	09 पेट क्लीनिक (योजना)			
	मूल 30.00}	4.28	4.28	0.00
	पुनर्वि० (-)25.72}			
₹ 25.72 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
4.	106 अन्य पशुधन विकास 02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)- एल.आर.एस. पर जी०एम०पी० मानक अनुसंधान की स्थापना (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 7,20.00}	3,60.00	1,40.00	(-)2,20.00
	पुनर्वि० (-)3,60.00}			

₹ 3,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र एवं राज्य योजना से संबंधित बजट में कोड का गलत प्रविष्टि किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 2,20.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	109 23	विस्तार तथा प्रशिक्षण प्रसार एवं प्रशिक्षण (योजना)		
	मूल 18.00}	2.70	2.70	0.00
	पुनर्वि० (-)15.30}			

₹ 15.30 लाख की प्रत्याशित बचत 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

6.	796 07	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (योजना)		
	मूल 1,00.00}	44.17	44.17	0.00
	पुनर्वि० (-)55.83}			

₹ 55.83 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।

7.	11	निदेशन तथा प्रशासन (योजना)		
	मूल 7,50.00}	3,25.21	3,25.21	0.00
	पुनर्वि० (-)4,24.79}			

₹ 4,24.79 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य पूरा नहीं होने, 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर रोक लगाये जाने एवं समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

8.	800 11	अन्य व्यय निदेशन तथा प्रशासन (योजना)		
	मूल 2,10.00}	1,73.82	1,73.82	0.00
	पुनर्वि० (-)36.18}			

₹ 36.18 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य पूरा नहीं होने एवं समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय			
	101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
1.	04 पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण की योजना (योजना)			
	मूल 27.25}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)27.25}			
निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण ₹ 27.25 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
	106 अन्य पशुधन विकास			
2.	02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)-एल.आर.एस. पर जी०एम०पी० मानक अनुसंधान की स्थापना (योजना)			
	मूल 6,00.00}	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक 2,40.00}			
	पुनर्वि० (-)8,40.00}			
3.	03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)- फ्रोजेन सीमेन बुल स्टेशन (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 8,40.00 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	107 चारा तथा चारागाह विकास			
4.	18 चारागाह टेस्टिंग लैब का आधुनिकीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00]	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक 30.00}			
	पुनर्वि० (-)80.00}			

₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹ 30.00 लाख का प्रावधान केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 50.00 लाख के शेष प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	18 चारागाह टेस्टिंग लैब का आधुनिकीकरण (योजना)			
	अनुपूरक 20.00}	20.00	0.00	(-)20.00

₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है अगस्त 2016)।

	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
6.	09 पेट क्लीनिक (योजना)			
	मूल 15.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00}			

राज्यादेश निर्गत नहीं होने के कारण ₹ 15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 3 - भवन निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2059	लोक निर्माण-कार्य		
2216	आवास		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश		
राजस्व:			
मूल	1,26,69,81}	1,33,80,83	98,13,23
अनुपूरक	7,11,02}		(-)35,67,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			34,34,32
पूंजी:			
मूल	2,53,05,00}	4,16,59,00	3,70,83,69
अनुपूरक	1,63,54,00}		(-)45,75,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 अगस्त 2015 : 14,00,00 31 मार्च 2016 : 27,44,34)			41,44,34

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (i) ₹ 35,67.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 7,11.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 34,34.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 35,67.60 लाख) से ₹ 1,33.28 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएँ			
	090 सचिवालय			
1.	20 भवन निर्माण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,42.84}	96.88	96.84	(-)0.04
	पुनर्वि० (-)45.96}			

श्रमिक को भुगतान किये जाने के कारण ₹ 2.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 48.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	2059 लोक निर्माण-कार्य			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन और प्रशासन			
2.	01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 3,43.75}	2,68.84	2,68.46	(-)0.38
	अनुपूरक 1.72}			
	पुनर्वि० (-)76.63}			

श्रमिक को भुगतान किये जाने के कारण ₹ 2.70 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 79.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	03 भवन निर्माण-अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 5,66.79}	4,53.44	4,53.44	0.00
	पुनर्वि० (-)1,13.35}			

₹ 1,13.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

4.	04 भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (गैर-योजना)			
	मूल 45,01.00}	28,88.58	27,93.11	(-)95.47
	पुनर्वि० (-)16,12.42}			

₹ 17,07.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	05 निरूपण (गैर-योजना)			
	मूल 2,75.35}	1,77.62	1,77.62	0.00
	पुनर्वि० (-)97.73}			

₹ 97.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	06 निदेशन-एच०ई०सी० से लिए गए सचिवालय भवन एवं अन्य भवनों पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	4,52.40	4,52.40	0.00
	पुनर्वि० (-)5,47.60}			

₹ 2,97.60 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

7.	11 निदेशन-उद्यान संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 7,00.00}	6,53.89	4,69.36	(-)1,84.53
	पुनर्वि० (-)46.11}			

मुख्यतः श्रमिक को भुगतान किये जाने (₹ 5.20 लाख) के कारण ₹ 6.20 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 39.91 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,84.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	2216 आवास			
	05 साधारण पूल आवास			
	053 रख-रखाव तथा मरम्मत			
8.	04 लोक निर्माण कार्य- आवासीय भवनों का मरम्मत एवं संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	17,04.18	16,97.02	(-)7.16
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० (-)4,95.82}			

₹ 5,02.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iv) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2059 लोक निर्माण-कार्य			
80 सामान्य			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत			
13 गैर-आवासीय भवनों की रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
मूल 30,00.00}	31,21.92	32,88.91	+1,66.99
अनुपूरक 5,00.00}			
पुनर्वि. (-)3,78.08}			

₹ 6,28.08 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि तथा ₹ 1,66.99 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों के सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2016)।

पूँजी :

- (v) ₹ 45,75.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 14,00.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,47,54.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 2,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,63,54.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 41,44.34 लाख), अंतिम बचत (₹ 45,75.31 लाख) से ₹ 4,30.97 लाख कम था।
- (vii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01	कार्यालय भवन			
051	निर्माण			
1. 39	कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75;राज्यांश-25) (योजना)			
मूल 4,17.00}		17,74.25	15,97.47	(-)1,76.78
अनुपूरक 13,77.00}				
पुनर्वि. (-)19.75}				

₹ 1,96.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	48 प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 1,00.00}	11.93	16.85	+4.92
	पुनर्वि० (-)88.07}			

झारखण्ड विधान सभा के नये भवन का निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 78.07 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 4.92 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	58 कार्यालय भवन/ परिसदन भवन (योजना)			
	मूल 45,00.00}	34,64.91	33,59.83	(-)1,05.08
	अनुपूरक 5,00.00}			
	पुनर्वि० (-)15,35.09}			

झारखण्ड विधान सभा के नये भवन का निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 8,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 7,35.09 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,05.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
4.	39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,50.00}	7,98.95	7,98.95	0.00
	पुनर्वि० (-)4,51.05}			

₹ 4,51.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	39 कोर्ट भवन /आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (योजना)			
	मूल 4,17.00}	7,16.00	7,22.40	+6.40
	अनुपूरक 8,33.00}			
	पुनर्वि० (-)5,34.00}			

₹ 5,27.60 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	48 प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 5,66.00}	3,43.56	3,16.73	(-)26.83
	पुनर्वि० (-)2,22.44}			

झारखण्ड विधान सभा के नये भवन का निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 1,40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 82.44 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 26.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सरकारी रिहायशी भवन			
	700 अन्य आवास			
7.	14 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 35,00.00}	17,02.50	16,83.47	(-)19.03
	पुनर्वि० (-)17,97.50}			

₹ 18,16.53 लाख की कुल बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
8.	14 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 40,00.00}	36,46.45	33,80.94	(-)2,65.51
	पुनर्वि० (-)3,53.55}			

झारखण्ड विधान सभा के नये भवन का निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,03.55 लाख एवं ₹ 2,65.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(viii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती औचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01	सरकारी रिहायशी भवन			
106	साधारण पूल आवास			
03	लोक निर्माण कार्य - राज्य में भवन संबंधी लघु निर्माण कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,83.57	3,30.60	+47.03
	पुनर्वि० (-)16.43}			

₹ 16.43 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 47.03 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2013 मंत्रिपरिषद			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
राजस्व:			
मूल	31,35,43}	37,87,66	(-)8,10,71
अनुपूरक	6,52,23}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			8,03,13

टीका और टिप्पणियाँ:

- ₹ 8,10.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 5,06.93 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,15.30 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 30.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,52.23 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,03.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,10.71 लाख) से ₹ 7.58 लाख कम था।
- बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2013 मंत्रिपरिषद			
	101 मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन			
1.	01 मंत्रिगण (गैर-योजना)			
	मूल 8,79.20}	9,69.99	9,62.41	(-)7.58
	अनुपूरक 3,15.00}			
	पुनर्वि० (-)2,24.21}			

₹ 2,24.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिक बजट प्रावधान किये जाने (₹ 1,38.64 लाख) एवं मितव्ययिता के उपायों (₹ 85.51 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 7.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	108 01	दौरा खर्च मंत्रिगण का यात्रा व्यय (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.01}	41.01	41.01
	पुनर्वि०	(-) 59.00}		0.00

₹ 59.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

3.	2052 090 24	सचिवालय-सामान्य सेवाएं सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (गैर-योजना)		
	मूल	5,50.90}	3,21.86	3,21.84
	अनुपूरक	13.00}		(-)0.02
	पुनर्वि०	(-) 2,42.04}		

₹ 2,42.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानांतरण (₹ 2,09.24 लाख) एवं मितव्ययिता के उपायों (₹ 23.87 लाख) के कारण हुई थी।

4.	25	मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (गैर-योजना)		
	मूल	1,46.35}	1,62.02	1,62.02
	अनुपूरक	31.00}		0.00
	पुनर्वि०	(-)15.33}		

₹ 15.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिक बजट प्रावधान किये जाने (₹ 8.36 लाख) (ii) मितव्ययिता के उपायों (₹ 2.39 लाख) तथा (iii) कर्मचारियों के स्थानांतरण (₹ 4.22 लाख) के कारण हुई थी।

5.	2070 115 01	अन्य प्रशासनिक सेवाएं अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि राज्य अतिथि गृह (गैर-योजना)		
	मूल	2,00.07}	1,20.05	1,20.05
	पुनर्वि०	(-)80.02}		0.00

₹ 80.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मितव्ययिता के उपायों (₹ 79.95 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
6.	800 04	अन्य व्यय पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को देय सुविधाएँ (गैर-योजना)			
	मूल	1,79.14}	1,40.77	1,40.77	0.00
	पुनर्वि०	(-) 38.37}			

₹ 38.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मितव्ययिता के उपायों (₹ 23.64 लाख) एवं अधिक बजट प्रावधान किये जाने (₹ 14.73 लाख) के कारण हुई थी।

7.	11	झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह (गैर-योजना)			
	मूल	1,00.00}	27.92	27.92	0.00
	पुनर्वि०	(-) 72.08}			

₹ 72.08 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।

**विनियोग संख्या - 5 - राज्यपाल सचिवालय
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
राजस्व :			
मूल	7,66,81}	8,17,27	6,55,20
अनुपूरक	50,46}		(-)1,62,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,62.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 22.91 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 27.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 50.46 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	03	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
	090	सचिवालय			
1.	01	सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल	4,36.90}	4,74.81	3,84.21	(-)90.60
	अनुपूरक	37.91}			
	103	पारिवारिक स्थापना			
2.	01	राज्यपाल का घरेलू स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल	1,62.53}	1,70.85	1,52.13	(-)18.72
	अनुपूरक	8.32}			

विनियोग संख्या - 5 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	105	चिकित्सा सुविधाएँ		
3.	01	अन्य प्रभार (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति)		
	मूल	34.11}	34.11	13.69
				(-)20.42

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 90.60 लाख, ₹ 18.72 लाख एवं ₹ 20.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 6 - मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2015 निर्वाचन			
राजस्व:			
मूल	45,42,85}	48,51,18	(-)7,74,32
अनुपूरक	3,08,33}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			7,72,41

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 7,74.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 2,58.33 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,08.33 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	102 निर्वाचन अधिकारी 01 मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 13,87.76}	10,29.11	10,33.52	+4.41
	पुनर्वि० (-) 3,58.65}			

₹ 3,58.65 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.41 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण 03 स्वीप कार्यक्रम योजना (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,32.38	4,29.57	(-)2.81
	पुनर्वि० (-) 67.62}			

अनुदान संख्या - 6 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	105	संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार		
3.	01	लोक सभा का आम निर्वाचन (गैर-योजना)		
		मूल 0.02}	43.00	43.00
		अनुपूरक 69.99}		0.00
		पुनर्वि० (-)27.01}		
	108	मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना		
5.	02	मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय (गैर-योजना)		
		मूल 4,00.01}	1,98.15	1,98.15
		पुनर्वि० (-) 2,01.86}		0-00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 67.62 लाख, ₹ 27.01 लाख एवं ₹ 2,01.86 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 7 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व:				
मूल	15,48,07}	17,66,34	16,41,10	(-)1,25,24
अनुपूरक	2,18,27}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,26,43
(31 मार्च 2016)				

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,25.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 3.70 लाख) और दिसम्बर 2015 (₹ 2,14.57 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,18.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,26.43 लाख), अंतिम बचत (₹1,25.24 लाख) से ₹1.19 लाख अधिक था।
- (iii) शीर्ष 104-सतर्कता, 04-अनुसंधान ब्यूरो (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 76.38 लाख की निवल बचत, जो कि ₹ 13,72.97 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे निम्न मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
104	सतर्कता			
05	अनुसंधान ब्यूरो के तहत "पाश" देय राशि की प्रतिपूर्ति (गैर-योजना)			
मूल	25.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)25.00}			

माननीय न्यायालय द्वारा मामले का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 8 - परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
3053	नागर विमानन			
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व:				
मूल	9,37,87}	29,48,77	28,81,37	(-)67,40
अनुपूरक	20,10,90}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				57,64
पूँजी :				
मूल	20,00,00}	1,20,00,00	1,00,00,00	(-)20,00,00
अनुपूरक	1,00,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				20,00,00
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व:				
(i)	₹ 67.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 15,00.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 5.40 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 5,05.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20,10.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii)	शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव, 01-सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 51.64 लाख की बचत, जो कि ₹ 26,30.06 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।			
पूँजी :				
(iii)	₹ 20,00.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			

अनुदान संख्या - 8 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
02 विमान पत्तन			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
05 विभिन्न जिलों के मुख्यालयों के लिये रनवे का निर्माण एवं विस्तार (योजना)			
मूल 20,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि: (-)20,00.00}			

₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 9 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2425	सहकारिता			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425	सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:				
मूल	1,01,68,64}	1,33,69,93	1,11,28,17	(-)22,41,76
अनुपूरक	32,01,29}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				22,41,61
पूंजी :				
मूल	13,50,00}	13,50,00	13,31,78	(-)18,22
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				18,22
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व :				
(i)	₹ 22,41.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 9.40 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 31,91.89 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 32,01.29 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

- (ii) शीर्ष 2425- सहकारिता, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 60-सहकारी समितियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (योजना) के अन्तर्गत ₹ 78.50 लाख की बचत, जो कि ₹ 8,45.50 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2425 सहकारिता 003 प्रशिक्षण 01 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 65.77}	51.75	51.75	0.00
	अनुपूरक 1.64}			
	पुनर्वि० (-)15.66}			
₹ 15.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
2.	004 अनुसंधान तथा मूल्यांकन 01 सांख्यिकी प्रशाखा (गैर-योजना)			
	मूल 56.72}	28.27	28.27	0.00
	पुनर्वि० (-) 28.45}			
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 11.74 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 16.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
3.	108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता 58 ऐपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी (योजना)			
	मूल 2,55.60}	1,38.00	1,38.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,17.60}			
4.	277 सहकारी शिक्षा 24 सूचना, प्रसार, सेमिनार, प्रशिक्षण एवं सहकारी सदस्यों में सदस्य शिक्षा हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 40.00}	10.00	10.00	0.00
	पुनर्वि० (-) 30.00}			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
5.	27	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य कृषि बीमा निधि को प्रिमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल	1,00.00}	3,48.34	3,48.34	0.00
	अनुपूरक	4,46.00}			
	पुनर्वि० (-)	1,97.66}			
6.	58	एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी (योजना)			
	मूल	1,70.40}	92.00	92.00	0.00
	पुनर्वि० (-)	78.40}			
7.	58	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी (योजना)			
	मूल	4,31.00}	2,30.24	2,30.24	0.00
	पुनर्वि० (-)	2,00.76}			
8.	62	एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों को अनुदान (योजना)			
	मूल	15.60.00}	10,00.00	10,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)	5,60.00}			

उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2425 सहकारिता			
	107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
1.	28 कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
2.	62 एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को अनुदान (योजना)			
	मूल 3,36.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,36.00}			
	108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता			
3.	60 सहकारी समितियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (योजना)			
	मूल 47.10}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)47.10}			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
4.	24 सूचना प्रसार, सेमिनार, प्रशिक्षण एवं सहकारी समितियों में सदस्य शिक्षा हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	28	कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)		
	मूल	20.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00}		
6.	60	सहकारी समितियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (योजना)		
	मूल	31.40}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)31.40}		
7.	62	एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को अनुदान (योजना)		
	मूल	2,24.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,24.00}		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		
8.	28	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा निधि में अनुदान (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) (योजना)		
	मूल	50.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00}		
9.	69	परामर्शी शुल्क एवं विविध प्राप्ति हेतु अनुदान (योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 10 - ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2059	लोक निर्माण-कार्य		
2801	बिजली		
2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

राजस्व:

मूल	14,13,84,71}	23,00,38,40	22,37,12,90	(-)63,25,50
अनुपूरक	8,86,53,69}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				63,24,39

पूंजी :

मूल	10,97,90,00}	79,10,90,00	73,75,41,79	(-)5,35,48,21
अनुपूरक	68,13,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				5,35,48,21

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 63,25.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 6,12,00.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 2,74,20.28 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 33.41 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,86,53.69 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

- (ii) शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 80-सामान्य, 001-निर्देशन और प्रशासन, 10-विद्युत कार्य सम्पादन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 69.64 लाख की बचत, जो कि ₹ 25,05.29 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2801 बिजली			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
08 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) एनर्जी एफिशिएन्सी कन्जरवेशन/ परामर्शी एवं अन्य कार्य (योजना)			
मूल 2,00.00}	1,96.24	1,96.24	0.00
अनुपूरक 12,00.00}			
पुनर्वि० (-)12,03.76}			

₹ 12,03.76 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान कम रहने के कारण हुई थी।

- (iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2801 बिजली				
01 हाइडल उत्पादन				
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
1. 10 ग्रामीण विद्युतीकरण (योजना)				
मूल 1,20.00}	0.00	0.00	0.00	
पुनर्वि० (-)1,20.00}				
2. 12 आर०जी०जी०भी०वाई० योजनान्तर्गत फॉरेस्ट क्लियरेंस (योजना)				
मूल 60.00}	0.00	0.00	0.00	
पुनर्वि० (-)60.00}				

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	796 10 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना ग्रामीण विद्युतीकरण (योजना)			
	मूल 2,60.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,60.00}			
4.	12 आर०जी०जी०भी०वाई० योजनान्तर्गत फॉरेस्ट क्लियरेंस (योजना)			
	मूल 1,30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,30.00}			
5.	800 10 अन्य व्यय ग्रामीण विद्युतीकरण (योजना)			
	मूल 6,20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)6,20.00}			
6.	12 आर०जी०जी०भी०वाई० योजनान्तर्गत फॉरेस्ट क्लियरेंस (योजना)			
	मूल 3,10.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,10.00}			
<p>उपर्युक्त छः मामलों में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से उचित रूप से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।</p>				
7.	06 789 03 ग्रामीण विद्युतीकरण अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना समेकित बिजली विकास योजना (आई०पी०डी०एस०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,60.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,60.00}			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	796 03	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना समेकित बिजली विकास योजना (आई०पी०डी०एस०) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	7,80.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)7,80.00}		
9.	800 03	अन्य व्यय समेकित बिजली विकास योजना (आई०पी०डी०एस०) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	18,60.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)18,60.00}		
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 3,60.00 लाख, ₹ 7,80.00 लाख एवं ₹ 18,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
10.	80 796 10	सामान्य जनजातीय क्षेत्र उपयोगना जे०एस०ई०आर०सी० को नई भवन निर्माण हेतु अनुदान (योजना)		
	मूल	5,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,00.00}		

प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमांत

पूंजी :

- (iv) ₹ 5,35,48.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 30,00.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 66,33,00.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 1,50,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 68,13,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज, 190-सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों के लिये कर्ज, 38-झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे॰बी॰भी॰एन॰एल॰) हेतु ऋण (योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 37-झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण (योजना), 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 37-झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण (योजना) एवं 800-विद्युत बोर्डों को अन्य कर्ज, 37-झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु ऋण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,96,63.00 लाख, ₹ 2,24.55 लाख, ₹ 4,86.51 लाख एवं ₹ 11,60.15 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 66,33,00.00 लाख, ₹ 71,40.00 लाख, ₹ 1,54,70.00 लाख एवं ₹ 3,68,90.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।
- (vi) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6801 बिजली परियोजना के लिए कर्ज			
201 पन-बिजली उत्पादन			
24 प्रदूषण नियंत्रण उपाय (योजना)			
मूल 20,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)20,00.00}			

₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹ 8,00.00 लाख की बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 12,00.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 11 - उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2039	राज्य उत्पाद शुल्क			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:				
मूल	30,55,96}	32,20,57	19,57,13	(-)12,63,44
अनुपूरक	1,64,61}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				12,63,44
पूंजी				
मूल	10,00,00}	10,00,00	10,00,00	00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व:				
(i)	₹12,63.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 98.21 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 66.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,64.61 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			

अनुदान संख्या - 11 - क्रमांत

(ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2039 राज्य उत्पाद शुल्क 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)	15,50.89	15,50.89	0.00
	मूल 26,14.92}			
	अनुपूरक 67.11}			
	पुनर्वि० (-)11,31.14}			
2.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)	3,44.99	3,44.99	0.00
	मूल 3,33.34}			
	अनुपूरक 97.50}			
	पुनर्वि० (-)85.85}			
3.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 07 स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (गैर-योजना)	61.25	61.25	0.00
	मूल 1,06.70}			
	पुनर्वि० (-)45.45}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 11,31.14 लाख, ₹ 85.85 लाख एवं ₹ 45.45 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 12 - योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		
राजस्व:			
मूल	45,04,86}	47,19,22	36,39,20
अनुपूरक	2,14,36}		(-)10,80,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			10,80,44
पूंजी :			
मूल	61,40,00}	61,40,00	49,64,30
अनुपूरक	शून्य}		(-)11,75,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			12,05,70
टीका और टिप्पणियाँ :			
राजस्व:			
(i)	₹ 10,80.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 76.38 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 1,37.98 लाख) में प्राप्त किया ₹ 2,14.36 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।		

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

- (ii) शीर्ष - 2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएँ, 090-सचिवालय, 08-वित्त विभाग (गैर-योजना) एवं 092-अन्य कार्यालय, 06-राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण-जिला प्रभार (गैर-योजना) के अंतर्गत ₹ 49.51 लाख एवं ₹ 69.55 लाख की बचत, जो कि क्रमशः ₹ 10,07.92 लाख एवं ₹ 7,40.29 लाख के प्रावधान से अधिक है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	2052 090 39	सचिवालय-सामान्य सेवाएं सचिवालय भविष्य निधि अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)			
	मूल	4,00.00}	2,07.10	2,07.10	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,92.90}			
₹ 1,92.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।					
2.	40	वित्त विभाग के अंतर्गत विविध विशेष आवश्यक कार्य हेतु (गैर-योजना)			
	मूल	1,00.00}	0.47	0.47	0.00
	पुनर्वि०	(-)99.53}			
₹ 74.53 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।					
3.	092 05	अन्य कार्यालय राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना-मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	1,44.33}	1,16.24	1,16.24	0.00
	पुनर्वि०	(-)28.09}			
4.	21	राज्य वित्त आयोग (गैर-योजना)			
	मूल	37.60}	33.79	33.79	0.00
	अनुपूरक	26.38}			
	पुनर्वि०	(-)30.19}			

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
5.	2054 095 01	खजाना तथा लेखा प्रशासन लेखा तथा खजाना निदेशालय भविष्य निधि का संधारण (गैर-योजना)			
	मूल	2,85.95}	2,25.93	2,25.93	0.00
	पुनर्वि०	(-)60.02}			
6.	097 01	खजाना स्थापना कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (गैर-योजना)			
	मूल	11,66.21}	9,43.51	9,43.51	0.00
	अनुपूरक	62.98}			
	पुनर्वि०	(-)2,85.68}			
7.	2058 103 02	लेखन सामग्री तथा मुद्रण सरकारी मुद्रणालय झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (गैर-योजना)			
	मूल	3,01.25}	1,42.30	1,42.30	0.00
	पुनर्वि०	1,58.95}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।					
8.	2070 800 08	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ अन्य व्यय विविध तथा आकस्मिक व्यय (गैर-योजना)			
	मूल	1,00.00}	1,73.06	1,73.48	+0.42
	अनुपूरक	1,00.00}			
	पुनर्वि०	(-)26.94}			

₹ 26.52 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
003 प्रशिक्षण			
01 प्रमंडलीय मुख्यालयों में लेखा परीक्षण विद्यालय (गैर-योजना)			
मूल 62.25}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)62.25}			

₹ 62.25 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 12,05.70 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,75.70 लाख) से ₹ 30.00 लाख अधिक था।

(v) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
	201 भवन निर्माण अग्रिम			
1.	02 अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	30.00	30.00	0.00
	पुनर्वि० (-)9,70.00}			

अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की मांग नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,39.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 7,30.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम			
2.	02 सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल खरीदने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	16.98	16.98	0.00
	पुनर्वि० (-)83.02}			
3.	04 विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	3,32.26	3,32.26	0.00
	पुनर्वि० (-)1,67.74}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 83.02 लाख एवं ₹ 1,67.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(vi) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम		
03	मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी क्रय करने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)		
	मूल 40.00}	40.00	0.00
			(-)40.00

₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**विनियोग संख्या - 13 - ब्याज संदाय
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2049 ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	34,26,94,02}	34,36,95,04	(-)1,16,87,06
अनुपूरक	10,01,02}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			1,64,26,74

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,16,87.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2015 (₹ 3,00.02 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 7,01.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,01.02 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,64,26.74 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,16,87.06 लाख) से ₹ 47,39.68 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
	200	अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज		
1.	02	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना)		
	मूल	3,85,00.00}	2,43,46.52	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,41,53.48}		

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 3,80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,37,73.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	03	राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडारागार से लिये गये ऋण पर ब्याज (गैर-योजना)		
	मूल	7,00.00}	6,09.91	0.00
	पुनर्वि०	(-)90.09}		

अनुदान संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनयोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	11	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर०ई०सी०) से लिये गये कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना)		
		मूल 74,00.00}	60,02.75	60,02.75
		पुनर्वि० (-)13,97.25}		0.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 90.09 लाख एवं ₹ 13,97.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

4.	12	दीनदयाल आवास योजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर ब्याज (गैर-योजना)		
		मूल 2,53.00}	2,46.73	1,39.48
		पुनर्वि० (-)6.27}		(-)1,07.25

₹ 1,13.52 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	03	अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज		
	104	राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज		
5.	01	सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज (गैर-योजना)		
		मूल 2,50,00.00}	2,50,00.00	2,35.93
				(-)2,47,64.07

₹ 2,47,64.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	108	बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज		
6.	01	बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज (गैर-योजना)		
		मूल 1,20.00}	81.02	81.02
		पुनर्वि० (-)38.98}		0.00

₹ 38.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनयोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	04	केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज		
	109	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज		
7.	01	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)		
	मूल	87,00.00}	87,00.00	77,92.92
	पुनर्वि०	(-)7,07.08}		(-)9,07.08

₹ 9,07.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	60	अन्य दायित्वों पर ब्याज		
	701	विविध		
8.	03	विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज (गैर-योजना)		
	मूल	10,00.00}	2,06.27	2,18.77
	पुनर्वि०	(-)7,93.73}		+12.50

₹ 7,81.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनयोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
	200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज		
1.	10	पावर बांड- ब्याज भुगतान (गैर-योजना)		
	मूल	30,00.00}	30,00.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)30,00.00}		(-)30,00.00

अनुदान संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	04	केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज		
	102	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज		
2.	01	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)		
	अनुपूरक	4,00.00}	4,00.00	0.00
	60	अन्य		(-)4,00.00
	701	विविध		
3.	01	अन्तरिम भुगतान (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्विः	(-)1,00.00}		

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 30,00.00 लाख, ₹ 4,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(v) शीर्ष 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 101-बाजार कर्जों पर ब्याज, 01-राज्य विकास ऋण पर ब्याज (ब्याजदेय) (गैर-योजना), 123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, 01-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (गैर-योजना) एवं 04-केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज, 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज, 03-एकमुश्त कर्ज (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 88,39.72 लाख, ₹ 16,58.00 लाख एवं ₹ 69.20 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 15,40,00.00 लाख, ₹ 9,50,00.00 लाख एवं ₹ 30,10.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
	305	ऋण प्रबन्ध		
1.	01	पुराने ऋणों से संबंधित ब्याज (गैर-योजना)		
	मूल	2,10.00}	2,10.00	6,58.91
				+4,48.91

अनुदान संख्या - 13 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनयोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
	03	अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104	राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
2.	02	ए० आई० एस० भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	2,00.00}	2,00.00	2,18,61.60	+2,16,61.60
	04	केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
	104	योजनेत्तर योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज			
3.	03	अन्य गैर-योजना मद में प्राप्त कर्ज पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	3,00.00}	3,00.00	14,20.78	+11,20.78

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 4,48.91 लाख, ₹ 2,16,61.60 लाख एवं ₹ 11,20.78 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**विनियोग संख्या - 14 - ऋण की वापसी/अदायगी
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
राजस्व :				
मूल	20,00,00}	20,00,00	00	(-)20,00,00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	22,58,52,83}	22,74,02,83	22,45,93,40	(-)28,09,43
अनुपूरक	15,50,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				87,25,74
(31 मार्च 2016)				
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व :				
(i) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।				

अनुदान संख्या - 14 - क्रमशः

(ii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
101 निक्षेप निधि			
01 निक्षेप निधि में योगदान (गैर-योजना)			
मूल 20,00.00}	20,00.00	0.00	(-)20,00.00

₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

- (iii) ₹ 28,09.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 15,50.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 87,25.74 लाख), अंतिम बचत (₹ 28,09.43 लाख) से ₹ 59,16.31 लाख अधिक था।
- (v) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
106	प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र			
1.	02 जमीन्दारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूरक बंध पत्र (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00}	12.00	0.40	(-)11.60
	पुनर्विः (-)2,88.00}			

अनुदान संख्या - 14 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
109	अन्य संस्थाओं से कर्ज			
2.	02 दिनदयाल आवास योजना अन्तर्गत हुडको से ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 1,00,00.00}	45,33.42	32,83.42	(-)12,50.00
	पुनर्वि० (-)54,66.58}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,88.00 लाख एवं ₹ 54,66.58 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों तथा ₹ 11.60 लाख एवं ₹ 12,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	09 राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड से लिये गये कर्ज के मूलधन का भुगतान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,00.00}	64.21	64.21	0.00
	पुनर्वि० (-)1,35.79}			

₹ 1,35.79 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
	01 योजनेतर कर्ज			
	201 आवास निर्माण अग्रिम			
4.	02 गृह निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 4,80.00}	4,80.00	47.83	(-)4,32.17
	02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज			
	101 एक मुश्त कर्ज			
5.	01 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे (गैर-योजना)			
	मूल 60,00.00}	73,50.00	59,27.81	(-)14,22.19
	अनुपूरक 13,50.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,32.17 लाख एवं ₹ 14,22.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 14 - क्रमांत

(vi) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ			
01 राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (गैर-योजना)			
मूल 4,81,32.80}	4,81,32.80	5,58,59.60	+77,26.80

₹ 77,26.80 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(vii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
01 हुडको से कर्ज (गैर-योजना)			
मूल 1,00,00.00}	73,44.31	85,94.31	+12,50.00
पुनर्वि: (-)26,55.69}			

₹ 14,05.69 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(viii) निम्नलिखित मामले में व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
101 बाजार कर्ज			
58 7.36 प्रतिशत झारखंड राज्य विकास ऋण, 2014 (गैर-योजना)			
	0.00	50.00	+50.00

₹ 50.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 15 - पेंशन
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
राजस्व :			
मूल	44,92,61,00}	45,85,14,00	39,90,01,39
अनुपूरक	92,53,00}		(-)5,95,12,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 5,95,12.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 2,53.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 75.00.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 15,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 92,53.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) शीर्ष 01-सिविल, 101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, 06-15.11.2000 के बाद पेंशन पानेवालों को भुगतान (गैर-योजना) एवं 09-बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों का बँटवारा के तहत बिहार को भुगतान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 66,10.20 लाख एवं ₹ 15,00.00 लाख की अंतिम बचत, जो क्रमशः ₹ 25,00,00.00 लाख एवं ₹ 1,90,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते			
1.	05 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पाने वालों को भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल	25,00.00}	25,00.00	2,36.81
				(-)22,63.19
2.	08 पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के बाद का बकाया पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	23,04.47
				(-)96,95.03

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
3.	10	सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए स्थानान्तरण अनुदान एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (गैर-योजना)	15,00.00	5,09.86	(-)9,90.14
	मूल	15,00.00}			
	102	पेंशन का सारांशिकृत मूल्य			
4.	03	15.11.2000 के पूर्व पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)	40,00.00	28,94.67	(-)11,05.33
	मूल	40,00.00}			
5.	04	15.11.2000 के बाद के पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)	2,50,00.00	1,39,86.92	(-)1,10,13.08
	मूल	2,50,00.00}			
	104	उपदान			
6.	03	15.11.2000 के पूर्व का उपादान (गैर-योजना)	50,00.00	34,09.92	(-)15,90.08
	मूल	50,00.00}			
7.	04	15.11.2000 के बाद का उपादान (गैर-योजना)	5,50,00.00	4,71,03.82	(-)78,96.18
	मूल	5,50,00.00}			
	105	पारिवारिक पेंशन			
8.	03	1984 दंगा से पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान (गैर-योजना)	2,50.00	1,27.85	(-)1,22.15
	मूल	2,50.00}			
9.	04	15.11.2000 के पूर्व का पारिवारिक पेंशन (गैर-योजना)	8,00.00	6,54.71	(-)1,45.29
	मूल	8,00.00}			

अनुदान संख्या - 15 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
10.	05	15.11.2000 के बाद का पारिवारिक पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल	1,25,00.00}	1,25,00.00	1,12,99.19	(-)12,00.81
11.	06	झारखंड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु आंदोलकारियों/आश्रितों को पेंशन (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	2,53.00}	2,53.00	15.51	(-)2,37.49
	106	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
12.	03	15.11.2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों को चिकित्सा भत्ता (गैर-योजना)			
	मूल	75.00}	75.00	17.19	(-)57.81
	115	छुट्टी नकदीकरण हितलाभ			
13.	02	15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतेय अव्यहृत उपार्जित अवकाश (गैर-योजना)			
	मूल	50,00.00}	50,00.00	35,64.54	(-)14,35.46
14.	03	15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के भुगतेय अव्यहस्त उपार्जित अवकाश (गैर-योजना)			
	मूल	3,50,00.00}	3,50,00.00	2,99,03.10	(-)50,96.90
	117	अंशदायी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि			
15.	03	भविष्य निधि-अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)			
	मूल	3,00,00.00}	3,00,00.00	2,14,57.41	(-)85,42.59

उपर्युक्त पन्द्रह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 16 - योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं				
राजस्व :				
मूल	2,38,89}	2,38,89	2,03,30	(-)35,59
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				35,62

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103	अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
02	जिला प्रभार (अल्प बचत प्रचार सहित) (गैर-योजना)			
मूल	2,05.52}	1,78.76	1,78.76	0.00
पुनर्वि०	(-)26.76}			

₹ 26.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (₹ 12.55 लाख), (ii) व्यय से ज्यादा मांग करने (₹ 3.47 लाख), (iii) विपत्र पारित नहीं होने (₹ 3.40 लाख) एवं (iv) समय पर विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने (₹ 2.00 लाख) के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 17 - वाणिज्य कर विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व :				
मूल	66,10,88}	68,55,31	50,10,51	(-)18,44,80
अनुपूरक	2,44,43}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				18,39,02
(25 अगस्त 2015 : 44,02				
4 दिसम्बर 2015 : 7,94				
7 जनवरी 2016 : 1,30,00				
31 मार्च 2016 : 16,57,06)				
पूंजी :				
मूल	10,37,30}	10,37,30	5,91,58	(-)4,45,72
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,45,72
(31 मार्च 2016)				
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व :				
(i)	₹ 18,44.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 10.73 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 93.70 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 1,40.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,44.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 18,39.02 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,44,80 लाख) से ₹ 5.78 लाख कम था।			

अनुदान संख्या - 17 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएँ, 090-सचिवालय, 07- वाणिज्य कर विभाग (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 22.91 लाख की बचत, जो कि ₹ 2,45.01 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
	001	निदेशन और प्रशासन			
1.	01	वाणिज्य कर प्राधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल	58.66}	52.64	48.01	(-)4.63
	अनुपूरक	9.15}			
	पुनर्वि०	(-)15.17}			
2.	04	अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल	2,88.88}	2,73.86	2,73.86	0.00
	अनुपूरक	20.32}			
	पुनर्वि०	(-)35.34}			
3.	101	संग्रहण प्रभार			
	02	जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	55,55.63}	43,66.27	43,65.13	(-)1.14
	अनुपूरक	1,63.00}			
	पुनर्वि०	(-)13,52.36}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 15.17 लाख, ₹ 35.34 लाख एवं ₹ 13,52.36 की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
15 बिजनेस इंटेलिजेंस इकाई की स्थापना (योजना)			
मूल 4,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)4,00.00}			

₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

पूंजी :

(v) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
60 अन्य भवन			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
04 प्रस्तावित चेक पोस्ट (योजना)			
मूल 10,37.30}	5,91.58	5,91.58	0.00
पुनर्वि० (-)4,45.72}			

₹ 4,45.72 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या - 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3456	सिविल पूर्ति		
4408	खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय		
राजस्व :			
मूल	12,34,11,04}	12,84,43,01	7,78,79,62
अनुपूरक	50,31,97}		(-)5,05,63,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,05,40,53
(दिसम्बर 2015	: 2,30,08,00		
5 फरवरी 2016	: 1,42,00,00		
31 मार्च 2016	: 1,33,32,53)		
पूंजी :			
मूल	20,30,74}	20,30,74	20,22,57
अनुपूरक	शून्य}		(-)8,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			8,17
(31 मार्च 2016)			
टीका और टिप्पणियाँ:			
राजस्व :			
(i)	₹ 5,05,63.39 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 2,51.07 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 5,47.82 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 42,33.08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 50,31.97 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।		
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,05,40.53 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,05,63.39 लाख) से ₹ 22.86 लाख कम था।		

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति, 102-सिविल पूर्ति योजना, 02-अन्त्योदय अन्न योजना (योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 02-अन्त्योदय अन्न योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,39.89 लाख एवं ₹ 7,12.31 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 36,70.00 लाख एवं ₹ 77,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय			
1.	11 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,48.77}	3,21.85	3,21,85	0.00
	अनुपूरक 17.50}			
	पुनर्वि० (-)44.42}			
	₹ 44.42 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन निर्धारण में विलम्ब (₹ 27.28 लाख) एवं मितव्ययिता के उपायों (₹ 17.14 लाख) के कारण हुई थी।			
	3456 सिविल पूर्ति 001 निदेशन एवं प्रशासन			
2.	02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 31,01.01}	23,21.64	23,21.57	(-)0.07
	पुनर्वि० (-)7,79.37}			
	₹ 7,79.37 लाख की प्रत्याशित बचत (i) सी.ओ.बी.टी. प्रस्ताव के फलस्वरूप वेतन की निकासी नहीं किये जाने (₹ 5,34.23 लाख), (ii) कार्यालयों से निधि की मांग कम किये जाने (₹ 2,00.00 लाख) एवं मितव्ययिता के उपायों (₹ 45.14 लाख) के कारण हुई थी।			
	102 सिविल पूर्ति योजना			
3.	03 अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,62.00}	77.18	77.18	0.00
	पुनर्वि० (-)84.82}			
	₹ 84.82 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से खाद्यान्न की आपूर्ति में विलम्ब के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	07 बी.पी.एल. परिवारों के बीच सस्ते दरों पर आयोडिन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 18,90.00}	3,33.73	3,33.73	0.00
	पुनर्वि० (-)15,56.27}			

15,56.27 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायिक मामले एवं नमक की निविदा दर कम होने के फलस्वरूप प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण हुई थी।

5.	20 मुद्रण (योजना)			
	मूल 81.00}	26.20	26.20	0.00
	पुनर्वि० (-)54.80}			

₹ 54.80 लाख की प्रत्याशित बचत राशन कार्ड की छपाई के विरुद्ध विपत्रों की प्राप्ति विलम्ब से होने के कारण हुई थी।

6.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 8,50.00}	3,98.96	3,98.96	0.00
	पुनर्वि० (-)4,51.04}			

₹ 4,51.04 लाख की प्रत्याशित बचत खाद्यानों एवं अन्य सामग्रियों की निविदा में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण हुई थी।

7.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 21,32.90}	1,57.26	1,51.00	(-)6.26
	पुनर्वि० (-)19,75.64}			

₹ 19,75.64 लाख की प्रत्याशित बचत सिस्टम इंटरगेटर के चयन में विलम्ब होने के कारण हुई थी। ₹ 6.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

8.	35 कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 3,50.00}	1,03.44	1,02.61	(-)0.83
	पुनर्वि० (-)2,46.56}			

₹ 2,46.56 लाख की प्रत्याशित बचत अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	38 बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 1,22,75.00}	65,34.05	65,33.50	(-)0.55
	पुनर्वि० (-)57,40.95}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 15,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई जबकि ₹ 42,40.95 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब होने के फलस्वरूप चीनी की कमी (₹ 38,00.00 लाख) एवं वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 4,40.95 लाख) के कारण हुई थी।

10.	40 पात्र गृहस्थ योजना/मुख्यमंत्री सहायता योजना/अतिरिक्त ग्रामीण बी.पी.एल. योजना/ ए.पी.एल. योजना (योजना)			
	मूल 2,12,20.00}	1,41,12.10	1,41,05.58	(-)6.52
	पुनर्वि० (-)71,07.90}			

बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण ₹ 9,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई जबकि ₹ 80,07.90 लाख की प्रत्याशित बचत (i) एन.एफ.एस. के लागू होने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा कम दर निर्धारित किये जाने (₹ 40,00.00 लाख), (ii) खाद्यानों का उठाव नहीं होने (₹ 23,00.00 लाख) एवं (iii) वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 17,07.90 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 6.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
11	02 अन्त्योदय अन्न योजना (योजना)			
	मूल 17,05.00}	14,64.52	14,61.85	(-)2.67
	पुनर्वि० (-)2,40.48}			

बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई जबकि ₹ 3,40.48 लाख की प्रत्याशित बचत खाद्यानों का उठाव नहीं होने (₹ 2,00.00 लाख) एवं वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 1,40.48 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दरों पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 6,85.00}	1,12.52	1,12.52	0.00
	पुनर्वि० (-)5,72.48}			
<p>₹ 5,72.48 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब होने के फलस्वरूप नमक की कमी (₹ 4,48.00 लाख) एवं न्यायिक मामले के फलस्वरूप प्रक्रियात्मक विलम्ब तथा नमक के लिए निविदा दर कम होने (₹ 1,24.48 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
13.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 3,50.00}	1,18.85	1,18.85	0.00
	पुनर्वि० (-)2,31.15}			
<p>₹ 2,31.15 लाख की प्रत्याशित बचत खाद्यानों एवं अन्य सामग्रियों की निविदा में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण हुई थी।</p>				
14.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 9,14.10}	36.29	36.29	0.00
	पुनर्वि० (-) 8,77.81}			
<p>₹ 8,77.81 लाख की प्रत्याशित बचत सिस्टम इंटरगेटर के चयन में विलम्ब होने के कारण हुई थी।</p>				
15.	35 कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,50.00}	26.07	26.07	0.00
	पुनर्वि० (-)1,23.93}			
<p>₹ 1,23.93 लाख की प्रत्याशित बचत अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन नहीं होने के कारण हुई थी।</p>				
16.	38 बी.पी.एल. परिवारों को चीनी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 44,37.00}	26,67.26	26,67.26	0.00
	पुनर्वि० (-)17,69.74}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई जबकि ₹ 15,69.74 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब होने के फलस्वरूप चीनी की कमी (₹ 14,00.00 लाख) एवं वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 1,69.74 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	40 पात्र गृहस्थ योजना/मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना/ अतिरिक्त ग्रामीण बी.पी.एल. योजना/ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 70,60.00}	48,25.75	48,21.20	(-)4.55
	पुनर्वि० (-)22,34.25}			

बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई जबकि ₹ 23,34.25 लाख की प्रत्याशित बचत (i) खाद्यानों का उठाव नहीं होने (₹ 10,00.00 लाख), (ii) एन.एफ.एस.ए. के लागू होने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा कम दर निर्धारित किये जाने (₹ 9,00.00 लाख) एवं (iii) वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 4,34.25 लाख) के कारण हुई थी।

18.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 अन्नपूर्णा योजना (योजना)			
	मूल 2,11.00}	1,01.18	1,01.18	0.00
	पुनर्वि० (-)1,09.82}			

₹ 1,09.82 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से खाद्यानों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण हुई थी।

19.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 28,20.00}	4,20.43	4,20.43	0.00
	पुनर्वि० (-)23,99.57}			

₹ 23,99.57 लाख की प्रत्याशित बचत (i) निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब के फलस्वरूप नमक की कमी (₹ 15,64.00 लाख), (ii) न्यायिक मामले एवं नमक के लिए निविदा की दर में कमी (₹ 4,35.57 लाख) एवं (iii) निविदा की मूल्य में कमी (₹ 4,00.00 लाख) के कारण हुई थी।

20.	17 किरोसीन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 73.50}	26.68	26.68	0.00
	पुनर्वि० (-)46.82}			

₹ 46.82 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
21.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 11,00.00}	5,91.18	5,91.18	0.00
	पुनर्वि० (-)5,08.82}			
₹ 5,08.82 लाख की प्रत्याशित बचत खाद्यानों एवं अन्य सामग्रियों की निविदा में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण हुई थी।				
22.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 30,47.00}	4,26.24	4,25.22	(-)1.02
	पुनर्वि० (-)26,20.76}			
₹ 26,20.76 लाख की प्रत्याशित बचत सिस्टम इंटरगेटर के चयन में विलम्ब के कारण हुई थी।				
23.	35 कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,72.95	1,72.57	(-)0.38
	पुनर्वि० (-)3,27.05}			
₹ 3,27.05 लाख की प्रत्याशित बचत अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन नहीं होने के कारण हुई थी।				
24.	38 बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 1,82,88.00}	78,87.48	78,87.48	0.00
	पुनर्वि० (-)1,04,00.52}			
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 13,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई जबकि ₹ 91,00.52 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब होने के फलस्वरूप चीनी की कमी (₹ 57,00.00 लाख), (ii) वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 25,00.52 लाख) एवं (iii) निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब (₹ 9,00.00 लाख) के कारण हुई थी।				
25.	40 पात्र गृहस्थ योजना/ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना/अतिरिक्त ग्रामीण बी०पी०एल० योजना/ए०पी०एल० (योजना)			
	मूल 2,77,50.43}	1,96,22.32	1,96,22.32	0.00
	पुनर्वि० (-)81,28.11}			
बी०पी०एल० परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण ₹ 7,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई जबकि ₹ 88,28.11 लाख की प्रत्याशित बचत (i) खाद्यानों का उठाव नहीं होने (₹ 28,00.00 लाख) एवं (ii) वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 10,28.11 लाख) के कारण हुई थी।				

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
26.	42 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित एवं बी०पी०एल० परिवारों को एल०पी०जी० गैस वितरण (योजना)			
	अनुपूरक 5,00.00}	72.32	72.32	0.00
	पुनर्वि० (-)4,27.68}			

₹ 4,27.68 लाख की प्रत्याशित बचत समुचित संख्या में लाभुकों का चयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

	3475 अन्य सामान्य अर्थिक सेवाएं			
	106 भार और माप का विनियमन			
27.	08 माप एवं तौल का मानकीकरण (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 1,88.07}	1,47.19	1,47.19	0.00
	पुनर्वि० (-)40.88}			

₹ 40.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन निर्धारण में विलम्ब (₹ 36.36 लाख) एवं मितव्ययिता के उपायों (₹ 3.95 लाख) के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	3456 सिविल पूर्ति			
	102 सिविल पूर्ति योजना			
1.	29 बी०पी०एल० परिवारों को धोती साड़ी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 35.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)35.00}			

योजना का प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण ₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

2.	41 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			

वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 29 बी०पी०एल० परिवारों को धोती साड़ी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 45.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)45.00}			
योजना का प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण ₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
4.	41 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण (योजना)			
	मूल 1,40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,40.00}			

वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत की राशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण ₹ 1,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 19 - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
राजस्व :			
मूल	4,92,54,23}	5,04,91,16	4,20,83,89
अनुपूरक	12,36,93}		(-)84,07,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			79,51,35
(22 जनवरी 2016 : 5,33,49			
15 फरवरी 2016 : 57,54			
31 मार्च 2016 : 73,60,32)			

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 84,07.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹5,94.76 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 6,35.01 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 7.16 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,36.93 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 79,51.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 84,07.27 लाख) से ₹ 4,55.92 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 48-वन सीमा का सुदृढीकरण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,69.37 लाख की बचत, जो कि ₹ 33,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 वानिकी			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
1.	01 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल	42,52.89}	38,81.86	37,24.42
	अनुपूरक	34.87}		(-)1,57.44
	पुनवि०	(-)4,05.90}		

₹ 5,63.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण 02 वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,58.95	1,58.87	(-)0.08
	पुनर्वि० (-)41.05}			
3.	004 अनुसंधान 02 अन्य अनुसंधान (गैर-योजना)			
	मूल 4,45.77}	3,26.89	3,24.90	(-)1.99
	पुनर्वि० (-)1,18.88}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 41.05 लाख एवं ₹ 1,18.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

4.	005 वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 01 वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,15.92	2,17.21	+1.29
	पुनर्वि० (-)34.08}			

₹ 34.08 लाख की प्रत्याशित बचत शोध पौधाशालाओं का रखरखाव एवं शोध से संबंधित कार्यों का सम्पादन नहीं हो पाने के कारण हुई थी। ₹ 1.29 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 वन कूपों की स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 7,13.05}	4,97.59	5,39.65	+42.06
	अनुपूरक 0.22}			
	पुनर्वि० (-)2,15.68}			

₹ 57.54 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी, ₹ 1,58.14 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 42.06 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	20 वन प्रचार (योजना)			
	मूल 1,70.00}	1,51.02	1,06.79	(-)44.23
	पुनर्वि० (-)18.98}			
₹ 63.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
7.	24 वन्य प्राणी संरक्षण (योजना)			
	मूल 7,50.00}	6,56.93	6,46.32	(-)10.61
	पुनर्वि० (-)93.07}			
₹ 93.07 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
8.	45 वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,25.79	1,84.66	(-)41.13
	पुनर्वि० (-)74.21}			
₹ 1,15.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
9.	47 वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें (योजना)			
	मूल 7,00.00}	5,05.51	4,73.37	(-)32.14
	पुनर्वि० (-)1,94.49}			
₹ 1.94.49 लाख की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 32.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
10.	110 भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय			
	37 इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,50.00}	1,08.79	62.32	(-)46.47
	पुनर्वि० (-)4,41.21}			
₹ 4,87.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
11.	13	पथ तट रोपण-सह-शहरी वानिकी (योजना)			
	मूल	16,52.70}	16,42.35	16,27.92	(-)14.43
	अनुपूरक	2,55.02}			
	पुनर्वि०	(-)2,65.37}			
₹ 2,65.37 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 14.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।					
12.	37	इंटेन्सीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (केन्द्रांश-75 : राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	50.00}	36.69	17.01	(-)19.68
	अनुपूरक	18.00}			
	पुनर्वि०	(-)31.31}			
₹ 50.99 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।					
13.	06	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना (योजना)			
	मूल	31,87.51}	31,87.51	25,93.01	(-)5,94.50
₹ 5,94.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।					
14.	09	लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल	9,93.38}	7,44.08	7,71.96	+27.88
	पुनर्वि०	(-)2,49.30}			
₹ 2,21.42 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।					

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	13 पथ तट रोपण सह-शहरी वानिकी (योजना)			
	मूल 18,10.98}	17,20.53	14,14.65	(-)3,05.88
	पुनर्वि० (-)90.45}			
16.	39 स्थाई पौधशाला एवं सीड आर्चड (योजना)			
	मूल 44.44}	42.35	38.09	(-)4.26
	अनुपूरक 25.94}			
	पुनर्वि० (-)28.03}			
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीव परिरक्षण			
17.	03 हाथी परियोजना (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 1,50.00}	62.42	55.17	(-)7.25
	पुनर्वि० (-)87.58}			
उपर्युक्त तीनों मामलों में ₹ 3,96.33 लाख, ₹ 32.29 लाख एवं ₹ 94.83 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
18.	08 पलामू व्याघ्र परियोजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय (के०यो०यो०)			
	मूल 3,00.00}	1,19.44	1,18.14	(-)1.30
	पुनर्वि० (-)1,80.56}			
19.	21 व्याघ्र परियोजना, पलामू (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,25.00}	78.54	78.51	(-)0.03
	पुनर्वि० (-)46.46}			
20.	21 व्याघ्र परियोजना, पलामू (योजना)			
	अनुपूरक 1,25.00}	78.54	78.51	(-)0.03
	पुनर्वि० (-)46.46}			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
21.	02 अभ्यारण्य- हाथी भगाने के लिये (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 50.00}	17.40	16.40	(-)1.00
	पुनर्वि० (-)32.60}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,80.56 लाख, ₹ 46.46 लाख, ₹ 46.46 लाख एवं ₹ 32.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
22.	02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना (योजना)			
	मूल 1,03.00}	32.97	27.36	(-)5.61
	पुनर्वि० (-)70.03}			

₹ 70.03 लाख की प्रत्याशित बचत वरीय पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 5.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण, विकास एवं संपोषण			
1.	46 इको-टूरिजम (योजना)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			

इस योजना हेतु डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
110	भूतपूर्व जमींदारी वन सम्पदाओं के प्रबंध पर व्यय			
2.	49 ग्रीन इंडिया मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,75.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,75.00}			
3.	49 ग्रीन इंडिया मिशन (योजना)			
	मूल 1,25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.00}			
4.	51 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 16,05.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)16,05.00}			
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
5.	51 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 6,95.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)6,95.00}			
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीव परिरक्षण			
6.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
7.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	04 वन रोपण तथा परिस्थितिकी विकास			
	101 राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम			
9.	01 जाईका-ओ॰डी॰ए॰ संपोषित प्रोजेक्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड एण्ड फॉरेस्ट्री फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (पलास) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

जापान सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

(v) निम्नलिखित मामले में अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01 वानिकी			
101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
06 भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (योजना)			
मूल 23,63.79}	28,63.79	32,18.43	+3,54.64
अनुपूरक 5,00.00}			

₹ 3,54.64 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2230	श्रम एवं नियोजन		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	24,90,44,54}	27,65,89,70	18,18,63,17	(-)9,47,26,53
अनुपूरक	2,75,45,16}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,37,93,37
(14 अगस्त 2015	: 65,86,13			
31 मार्च 2016	: 8,72,07,24)			

पूंजी :

मूल	4,29,03,04}	5,37,95,17	3,39,86,98	(-)1,98,08,19
अनुपूरक	1,08,92,13}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,20,47,19
(31 मार्च 2016)				

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 9,47,26.53 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 1,26,13.82 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,36,83.13 लाख) एवं मार्च 2016 (₹ 12,48.21 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,75,45.16 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,37,93.37 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,47,26.53 लाख) से ₹ 9,33.16 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 13-सदर अस्पताल (गैर-योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 20-अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कर्मचारी एवं सफाई सेवाएं, सुरक्षा एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर इत्यादि के लिए आउटसोर्सिंग (योजना), 43-विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयों आयुष सहित) हेतु मशीन उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा, सामग्रियों का क्रय (योजना), 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 04-रेफरल अस्पताल (गैर-योजना) एवं 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 12-एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,93.51 लाख, ₹ 1,20.92 लाख, ₹ 1,15.86 लाख, ₹ 3,10.17 लाख एवं ₹ 1,17.68 लाख की बचत जो कि क्रमशः ₹ 71,42.04 लाख, ₹ 20,00.00 लाख, ₹ 40,00.00 लाख, ₹ 38,06.14 लाख एवं ₹ 16,80.14 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 001 निदेशन और प्रशासन 02 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (गैर-योजना)			
	मूल 17,30.93}	13,80.40	13,86.77	+6.37
	अनुपूरक 8.75}			
	पुनर्वि० (-)3,59.28}			
	₹ 3,52.91 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
2.	04 अधीक्षण (योजना)			
	मूल 88.13}	47.54	47.54	0.00
	पुनर्वि० (-)40.59}			
	₹ 40.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
3.	05 गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को चिकित्सा सहायता (हृदय, किडनी एवं कैंसर रोग) (योजना)			
	मूल 60,00.00}	52,69.85	52,21.06	(-)48.79
	पुनर्वि० (-)7,30.15}			
	₹ 7,78.94 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	16 अंधेपन की रोकथाम (योजना)			
	मूल 68.86}	16.28	16.28	0.00
	पुनर्वि० (-)52.58}			
5.	20 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 3,00.00}	34.43	34.43	0.00
	पुनर्वि० (-)2,65.57}			
6.	28 अंधेपन की रोकथाम (योजना)			
	मूल 64.16}	32.52	32.52	0.00
	पुनर्वि० (-)31.64}			
	103 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना			
7.	39 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,90,00.00}	3,08,75.32	3,08,75.32	0.00
	पुनर्वि०(-)3,81,24.68}			
8.	39 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०) (योजना)			
	मूल 2,30,00.00}	2,27,52.87	2,27,52.87	0.00
	अनुपूरक 63,39.00}			
	पुनर्वि० (-)65,86.13}			
9.	45 राष्ट्रीय एड्स एवं एस०टी०डी० नियंत्रण कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 27,00.00}	12,42.65	12,42.65	0.00
	पुनर्वि० (-)14,57.35}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	104 43 चिकित्सा भंडार डिपो विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयों आयुष सहित) मशीन एवं उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा सामग्रियों का क्रय (योजना)			
	मूल 40,00.00}	35,60.85	35,60.85	0.00
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० (-)6,39.15			
11.	109 स्कूल स्वास्थ्य योजना 40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए०एन०एम०/जी०एन०एम०स्कूल) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50,00.00}	5,05.33	5,05.33	0.00
	पुनर्वि० (-)44,94.67}			
12.	110 अस्पताल तथा औषधालय 05 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,31.48	1,31.40	(-)0.08
	पुनर्वि० (-)68.52}			
13.	14 अवर प्रमंडलीय अस्पताल (गैर-योजना)			
	मूल 23.54.49}	17,48.25	17,47.95	(-)0.30
	पुनर्वि० (-)6,06.24}			
14.	15 इटकी सैनेटोरियम (गैर-योजना)			
	मूल 8,97.05}	7,04.62	7,04.42	(-)0.20
	पुनर्वि० (-)1,92.43}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	24 झाखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी स्तर के अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कर्मचारी एवं सफाई सेवाएं, सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेन्टर इत्यादि के लिए आउटसोर्सिंग (योजना)			
	मूल 24,03.00}	7,38.44	7,38.44	0.00
	पुनर्वि० (-)16,64.56}			
उपर्युक्त बारह मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
16.	28 रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (योजना)			
	मूल 1,50.00}	92.54	84.46	(-)8.08
	पुनर्वि० (-)57.46}			
₹ 65.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
17.	30 भाईबिलिटी गैप फन्डिंग फॉर सेटिंग ऑफ मेडिको सिटी एण्ड न्यू मेडिकल कॉलेज अन्डर प्राईवेट/पब्लिक सेक्टर (योजना)			
	मूल 2,00.00}	59.96	59.96	0.00
	पुनर्वि० (-)1,40.04}			
18.	47 झाखण्ड राज्य में जेनेटिक स्क्रीनिंग योजना (योजना)			
	अनुपूरक 3,00.00}	26.05	26.05	0.00
	पुनर्वि० (-)2,73.95}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
19.	46	पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (योजना)			
	मूल	10,00.00}	33.83	33.83	0.00
	पुनर्वि०	(-)9,66.17}			
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
20.	12	एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल	1,45.77}	2,89.68	2,89.68	0.00
	अनुपूरक	3,70.60}			
	पुनर्वि०	(-)2,26.69}			
21.	43	विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान/कार्यालयों आयुष सहित) मशीन एवं उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर, दवा सामग्रियों का क्रय (योजना)			
	मूल	40,00.00}	33,06.88	33,06.88	0.00
	पुनर्वि०	(-)6,93.12}			
	02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
	101	आयुर्वेद			
22.	01	देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल	10,11.81}	8,79.20	8,77.76	(-)1.44
	अनुपूरक	11.45}			
	पुनर्वि०	(-)1,44.06}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	26 अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (योजना)			
	अनुपूरक 80.00}	16.79	16.79	0.00
	पुनर्वि० (-)63.21			
24.	200 अन्य पद्धतियाँ			
	02 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय-राजकीय यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय अस्पताल, गोड्डा (योजना)			
	मूल 54.42}	98.25	98.25	0.00
	अनुपूरक 1,17.10}			
	पुनर्वि० (-)73.27}			
25.	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
	101 स्वास्थ्य उप-केन्द्र			
	02 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 50,22.73}	44,15.34	44,15.58	+0.24
	अनुपूरक 0.20}			
	पुनर्वि० (-)6,07.59}			
उपर्युक्त नौ मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
26.	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 1,70,32.59}	1,53,02.40	1,52,96.86	(-)5.54
	अनुपूरक 62.52}			
	पुनर्वि० (-)17,92.71}			
27.	03 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 98,85.29}	70,97.28	70,91.54	(-)5.74
	अनुपूरक 0.75}			
	पुनर्वि० (-)27,88.76}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 17,98.25 लाख एवं ₹ 27,94.50 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
28.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 19 एम०एस०डी०पी० योजनाएँ (योजना)			
	मूल 3,24.00}	1,73.03	1,73.02	0.00
	अनुपूरक 78.52}			
	पुनर्वि० (-)2,29.50}			
29.	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 03 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (गैर-योजना)			
	मूल 8,25.60}	6,14.45	6,13.92	(-)0.53
	अनपूरक 11.35}			
	पुनर्वि० (-)2,22.50}			
30.	102 होमियोपैथी 01 होम्योपैथी-औषधालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,98.50}	2,32.53	2,32.53	0-00
	अनुपूरक 26.37}			
	पुनर्वि० (-)92.34}			
31.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105 एलोपैथी 02 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद (गैर-योजना)			
	मूल 13,21.89}	12,85.39	12,85.39	0.00
	अनुपूरक 2,15.80}			
	पुनर्वि० (-)2,52.30}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
32.	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 लोक स्वास्थ्य संस्थान (गैर योजना)			
	मूल 2,61.83}	2,13.72	2,12.17	(-)1.55
	अनुपूरक 40.00}			
	पुनर्वि० (-)88.11}			
33.	17 औषधि एवं खाद्य प्रशासन का स्वचालन (योजना)			
	मूल 2,96.00}	1,38.76	1,38.76	0.00
	पुनर्वि० (-)1,57.24}			
उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
34.	101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 01 अन्यान्य औषधालय (टी०बी० निरोधक कार्यक्रम) (गैर-योजना)			
	मूल 11,74.00}	11,56.62	11,54.06	(-)2.56
	अनुपूरक 1,17.71}			
	पुनर्वि० (-)1,35.09}			
35.	03 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (गैर-योजना)			
	मूल 16,29.58}	12,06.20	11,78.76	(-)27.44
	अनुपूरक 2.40}			
	पुनर्वि० (-)4,25.78}			
36.	05 अन्यान्य औषधालय (कुष्ठ निरोधक कार्यक्रम) (गैर-योजना)			
	मूल 17,73.20}	16,37.62	16,26.98	(-)10.64
	अनुपूरक 81.28}			
	पुनर्वि० (-)2,16.86}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,37.65 लाख, ₹ 4,53.22 लाख एवं ₹ 2,27.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
37.	10 संचारी रोग (मलेरिया) कार्यालय (योजना)			
	मूल 13,00.00}	7,75.10	7,75.10	0.00
	पुनर्वि० (-)5,24.90}			
38	11 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम डी०डी०टी० छिड़काव (मजदूरी) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,65.05	1,65.05	0.00
	पुनर्वि० (-)34.95}			
39.	13 गैर-संचारी रोग (कुष्ठ) (योजना)			
	मूल 2,78.85}	2,06.14	2,06.11	(-)0.03
	पुनर्वि० (-)72.71}			
	104 औषध नियंत्रण			
40.	01 औषध नियंत्रण स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 4,55.20}	3,08.93	3,07.87	(-)1.06
	पुनर्वि० (-)1,46.27}			
	113 लोक स्वास्थ्य प्रचार			
41.	16 अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों के पास साईन बोर्ड का प्रावधान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	2,50.00	2,50.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	2211 परिवार कल्याण			
	001 निदेशन और प्रशासन			
42.	02 तकनीकी परामर्श एवं राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के०यो०यो०)			
	मूल 6,74.39}	2,32.43	2,32.43	0.00
	पुनर्वि० (-)4,41.96}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
43.	03 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण- जिला परिवार कल्याण ब्यूरो (के०यो०यो०)			
	मूल 12,49.60}	6,68.88	6,68.88	0.00
	पुनर्वि० (-)5,80.72}			
	003 प्रशिक्षण			
44.	04 ए०एन०एम० स्कूल/ एल०एच०भी० स्कूल (के०यो०यो०)			
	मूल 6,00.00}	2,23.04	2,22.84	(-)0.20
	पुनर्वि० (-)3,76.96}			
45.	05 परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग (के०यो०यो०)			
	मूल 1,15.00}	31.16	31.16	0.00
	पुनर्वि० (-)83.84}			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
46.	01 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 1,00,00.00}	59,70.76	59,70.76	0.00
	पुनर्वि० (-)40,29.24}			
	102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
47.	01 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 3,60.00}	1,06.46	1,06.46	0.00
	पुनर्वि० (-)2,53.54}			
उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
	103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य			
48.	01 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
	मूल 6,34.11}	3,14.82	3,13.38	(-)1.44
	पुनर्वि० (-)3,19.29}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	090 सचिवालय			
49.	07 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,41.45}	2,66.33	2,66.33	0.00
	अनुपूरक 18.90}			
	पुनर्वि० (-)94.02}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,19.29 लाख एवं ₹ 94.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
	001 निदेशन और प्रशासन			
1.	37 राज्य स्तरीय आई०ई०सी०/बी०सी०सी० ब्यूरो की स्थापना एवं विकास (योजना)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			
2.	41 नई चालू योजनाओं के लिए राज्यांश (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
	109 स्कूल स्वास्थ्य योजना			
3.	40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए०एन०एम०/जी०एन०एम० स्कूल) (योजना)			
	मूल 8,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)8,00.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	110 36 अस्पताल तथा औषधालय रिम्स में जेनेटिक विंग्स की स्थापना एवं विकास (योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल 3,00.00}			
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			
5.	200 46 अन्य पद्धतियाँ पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)10,00.00}			
6.	796 46 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि (योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल 20,00.00}			
	पुनर्वि० (-)20,00.00}			
उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
7.	02 21 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ अन्य पद्धतियाँ जिला संयुक्त औषधालय (के०यो०यो०)	0.00	0.00	00.00
	मूल 4,20.00}			
	पुनर्वि० (-)4,20.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	22 पंचकर्म की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,64.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,64.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 4,20.00 लाख एवं ₹ 2,64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
9.	25 राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र आमला एवं सहजन का प्लान्टेशन एवं झारखंड राज्य मेडिसीनल प्लांट बोर्ड तथा जिला समिति की स्थापना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.00}			
10.	27 राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 4,45.43}	4,45.43	0.00	(-)4,45.43
11.	27 राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (योजना)			
	अनुपूरक 1,48.48}	1,48.48	0.00	(-)1,48.48
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
12.	27 राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 90.25}	90.25	0.00	(-)90.25
13.	27 राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (योजना)			
	अनुपूरक 30.08}	30.08	0.00	(-)30.08

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 18 आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री (के०यो०यो०)			
	मूल 1,08.06}	0.00	0.00	0-00
	पुनर्वि० (-)1,08.06}			
15.	19 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मैसी कॉलेज, चाईबासा (के०यो०यो०)			
	मूल 1,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 1,08.06 लाख एवं ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
16.	27 राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 89.05}	89.05	0.00	(-)89.05
	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
	101 आयुर्वेद			
17.	17 राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,75.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,75.00}			
18.	17 राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	105 एलोपैथी 16 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० कोर्सेज) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 17,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)17,00.00}			
20.	16 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० कोर्सेज) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
21.	21 हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30,00.00}			
22.	21 हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (योजना)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			
23.	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 18 ब्लड बैंक का प्रचालन (योजना)			
	मूल 2,12.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,12.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2230 श्रम तथा रोजगार			
01 श्रम			
103 सामान्य श्रम कल्याण			
24. 42 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के०प्रा०यो०)			
अनुपूरक 25,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)25,00.00}			
25. 42 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
अनुपूरक 8,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)8,00.00}			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
26. 42 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के०प्रा०यो०)			
अनुपूरक 10,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)10,00.00}			
27. 42 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
अनुपूरक 4,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)4,00.00}			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
28. 42 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के०प्रा०यो०)			
अनुपूरक 25,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)25,00.00}			
29. 42 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
अनुपूरक 8,00.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)8,00.00}			

उपर्युक्त चौदह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

पूँजी :

- (v) ₹ 1,98,08.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 40,92.13 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 24,00.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 44,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,08,92.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,20,47.19 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,98,08.19 लाख) से ₹ 22,39.00 लाख अधिक था।
- (vii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत -
	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
	109 स्कूल स्वास्थ्य योजना			
1.	16 फार्मोसी-भवनों का जीर्णोद्धार (विशेष मरम्मत, मेडिसीनल गार्डन एवं अन्य निर्माण-कार्य हेतु) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	49.43	49.43	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.57}			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
2.	14 प्रमंडलीय मुख्यालय में क्षेत्रीय अस्पताल (योजना)			
	मूल 8,00.00}	3,25.00	3,25.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,75.00}			
3.	18 बर्न युनिट (योजना)			
	मूल 10,00.00}	8,24.47	6,82.97	(-)1,41.50
	अनुपूरक 5,00.00}			
	पुनर्वि० (-)6,75.53}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,50.57 लाख एवं ₹ 4,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत -
4.	21 जिला अन्तर्गत खाद्य एवं औषधि कार्यालय (योजना)			
	मूल 5,00.00}	6,02.54	5,78.67	(-)23.87
	अनुपूरक 3,50.00}			
	पुनर्वि० (-)2,47.46}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 8,17.03 लाख एवं ₹ 2.71.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
5.	24 नये एम्बुलेंस का क्रय (परिचालन व्यय सहित) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,29.93	4,29.93	0.00
	पुनर्वि० (-)70.07}			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
6.	27 जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में फिजियोथेरापी सेन्टर की स्थापना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	77.98	77.98	0.00
	पुनर्वि० (-)3,22.02}			
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
7.	24 भवनें-सदर अस्पताल एवं अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,48.38	1,48.38	0.00
	पुनर्वि० (-)3,51.62}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 70.07 लाख, ₹ 3,22.02 लाख एवं ₹ 3,51.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत -	
8.	34	भवनें- अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
		मूल 5,00.00}	3,97.76	3,26.74	(-)71.02
		पुनर्वि० (-)1,02.24}			
	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
9.	05	भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना- भवनें (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
		मूल 10,00.00}	6,94.74	6,75.26	(-)19.48
		पुनर्वि० (-)3,05.26}			
10.	06	भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीन उपकरण सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
		मूल 15,00.00}	12,15.76	11,97.29	(-)18.47
		अनुपूरक 1,68.00}			
		पुनर्वि० (-)4,52.24}			
<p>उपर्युक्त तीनों मामलों में ₹ 1,73.26 लाख, ₹ 3,24.74 लाख एवं ₹ 4,70.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>					
11.	66	स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मोडल स्वास्थ्य उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विकास (योजना)			
		मूल 10,00.00}	6,67.35	6,67.35	0.00
		पुनर्वि० (-)3,32.65}			

₹ 3,32.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत -
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना- भवनों- (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	10,81.84	9,73.23	(-)1,08.61
	पुनर्वि० (-)4,18.16}			
₹ 5,26.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
13.	48 दुमका एवं खरसावां में 500 शय्यावाले अस्पताल का निर्माण (योजना)			
	मूल 40,00.00}	19,90.24	19,90.81	+0.57
	पुनर्वि० (-)20,09.76}			
₹ 20,09.19 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 ऐलापैथी			
14.	04 ए०एन०एम० विद्यालय का निर्माण-भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 3,25.00}	2,33.11	2,33.11	0.00
	पुनर्वि० (-)91.89}			
₹ 91.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 अस्पताल तथा औषधालय 17 औषधालय (यक्ष्मा)- संचारी रोग केन्द्र, इटकी का क्रियान्वयन (भवन निर्माण/मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 90.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)90.00}			
2.	25 चाईबासा एवं राँची में निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
3.	28 जिला अस्पतालों में आई०सी०यू० की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 26 जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डायलिसिस सेन्टर की स्थापना (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत -
	02	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ		
	103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
5.	07	भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)		
	मूल	5,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,00.00}		0.00
	110	अस्पताल तथा औषधालय		
6.	26	भवनें- (मशीन एवं उपकरण सहित) रेफरल अस्पताल का निर्माण (योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		0.00
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
7.	63	आयुष निदेशालय, आयुष चिकित्सा परिषद ड्रग कंट्रोलर (कार्यालय) (योजना)		
	मूल	60.67}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)60.67}		0.00
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
8.	29	सदर अस्पताल, राँची का 500 शय्या वाले अस्पताल के रूप में उत्क्रमण (योजना)		
	मूल	6,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)6,00.00}		0.00
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
9.	56	राँची में झारखंड राज्य कैंसर अस्पताल एवं शोध केन्द्र (योजना)		
	मूल	5,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,00.00}		0.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
10.	07 पी०एम०सी०एच०, धनबाद एवं एम०जी०एम०सी०एच०, जमशेदपुर में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,00.00}			

उपर्युक्त दस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(ix) निम्नलिखित मामलों में अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ			
	110 अस्पताल तथा औषाधालय			
1.	02 सिविल सर्जन कार्यालय (योजना)			
	मूल 1,00.00}	26.20	41.57	+15.37
	पुनर्वि० (-)73.80}			
2.	03 सदर में आवासीय क्वार्टर, सब-डिवीजन अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल का निर्माण (योजना)			
	मूल 30,00.00}	12,01.65	13,93.32	+1,19.67
	पुनर्वि० (-)17,98.35}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	04 स्वास्थ्य निदेशालय (ड्रग्स एवं फूड सहित) भवनें (योजना)			
	मूल 3,50.00}	3,92.48	5,84.97	+1,92.49
	अनुपूरक 3,20.00}			
	पुनर्वि० (-)2,77.52}			
4.	19 वेयर हाउस (योजना)			
	मूल 10,00.00}	15,09.69	16,06.11	+96.42
	अनुपूरक 16,00.00}			
	पुनर्वि० (-)10,90.31}			
5.	20 पोस्टमार्टम हाउस एवं मर्चरी (योजना)			
	मूल 10,00.00}	5,40.95	6,17.44	+76.49
	पुनर्वि० (-)4,59.05}			
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
6.	08 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 25,00.00}	27,12.25	29,08.91	+1,96.66
	अनुपूरक 8,52.00}			
	पुनर्वि० (-)6,39.75}			
7.	09 भवन निर्माण - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,74.04	15,39.30	+4,65.26
	अनुपूरक 6,00.00}			
	पुनर्वि० (-)5,25.96}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	10 भवनें - स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 20,00.00}	17,82.40	20,56.35	+2,73.95
	अनुपूरक 15,00.00}			
	पुनर्वि० (-)17,17.60}			
9.	17. भवनें-पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 27,95.00}	14,24.37	16,88.55	+2,64.18
	अनुपूरक 3,00.00}			
	पुनर्वि० (-)16,70.63}			
10.	36 ब्लड बैंक (योजना)			
	मूल 10,00.00}	2,03.00	2,13.33	+10.33
	पुनर्वि० (-)7,97.00}			
11.	64 जिला संयुक्त आयुष अस्पताल और औषधालय (योजना)			
	मूल 10,30.00}	9,92.76	11,29.65	+1,36.89
	अनुपूरक 5,06.00}			
	पुनर्वि० (-)5,43.24}			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
12.	07 भवनें- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	3,37.32	3,52.39	+15.07
	पुनर्वि० (-)1,62.68}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना भवनें- (मशीन एवं उपकरण सहित) एम०जी०एम० कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 27,74.23}	32,10.75	33,74.20	+1,63.45
	अनुपूरक 16,63.37}			
	पुनर्वि० (-)12,26.85}			
14.	39 भवनें- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 30,00.00}	31,49.63	34,73.10	+3,23.47
	अनुपूरक 6,80.00}			
	पुनर्वि० (-)5,30.37}			
15.	40 भवनें- स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 30,00.00}	23,37.06	24,61.45	+1,24.39
	अनुपूरक 3,00.00}			
	पुनर्वि० (-)9,62.94}			
16.	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	200 अन्य पद्धतियाँ			
	02 राजकीय यूनानी कॉलेज अस्पताल गिरिडीह तथा राजकीय होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, गोड्डा का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 9,13.14}	11,32.53	12,09.77	+75.24
	अनुपूरक 5,94.00}			
	पुनर्वि० (-)3,74.61}			

उपर्युक्त सोलह मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 21 - उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2202 सामान्य शिक्षा			
राजस्व :			
मूल	10,01,84,64}	10,59,98,71	7,76,28,99
अनुपूरक	58,14,07}		(-)2,83,69,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			2,60,45,87

टीका और टिप्पणियाँ:

- ₹ 2,83,69.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 29,49.99 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 23,10.16 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 5,53.92 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 58,14.07 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,60,45.87 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,83,69.72 लाख) से ₹ 23,23.85 लाख कम था।
- शीर्ष 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 01-बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (गैर-योजना), 02-सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका (गैर-योजना), 04-राँची विश्वविद्यालय, राँची (गैर-योजना), 15-कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा (गैर-योजना) एवं 86-15.11.2000 के बाद बकाया - राँची विश्वविद्यालय, राँची (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 6,86.92 लाख, ₹ 5,18.17 लाख, ₹ 14,35.33 लाख, ₹ 2,61.52 लाख एवं ₹ 3,14.41 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,41,78.07 लाख, ₹ 74,70.00 लाख, ₹ 2,32,32.94 लाख, ₹ 67,77.00 लाख एवं ₹ 37,80.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	001 निदेशन और प्रशासन			
1.	01 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल	1,65.81}	1,20.78	1,20.78
	अनुपूरक	4.99}		0.00
	पुनर्वि०	(-)50.02}		

₹ 50.02 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवानिवृति (₹ 30.70 लाख), एस.बी. सिन्हा कमीशन के विपत्र का प्राप्त नहीं होने (₹ 11.19 लाख) एवं मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 8.13 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
2.	102 06	विश्वविद्यालयों को सहायता वित्त रहित शिक्षा हेतु संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	7,50.00}	15,00.00	12,98.40	(-)2,01.60
	अनुपूरक	7,50.00}			

₹ 2,01.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	10	नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू (गैर-योजना)			
	मूल	23,33.31}	19,84.70	19,84.70	0.00
	पुनर्वि०	(-)3,48.61}			

₹ 3,48.61 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

4.	79	केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल	9,30.93}	14,53.13	14,53.13	0.00
	अनुपूरक	8,26.18}			
	पुनर्वि०	(-)3,03.98}			

₹ 3,03.98 लाख के अंतिम बचत में से, ₹ 2,79.28 लाख की बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
₹ 24.71 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	79	केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (योजना)			
	मूल	5,01.27}	9,68.75	9,68.75	0.00
	अनुपूरक	6,18.49}			
	पुनर्वि०	(-)1,51.01}			

₹ 1,51.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹ 1,50.00 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	81 15.11.2000 के पूर्व का बकाया- राँची विश्वविद्यालय, राँची (गैर-योजना)			
	मूल 1,80.00}	3.61	3.61	0.00
	पुनर्वि० (-)1,76.39}			
7.	83 15.11.2000 के पूर्व का बकाया- सिद्धु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (गैर-योजना)			
	मूल 90.00}	0.05	0.05	0.00
	पुनर्वि० (-)89.95}			
8.	87 15.11.2000 के पूर्व का बकाया- बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (गैर-योजना)			
	मूल 50,60.00}	11,12.38	11,12.38	0.00
	पुनर्वि० (-)39,47.62}			
9.	88 15.11.2000 के बाद का बकाया- सिद्धु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (गैर-योजना)			
	मूल 23,40.00}	8,46.15	8,46.15	0.00
	पुनर्वि० (-)14,93.85}			
10.	90 15.11.2000 के बाद का बकाया- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा (गैर-योजना)			
	मूल 13,96.00}	10,57.27	10,57.27	0.00
	पुनर्वि० (-)3,38.73}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 1,79.39 लाख, ₹ 89.95 लाख, ₹ 39,47.62 लाख, ₹ 14,93.85 लाख एवं ₹ 3,38.73 लाख की प्रत्याशित बचत विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 79 केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.18}	2,81.25	2,81.25	0.00
	अनुपूरक 1,59.90}			
	पुनर्वि० (-)58.83}			
₹ 58.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹ 54.05 लाख) के कारण हुई थी।				
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 9,00.00}	7,00.00	7,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
13.	44 राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु सिद्ध-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,00.00	2,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
14.	96 आर्किओलॉजी सेन्टर का विकास - राँची विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,92.15	1,92.15	0.00
	पुनर्वि० (-)1,07.85}			

₹ 1,07.85 लाख की प्रत्याशित बचत राँची विश्वविद्यालय, राँची से अतिरिक्त मांग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 23 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू का परिसर विकास (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
2.	27 नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
परिसर की अनुपलब्धता के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
3.	62 राँची विश्वविद्यालय, राँची- यू०जी०सी० बकाया वेतन (केन्द्रांश : 80) (गैर-योजना)			
	मूल 59,94.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)59,94.00}			
4.	63 विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग- यू०जी०सी० बकाया वेतन (केन्द्रांश : 80) (गैर-योजना)			
	मूल 26,37.58}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)26,37.58}			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	64 सिद्ध-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका- यू०जी०सी० बकाया वेतन (केन्द्रांश : 80) (गैर-योजना)			
	मूल 7,89.45}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,89.45}			
6.	65 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू- यू०जी०सी० बकाया वेतन (केन्द्रांश : 80) (गैर-योजना)			
	मूल 5,22.25}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,22.25}			
7.	66 कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा- यू०जी०सी० बकाया वेतन (केन्द्रांश : 80) (गैर-योजना)			
	मूल 16,68.15}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)16,68.15}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 59,94.00 लाख, ₹ 26,37.58 लाख, ₹ 7,89.45 लाख, ₹ 5,22.25 लाख एवं ₹ 16,68.15 लाख केन्द्र सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
8.	67 राँची विश्वविद्यालय, राँची- यू०जी०सी० बकाया वेतन (राज्यांश : 20) (गैर-योजना)			
	मूल 15,72.30}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15,72.30}			
9.	68 विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग- यू०जी०सी० बकाया वेतन (राज्यांश : 20) (गैर-योजना)			
	मूल 6,59.39}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)6,59.39}			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	69	सिद्धु-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका- यू०जी०सी० बकाया वेतन (राज्यांश : 20) (गैर-योजना)		
	मूल	1,97.37}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,97.37}		
11.	70	नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू- यू०जी०सी० बकाया वेतन (राज्यांश : 20) (गैर-योजना)		
	मूल	1,30.56}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,30.56}		
12.	71	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा- यू०जी०सी० बकाया वेतन (राज्यांश : 20) (गैर-योजना)		
	मूल	4,17.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,17.00}		
<p>उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 15,72.30 लाख, ₹ 6,59.39 लाख, ₹ 1,97.37 लाख, ₹ 1,30.56 लाख एवं ₹ 4,17.00 लाख भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
13.	74	सेमिनार/सिम्पोजियम एवं कान्फ्रेंस, बिनावा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (योजना)		
	मूल	40.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)40.00}		

विश्वविद्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	80 राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			
₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
15.	82 बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग - 15.11.2000 के पूर्व का बकाया (गैर-योजना)			
	मूल 95.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)95.00}			
विश्वविद्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 95.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 36 सिद्धु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के परिसर विकास हेतु सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			
17.	41 सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना हेतु सिद्धु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में विश्वविद्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	55	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान (योजना)		
		मूल 5,00.00}	0.00	0.00
		पुनर्वि० (-)5,00.00}		0.00
<p>पूर्व में विमुक्त की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
19.	56	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)		
		मूल 5,00.00}	0.00	0.00
		पुनर्वि० (-)5,00.00}		0.00
<p>₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
20.	76	सेमिनार/सिम्पोजियम एवं कान्फ्रेंस (राँची विश्वविद्यालय, राँची) (योजना)		
		मूल 45.00}	0.00	0.00
		पुनर्वि० (-)45.00}		0.00

विश्वविद्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2055	पुलिस		
2056	जेल		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
राजस्व :			
मूल	30,17,18,55}	32,79,99,89	30,81,07,93
अनुपूरक	2,62,81,34}		(-)1,98,91,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,98,89,52
(28 जनवरी 2016 : 2,49			
31 मार्च 2016 : 1,98,87,03)			
पूंजी :			
मूल	2,92,50,00}	3,74,59,07	2,10,80,94
अनुपूरक	82,09,07}		(-)1,63,78,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,62,70,74
(23 जुलाई 2015 : 5,75,88			
17 अगस्त 2015 : 9,83,01			
4 मार्च 2016 : 6,45			
31मार्च 2016 : 1,47,05,40)			

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 1,98,91.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 34,39.24 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,96,15.32 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 32,26.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,62,81.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

- (ii) शीर्ष-2055-पुलिस, 001-निदेशन और प्रशासन, 04-अधीक्षण (गैर-योजना), 104-विशेष पुलिस, 02-पैदल सैन्य पुलिस (गैर-योजना), 04-एस.टी.एफ. (जगुआर झारखण्ड) (गैर-योजना), 05-इंडिया रिजर्व बटालियन (गैर-योजना), 109-जिला पुलिस, 01-जिला कार्यकारी बल (गैर-योजना) तथा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 107-होमगार्ड, 01-ग्रामीण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 98.41 लाख, ₹ 6,65.29 लाख, ₹ 8,93.43 लाख, ₹ 10,38.37 लाख, ₹ 29,16.91 लाख एवं ₹ 4,63.33 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 15,27.96 लाख, ₹ 4,88,65.74 लाख, ₹ 1,16,32.89 लाख, ₹ 1,74,14.37 लाख, ₹ 15,54,81.85 लाख एवं ₹ 50,71.58 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	9,49.38	(-)0.11
	090	सचिवालय		
	03	गृह विभाग (गैर-योजना)		
	मूल	10,91.53}		
	अनुपूरक	10.00}		
	पुनर्वि०	(-)1,52.15}		
2.	092	अन्य कार्यालय	59.77	0.00
	02	स्थल, जल और वायु सैनिक का परिषद-मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)		
		मूल		
	अनुपूरक	0.87}		
	पुनर्वि०	(-) 34.40}		

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,52.15 लाख तथा ₹ 34.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	2055	पुलिस	1,12.23	0.00
	109	जिला पुलिस		
	70	जिला कार्यकारी बल - लोक सभा चुनाव, 2014 (गैर-योजना)		
	अनुपूरक	1,56.69}		
	पुनर्वि०	(-)44.46}		

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	97 प्रतिबंधित/कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 7,00.00}	2,98.55	2,98.55	0.00
	पुनर्वि० (-)4,01.45}			
उपर्युक्त दोनो मामलों में ₹ 44.46 लाख तथा ₹ 4,01.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
5.	110 ग्राम पुलिस			
	01 चौकीदार, दफादार स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 2,26,22.80}	1,69,61.60	1,69,50.45	(-)11.15
	पुनर्वि० (-)56,61.20}			
₹ 56,72.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
6.	02 मानकी मुण्डा डाकुआ के लिये सम्मान (गैर-योजना)			
	मूल 11,50.00}	9,41.80	9,41.80	0.00
	पुनर्वि० (-)2,08.20}			
7.	111 रेल पुलिस			
	01 बिना टिकट के यात्रियों के विरुद्ध अभियान (गैर-योजना)			
	मूल 1,85.67}	94.93	94.93	0.00
	पुनर्वि० (-)90.74}			
8.	02 आर्डर पुलिस (गैर-योजना)			
	मूल 57,74.91}	49,27.23	49,27.23	0.00
	अनुपूरक 1.00}			
	पुनर्वि० (-)8,48.68}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,08.20 लाख, ₹ 90.74 लाख तथा ₹ 8,48.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	114 बेतार और कम्प्यूटर 01 संकेत (गैर-योजना)			
	मूल 21,79.09}	19,15.34	19,15.39	+0.05
	अनुपूरक 5.55}			
	पुनर्वि० (-)2,69.30}			

₹ 24.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 2,44.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

10.	2056 जेल 001 निदेशन और प्रशासन 01 जेल निरीक्षणालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,18.81}	1,86.57	1,86.57	0.00
	पुनर्वि० (-)32.24}			

₹ 32.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

11.	101 जेल 02 जिला जेल (गैर-योजना)			
	मूल 53,58.07}	43,12.88	43,05.94	(-)6.94
	पुनर्वि० (-)10,45.19}			

₹ 10,52.13 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

12.	03 उप जेल (गैर-योजना)			
	मूल 9,13.03}	7,71.75	7,64.49	(-)7.26
	पुनर्वि० (-)1,41.28}			

₹ 42.74 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि एवं ₹ 1,84.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

13.	102 जेल उत्पाद 01 केन्द्रीय जेल (गैर-योजना)			
	मूल 4,00.00}	3,96.28	3,40.00	(-)56.28
	पुनर्वि० (-)3.72}			

₹ 60.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 105 विशेष जाँच आयोग 01 राज्य मानवाधिकार आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 1,89.45}	83.88	83.88	0.00
	पुनर्वि० (-)1,05.57}			
₹ 1,05.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
15.	800 अन्य व्यय 09 उग्रवादी घटनाओं में मारे गए/घायल कर्मी/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 8,00.00}	46.09	46.15	+ 0.06
	पुनर्वि० (-)7,53.91}			
₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 5,53.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
16.	10 उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	11.08	11.08	0.00
	पुनर्वि० (-)38.92}			
17.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य व्यय 03 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (गैर-योजना)			
	मूल 2,25.00}	1,45.93	1,45.93	0.00
	पुनर्वि० (-)79.07}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 38.92 लाख एवं ₹ 79.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2055 पुलिस			
001 निदेशन एवं प्रशासन			
07 असैनिक/सैनिक व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु व्यय (गैर-योजना)			
मूल 35.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)35.00}			

₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2055 पुलिस			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
1.	01 अभियोजन निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 22,78.81}	17,13.18	17,31.17	+17.99
	पुनर्वि० (-)5,65.63}			
	109 जिला पुलिस			
2.	98 पंचायत चुनाव, 2015 (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 30,48.92}	19,54.87	19,95.78	+40.91
	पुनर्वि० (-)10,94.05}			
	2056 जेल			
	101 जेल			
3.	01 केन्द्रीय जेल (गैर-योजना)			
	मूल 69,94.70}	52,91.49	53,45.58	+54.09
	पुनर्वि० (-)17,03.21}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 5,47.64 लाख, ₹ 10,53.14 लाख तथा ₹ 16,49.12 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

पूँजी:

- (v) ₹ 1,63,78.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 7,86.77 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 60,49.30 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 13,73.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 82,09.07 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,62,70.74 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,63,78.13 लाख) से ₹ 1,07.39 लाख कम था।
- (vii) शीर्ष 4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, 211-पुलिस आवास, 01-पुलिस का आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (गैर-योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, 67-पुलिस का आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 6,76.32 लाख एवं ₹ 1,12.34 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 75,12.31 लाख एवं ₹ 58,96.76 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 33 कारा कर्मियों के आवास निर्माण हेतु (योजना)			
	मूल 4,50.00}	3,40.12	3,40.12	0.00
	पुनर्वि० (-)1,09.88}			
2.	43 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,16.05}	40.28	40.28	0.00
	पुनर्वि० (-)13,75.77}			
3.	43 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 31,81.00}	24,02.52	24,02.52	0.00
	पुनर्वि० (-)7,78.48}			

₹ 1,02.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 7.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	45 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 11,55.00}	41.57	41.57	0.00
	पुनर्वि० (-)11,13.43}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 13,75.77 लाख, ₹ 7,78.48 लाख तथा ₹ 11,13.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
5.	45 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (योजना)			
	मूल 19,40.00}	2,70.42	2,70.42	0.00
	पुनर्वि० (-)16,69.58}			
₹ 16,69.58 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,40.76 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधि की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹ 11,28.82 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
6.	67 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 23,79.00}	11,60.14	11,60.14	0.00
	पुनर्वि० (-)12,18.86}			
7.	72 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (के०यो०यो०)			
	मूल 48,50.00}	5,24.25	5,24.25	0.00
	पुनर्वि० (-)43,25.75}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 12,18.86 लाख एवं ₹ 43,25.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
8.	73 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 40,00.00}	3,87.00	3,87.00	0.00
	पुनर्वि० (-)36,13.00}			

₹ 36,13.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	796 16	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना नए उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (योजना)		
	मूल 1,00.00}	10.01	10.01	0.00
	पुनर्वि० (-)89.99}			

₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 64.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

10.	28	कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौर्य घेराबंदी, चहारदीवारी एवं वाच टावर का निर्माण (योजना)		
	मूल 3,50.00}	3,34.36	3,09.28	(-)25.08
	पुनर्वि० (-)15.64}			

₹ 40.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

11.	32	कारा उद्योग सुदृढीकरण एवं व्यवस्था (योजना)		
	मूल 50.00}	12.26	12.26	0.00
	पुनर्वि० (-)37.74}			

₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 27.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

12.	33	कारा कर्मियों के आवास निर्माण हेतु (योजना)		
	मूल 1,50.00}	1,24.73	1,23.83	(-)0.90
	पुनर्वि० (-)25.27}			

निधि का अपर्याप्त उपबंध किये जाने के कारण ₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 15.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 42 कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
2.	74 अभियोजन निदेशालय/ कार्यालय का निर्माण/ सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 74 अभियोजन निदेशालय/ कार्यालय का निर्माण/ सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,70.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,70.00}			
4.	4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 63 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नागरिक सुरक्षा (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40.95}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.95}			
5.	63 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नागरिक सुरक्षा (योजना)			
	मूल 2,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	800 अन्य व्यय			
6.	62 नागरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,43.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,43.00}			
7.	65 अग्निशमन का सुदृढीकरण (के०यो०यो०)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
8.	65 अग्निशमन का सुदृढीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,45.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,45.00}			
9.	65 अग्निशमन का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 56.67}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)56.67}			

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग		
2852	उद्योग		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	3,62,06,93}	4,33,82,55	3,01,35,49	(-)1,32,47,06
अनुपूरक	71,75,62}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,29,47,77

पूंजी :

मूल	1,00,00}	1,00,00	1,00,00	00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 1,32,47.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 2,00.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 54,53.17 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 15,22.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 71,75.62 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,29,47.77 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,32,47.06 लाख) से ₹ 2,99.29 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
	102 लघु उद्योग			
1.	44 नये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना तथा भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,80.00}	97.48	97.48	0.00
	पुनर्वि० (-)82.52}			

₹ 82.52 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

2.	58 रोजगार हेतु कौशल विकास योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	3,48.22	3,48.22	0.00
	पुनर्वि० (-)51.78}			

₹ 51.78 लाख की प्रत्याशित बचत सी०आई०डी०सी० द्वारा प्रोग्रामर की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।

3.	103 हस्तकरघा उद्योग			
	18 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 5,40.00}	4,32.00	4,32.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,08.00}			

₹ 1,08.00 लाख की प्रत्याशित बचत झारक्राफ्ट द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप द्वितीय किशत का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी।

4.	60 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 1,00.00}	13.27	13.27	0.00
	पुनर्वि० (-)86.73}			

₹ 86.73 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि की विमुक्ति की संभावना नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	104 04 हस्तशिल्प उद्योग हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 4,90.00}	42.00	42.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,48.00}			
₹ 4,48.00 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा व्यापार का प्रशिक्षण कम संख्या में दिलाये जाने (₹ 4,23.00 लाख) एवं निकासी के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 25.00 लाख) के कारण हुई थी।				
6.	107 06 रेशम उत्पादन उद्योग रेशम के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 1,20.00}	58.06	58.06	0.00
	पुनर्वि० (-)61.94}			
₹ 61.94 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण हुई थी।				
7.	12 सिल्क दूतों के माध्यम से न्यूकिलियस सीड रियरींग (योजना)			
	मूल 2,00.00}	67.56	67.56	0.00
	पुनर्वि० (-)1,32.44}			
₹ 1,32.44 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 12.64 लाख की बचत तकनीकी कर्मचारियों की कमी एवं कोकुन का बचाव कम मात्रा में किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,19.80 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
8.	16 रेशम के विकास की योजना- केन्द्रीय परियोजना हेतु मैचिंग ग्रांट (योजना)			
	मूल 6,00.00}	19.49	19.49	0.00
	पुनर्वि० (-)5,80.51}			

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा योजनाओं को बंद किये जाने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई एवं ₹ 4,30.51 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा योजनाओं को बंद किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	29 तसर कीट पालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,38.17	1,38.17	0.00
	पुनर्वि० (-)61.83}			

₹ 61.83 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी कर्मचारियों की कमी एवं बेसिक सीड रीयरिंग के कारण हुई थी।

10.	62 रिलिंग स्पीनिंग के सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 18,37.00}	15,62.69	15,62.69	0.00
	पुनर्वि० (-)2,74.31}			

₹ 2,74.31 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
11.	04 हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 1,75.00}	82.01	82.01	0.00
	पुनर्वि० (-)92.99}			

₹ 92.99 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा व्यापार का प्रशिक्षण कम संख्या में दिलाये जाने (64.99 लाख) एवं निकासी के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 28.00 लाख) के कारण हुई थी।

12.	06 रेशम के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,34.52	1,34.52	0.00
	पुनर्वि० (-)40.48}			

₹ 40.48 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के फलस्वरूप विपत्र को पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

13.	18 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,57.00}	2,85.60	2,85.60	0.00
	पुनर्वि० (-)71.40}			

₹ 71.40 लाख की प्रत्याशित बचत झारक्राफ्ट द्वारा उपयोगित प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप द्वितीय किश्त का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	21 बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 50.00}	19.91	19.91	0.00
	पुनर्वि० (-)30.09}			

₹ 30.09 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

15.	26 रेशम दूतों के माध्यम से बेसिक सीड रियरिंग (योजना)			
	मूल 2,75.00}	1,04.45	1,04.45	0.00
	पुनर्वि० (-)1,70.55}			

₹ 1,70.55 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 24.06 लाख की बचत कोकुन का बचाव कम मात्रा में किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,46.49 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

16.	29 तसर कीटपालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,25.00}	2,45.54	2,45.54	0.00
	पुनर्वि० (-)1,79.46}			

₹ 1,79.46 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,12.74 लाख की बचत तकनीकी कर्मचारियों की कमी एवं बेसिक सीड रियरिंग के कारण हुई थी। ₹ 66.72 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

17.	33 आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (योजना)			
	मूल 8,00.00}	7,18.68	7,18.68	0.00
	पुनर्वि० (-)81.32}			

₹ 81.32 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के फलस्वरूप विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	43	हस्तशिल्प का विकास एन०आई०डी० अहमदाबाद के सहयोग से हैण्डलूम विकास संस्थान की स्थापना (योजना)		
	मूल	1,00.00}		
	अनुपूरक	4,92.45}	5,07.45	5,07.45
	पुनर्वि०	(-)85.00}		0.00

₹ 85.00 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र का समाशोधन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

19.	44	नये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना तथा भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (योजना)		
	मूल	4,00.00}	1,08.19	1,08.19
	पुनर्वि०	(-)2,91.81}		0.00

₹ 2,91.81 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 62.49 लाख की बचत विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
₹ 2,29.32 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

20.	46	रेशम का विकास रेशम दूतों के माध्यम से न्यूकिलियस सीड रियरिंग (योजना)		
	मूल	1,25.00}	54.50	54.50
	पुनर्वि०	(-)70.50}		0.00

₹ 70.50 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 20.54 लाख की बचत कोकुन का बचाव कम मात्रा में किये जाने के
कारण हुई थी। ₹ 49.96 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2852 उद्योग			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
21.	01 निदेशन			
	मूल 2,66.21}	2,31.48	2,31.48	0.00
	अनुपूरक 5.12}			
	पुनर्वि० (-)39.85}			
<p>कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण ₹ 16.09 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गयी जबकि ₹ 23.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण (₹ 14.04 लाख) एवं केवल एक ही मोटर कार के क्रय की अनुमति मिलने (₹ 5.90 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
	102 औद्योगिक उत्पादकता			
22.	05 भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 40,10.00}	24,76.34	24,76.34	0.00
	पुनर्वि० (-)15,33.66}			
<p>₹ 15,33.66 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्ब्यय एवं बजट प्रावधान के बीच कोई अंतर नहीं रहने (₹ 12,89.33 लाख) एवं योजना की स्वीकृति नहीं मिलने (₹ 2,44.33 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
23.	42 प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	69.88	69.88	0.00
	पुनर्वि० (-)30.12}			
24.	70 झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को समेकित परियोजना (सी.पी.आई.एस.) निवेश अनुदान (योजना)			
	मूल 2,25.00}	1,00.00	1,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 30.12 लाख एवं ₹ 1,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत दावा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
25.	74 झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को नेट वेट पर सब्सिडी (योजना)			
	मूल 18,00.00}	19,54.71	19,54.71	0.00
	अनुपूरक 5,88.40}			
	पुनर्वि० (-)4,33.69}			
₹ 4,33.69 लाख की प्रत्याशित बचत निकासी के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
26.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	05 भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}	20,00.00	7,25.68	(-)12,74.32
₹ 12,74.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
27.	10 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,86.25	1,91.34	(-)2,94.91
	पुनर्वि० (-)13.75}			
₹ 13.75 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 2,94.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
28.	65 वास्तविक वाणिज्य-कर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी (योजना)			
	मूल 9,00.00}	50,84.33	20,12.41	(-)30,71.92
	अनुपूरक 41,84.33}			

₹ 30,71.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
29.	70 झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (योजना)			
	मूल 2,25.00}	1,91.66	1,91.66	0.00
	पुनर्वि० (-)33.34}			
30.	74 झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट वेट पर अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	6,42.49	6,42.49	0.00
	पुनर्वि० (-)3,57.51}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 33.44 लाख एवं ₹ 3,57.51 लाख की प्रत्याशित बचत दावा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
	102 लघु उद्योग			
1.	61 लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास (योजना)			
	मूल 2,20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,20.00}			

इस वित्तीय वर्ष में व्यय की संभावना नहीं होने के फलस्वरूप अनुपूरक बजट में दूसरे योजनाओं के लिए प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 2,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

	103 हथकरघा उद्योग			
2.	60 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)9,00.00}			

कार्यान्वित करने वाले एजेंसी को सीधे निधि का हस्तांतरण किये जाने (₹ 8,00.00 लाख) एवं एक मुश्त निकासी के बजाय नियमित व्यय करने (₹ 1,00.00 लाख) के कारण ₹ 9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	107 16	रेशम उत्पादन उद्योग रेशम का विकास की योजना केन्द्रीय परियोजना हेतु मैचिंग ग्रांट (के०प्रा०यो०)		
	मूल	24,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)24,00.00}		
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा योजना को बंद किये जाने के कारण ₹ 24,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।				
4.	28	मलवारी कीट पालकों को सहायक अनुदान (योजना)		
	मूल	35.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)35.00}		
₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
5.	35	रेशम के विकास की योजना- शिल्क पार्क की स्थापना (योजना)		
	मूल	25.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)25.00}		
6.	789 02	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना बाँस शिल्पी प्रशिक्षण-सह- उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (योजना)		
	मूल	2,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,00.00}		

योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 66 बाँस सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.00}			
सी०डी०पी० की योजना बंद किये जाने के कारण ₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गयी जबकि ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।				
8.	2852 उद्योग 80 सामान्य 102 औद्योगिक उत्पादकता 07 एसाईड योजना- सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)9,00.00}			
भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता पर रोक लगाये जाने के कारण ₹ 9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।				
9.	07 एसाईड योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
10.	10 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

स्वीकृति में विलम्ब के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	66 खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			
भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता पर रोक लगाये जाने के कारण ₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।				
12.	67 औद्योगिक गलियारे हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			
13.	68 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० 50.00}			
14.	71 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

15.	63 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना समेकित आधारभूत उन्नयन योजना-सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,00.00}			

एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, राँची हेतु निधि का प्रावधान किये जाने (₹ 2,00.00 लाख) एवं योजना की स्वीकृति में विलम्ब (₹ 2,00.00 लाख) के कारण ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	71 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			

₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(v) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2852 उद्योग			
80 सामान्य			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
01 सेंट्रल टूल्स रूम फेसिलिटी को सहायता अनुदान (योजना)			
मूल 3,00.00}	3,00.00	49,41.15	+46,41.15

₹ 46,41.15 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2220 सूचना तथा प्रचार				
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं				
4220 सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय				
राजस्व :				
मूल	91,52,38}	1,18,51,38	98,88,74	(-)19,62,64
अनुपूरक	26,99,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				19,52,63
पूँजी :				
मूल	65,00}	65,00	55,00	(-)10,00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				10,00
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व:				
(i) ₹ 19,62.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 1,67.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 8,13.50 लाख) और फरवरी 2016 (₹ 17,18.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,99.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 19,52.63 लाख), अंतिम बचत (₹ 19,62.64 लाख) से ₹ 10.01 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2220 सूचना तथा प्रचार			
	01 फिल्म			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
1.	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 6,49.19}	6,07.61	6,17.19	+9.58
	अनुपूरक 1,69.50}			
	पुनर्वि० (-)2,11.08}			
₹ 2,01.50 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	60 अन्य			
	106 क्षेत्र प्रचार			
2.	01 क्षेत्रीय प्रचार योजना (योजना)			
	मूल 80.00}	71.91	57.45	(-)14.46
	अनुपूरक 20.00}			
	पुनर्वि० (-)28.09}			
₹ 42.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
3.	02 जिला मोबाईल इकाई (गैर-योजना)			
	मूल 14,77.11}	6,13.26	6,12.80	(-)0.46
	अनुपूरक 2.00}			
	पुनर्वि० (-)8,65.85}			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
4.	01 क्षेत्रीय प्रचार योजना- (योजना)			
	मूल 1,20.00}	82.63	82.63	0.00
	अनुपूरक 30.00}			
	पुनर्वि० (-)67.37}			

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	21 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फिल्म उत्पादन (योजना)			
	मूल 9,00.00}	5,99.98	5,99.98	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.02}			
6.	24 वाह्य स्रोत से सरकारी कार्यक्रम के लिए ओ०बी० वैन (योजना)			
	मूल 2,50.00}	26.27	26.27	0.00
	अनुपूरक 1.00}			
	पुनर्वि० 2,24.73}			
	2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएँ 090 सचिवालय			
7.	15 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 76.08}	56.13	51.64	(-)4.49
	पुनर्वि० (-)19.95}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2220 सूचना तथा प्रचार			
	60 अन्य			
	106 क्षेत्र प्रचार			
1.	23 नई दिल्ली में सूचना केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 45.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)45.00}			

अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 14 क्षेत्रीय प्रचार योजना सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 45.00 लाख एवं ₹ 40.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय			
60	अन्य			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
01	क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 10.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10.00}			

₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 25 - योजना-सह-वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :			
मूल	1,99,45}	1,99,45	(-)80,91
अनुपूरक	शून्य}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			79,91

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई है:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	092 अन्य कार्यालय 10 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग- परियोजना संगठन (योजना)	41.08	41.08	0.00
	मूल 60.76}			
	पुनर्वि० (-)19.68}			
2.	19 सांस्थिक वित्त विभाग (गैर-योजना)	77.46	77.46	0.00
	मूल 1,37.69}			
	पुनर्वि० (-)60.23}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 19.68 लाख एवं ₹ 60.23 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या - 26 - श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2230	श्रम तथा रोजगार		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
राजस्व :			
मूल	14,56,86,62}	14,92,12,54	4,03,83,50 (-)10,88,29,04
अनुपूरक	35,25,92}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10,91,30,38
(26 अगस्त 2015	: 34,00		
22 सितम्बर 2015	: 80,00,00		
दिसम्बर 2015	: 1,39,15		
8 फरवरी 2016	: 3,40,32		
31 मार्च 2016	: 10,06,16,91)		
पूँजी :			
मूल	71,20,00}	75,18,00	12,80,60 (-)62,37,40
अनुपूरक	3,98,00}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			62,37,40
(अगस्त 2015	: 3,00,00		
5 दिसम्बर 2015	: 71,33		
8 फरवरी 2016	: 22,25,00		
31 मार्च 2016	: 36,41,07)		

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (i) ₹ 10,88,29.04 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 31,90.20 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 3,21.20 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 14.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 35,25.92 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,91,30.38 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,88,29.04 लाख) से ₹ 3,01.34 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2230 श्रम तथा रोजगार			
	01 श्रम			
	001 निदेशन और प्रशासन			
1.	01 श्रमायुक्त (गैर-योजना)			
	मूल 3,51.78}	1,71.91	1,71.91	0.00
	पुनर्वि० (-)1,79.87}			

₹ 1,79.87 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, मित्तव्ययिता के उपायों एवं निधि की निकासी पर प्रतिशतता प्रतिबंध लागू किये जाने के कारण हुई थी।

2.	03 श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्यूपिंग एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	54.26	54.26	0.00
	पुनर्वि० (-)1,45.74}			

₹ 1,45.74 लाख की प्रत्याशित बचत स्वास्थ्य संबंधी प्रयोगशाला के कार्य नहीं करने के कारण हुई थी।

3.	40 झारखंड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	11.92	11.92	0.00
	पुनर्वि० (-)1,88.08}			

₹ 1,88.08 लाख की प्रत्याशित बचत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने (₹ 1,42.65 लाख) तथा किसी भी जिले से माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 45.43 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	101 05 औद्योगिक संबंध औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मण्डल (गैर-योजना)			
	मूल 2,40.65}	2,21.96	2,21.96	0.00
	अनुपूरक 27.34}			
	पुनर्वि० (-)46.03}			
₹ 46.03 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 18.59 लाख की बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 27.44 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
5.	06 श्रम कानूनों का प्रर्वत्तन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 4,38.07}	2,69.17	2,69.17	0.00
	पुनर्वि० (-)1,68.90}			
6.	07 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (गैर-योजना)			
	मूल 12,72.65}	10,82.68	10,82.68	0.00
	पुनर्वि० (-)1,89.97}			
7.	102 01 कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा स्टीम बायलर के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 1,26.08}	68.57	68.57	0.00
	पुनर्वि० (-)57.51}			
8.	02 कारखानों के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 5,89.53}	5,24.82	5,24.82	0.00
	अनुपूरक 1,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,64.71}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	103 सामान्य श्रम कल्याण 01 शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन (गैर-योजना)			
	मूल 4,07.75}	2,23.97	2,23.97	0.00
	पुनर्वि० (-)1,83.78}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 1,68.90 लाख, ₹ 1,89.97 लाख, ₹ 57.51लाख, ₹ 1,64.71 लाख एवं ₹ 1,83.78 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, मित्तव्ययिता के उपायों एवं निधि की निकासी पर प्रतिशतता प्रतिबंध लागू किये जाने के कारण हुई थी।				
10.	09 प्रवासी श्रमिकों का सर्वेक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	43.18	43.18	0.00
	पुनर्वि० (-)56.82}			
₹ 56.82 लाख की प्रत्याशित बचत किसी भी जिला से निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
11.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 82.40}	0.52	0.52	0.00
	पुनर्वि० (-)81.88}			
₹ 81.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रिमियम की माँग नहीं किये जाने (₹ 80.00 लाख) के कारण हुई थी।				
12.	114 उत्प्रवासी श्रम कल्याण 01 प्रवासी श्रमिकों का कल्याण (गैर-योजना)			
	मूल 70.20}	19.34	19.07	(-)0.27
	पुनर्वि० (-)50.86}			

₹ 50.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	789 11 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 30.90}	0.15	0.15	0.00
	पुनर्वि० (-)30.75}			

₹ 30.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रिमियम की माँग नहीं किये जाने (₹ 30.00 लाख) के कारण हुई थी।

14.	40 झारखंड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	6.42	6.42	0.00
	पुनर्वि० (-)93.58}			

₹ 93.58 लाख की प्रत्याशित बचत किसी भी जिला से माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 61.38 लाख) एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने (₹ 32.20 लाख) के कारण हुई थी।

15.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना बाल श्रमिक आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 50.00}	16.55	16.55	0.00
	पुनर्वि० (-)33.45}			

₹ 33.45 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारी एवं कर्मचारी की पदस्थापना नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

16.	03 श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्यूपिंग एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	73.43	73.13	(-)0.30
	पुनर्वि० (-)2,26.57}			

₹ 2,26.57 लाख की प्रत्याशित बचत स्वास्थ्य संबंधी प्रयोगशाला के कार्य नहीं करने एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	09 प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	15.82	15.82	0.00
	पुनर्वि० (-)84.18}			
₹ 84.18 लाख की प्रत्याशित बचत किसी भी जिला से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
18.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 92.70}	0.14	0.14	0.00
	पुनर्वि० (-)92.56}			
₹ 92.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रिमियम की माँग नहीं किये जाने (₹ 90.00 लाख) के कारण हुई थी।				
19.	14 श्रम संस्थान की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	9.23	9.23	0.00
	पुनर्वि० (-)40.77}			
₹ 40.77 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारी एवं कर्मचारी की पदस्थापना नहीं होने के कारण हुई थी।				
20.	38 झारखंड विधान सभा और सचिवालय भवनों में नया कैटीन की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,35.68	1,35.68	0.00
	अनुपूरक 51.15}			
	पुनर्वि० (-)65.47}			
₹ 65.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने (₹ 64.32 लाख) के कारण हुई थी।				
21.	40 झारखंड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	11.88	11.88	0.00
	पुनर्वि० (-)1,88.12}			
₹ 1,88.12 लाख की प्रत्याशित बचत यूनियन कार्ड नहीं बनाये जाने के कारण हुई थी।				

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	02 रोजगार सेवाएं			
	101 रोजगार सेवाएं			
22.	01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 1,34.90}	50.73	50.73	0.00
	पुनर्वि० (-)84.17}			

₹ 84.17 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 59.95 लाख की बचत अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं किये जाने (₹ 45.62 लाख), स्वीकृति के अनुसार भुगतान किये जाने (₹ 8.83 लाख) एवं माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 5.50 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 24.22 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

23.	04 रोजगार कार्यालय का स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 9,97.16}	6,86.63	6,68.63	0.00
	पुनर्वि० (-)3,10.53}			

₹ 3,10.53 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारी एवं कर्मचारियों का पद रिक्त रहने (₹ 3,00.61 लाख) एवं माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 2.92 लाख) के कारण हुई थी।

	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
24.	01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 4,03.02}	2,38.56	2,38.56	0.00
	पुनर्वि० (-)1,64.46}			

₹ 1,64.46 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,32.53 लाख की बचत (i) अधिकारी एवं कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने (₹ 74.09 लाख), (ii) संस्वीकृति के अनुसार भुगतान किये जाने (₹ 28.78 लाख), (iii) जैप आइ०टी० द्वारा पूर्व ए.सी. विपत्रों का समायोजन नहीं किये जाने (₹ 19.68 लाख) एवं (iv) माँग प्राप्त नहीं होने (9.98 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 31.93 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

25.	38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 7,50.00}	4,67.56	4,67.56	0.00
	अनुपूरक 25.00}			
	पुनर्वि० (-)3,07.44}			

₹ 3,07.44 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,97.44 लाख की बचत अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं किये जाने एवं समय पर विपत्रों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,10.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
26.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचे का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 8,25.38}	3,55.89	3,55.89	0.00
	पुनर्वि० (-)4,69.49}			
	₹ 4,69.49 लाख की प्रत्याशित बचत भारी मशीनरी की खरीद हेतु समय पर ई-टेंडर का कार्य पूरा नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
27.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्ल्यू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00}	5.27	5.27	0.00
	पुनर्वि० (-)2,44.73}			
	₹ 2,44.73 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
	03 प्रशिक्षण			
	101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
28.	02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासन-राज्य परिषद् (गैर-योजना)			
	मूल 32,54.91}	16,21.49	16,21.49	0.00
	पुनर्वि० (-)16,33.42}			
	₹ 16,33.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं किये जाने (₹ 16,00.91 लाख), (ii) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 23.46 लाख) एवं (iii) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹ 8.22 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 0.90 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
29.	12 कन्सल्टेंसी (योजना)			
	मूल 50.00}	3.59	3.59	0.00
	पुनर्वि० (-)46.41}			
	₹ 46.41 लाख की प्रत्याशित बचत परामर्श संबंधी विपत्रों के लम्बित नहीं रहने के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
30.	38 व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 8,50.00}	7,86.27	7,26.27	0.00
	अनुपूरक 49.00}			
	पुनर्वि० (-)1,12.73}			
₹ 1,12.73 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापन नहीं किये जाने एवं समय पर विपत्रों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
31.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचा का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 11,00.00}	5,19.16	5,19.16	0.00
	पुनर्वि० (-)5,80.84}			
₹ 5,80.84 लाख की प्रत्याशित बचत भारी मशीनरी का क्रय हेतु समय पर ई-टेंडर का कार्य पूरा नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
32.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00}	8.55	8.55	0.00
	पुनर्वि० (-)2,41.45}			
₹ 2,41.45 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
33.	01 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 87,48.16}	19,42.60	18,26.89	(-)1,15.71
	पुनर्वि० (-)68,05.56}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
34.	03 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,50,28.67}	35,35.63	35,13.51	(-)22.12
	पुनर्वि० (-)1,14,93.04}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 69,21.27 लाख एवं ₹ 1,15,15.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
35.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 87,26.40}	11,10.98	11,10.98	0.00
	पुनर्वि० (-)76,15.42}			
₹ 76,15.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
36.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 39,53.91}	11,55.06	10,94.96	(-)60.10
	पुनर्वि० (-)27,98.85}			
37.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 4,22.19}	89.25	84.16	(-)5.09
	पुनर्वि० (-)3,32.94}			
38.	08 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 39,53.91}	11,55.06	10,94.96	(-)60.10
	पुनर्वि० (-)27,98.85}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
39.	09 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 4,22.19}	89.12	84.26	(-)4.86
	पुनर्वि० (-)3,33.07}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 28,58.95 लाख, ₹ 3,38.03 लाख, ₹ 28,58.95 लाख एवं ₹ 3,37.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
40.	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
	02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 11,22.00}	50.90	50.90	0.00
	पुनर्वि० (-)10,71.10}			
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
41.	02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 4,20.80}	21.80	21.80	0.00
	पुनर्वि० (-)3,99.00}			
42.	03 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 60,39.22}	14,09.57	14,09.57	0.00
	पुनर्वि० (-)46,29.65}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
43.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 32,72.40}	5,01.94	5,01.94	0.00
	पुनर्वि० (-)27,70.46}			
44.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 15,54.47}	4,46.46	4,46.46	0.00
	पुनर्वि० (-)11,08.01}			
45.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 1,94.93}	26.87	26.87	0.00
	पुनर्वि० (-)1,68.06}			
46.	09 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,94.93}	26.04	26.04	0.00
	पुनर्वि० (-)1,68.89}			
47.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 12,62.20}	69.90	69.90	0.00
	पुनर्वि० (-)11,92.30}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
48.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 5,42.96}	74.99	74.99	0.00
	पुनर्वि० (-)4,67.97}			

उपर्युक्त नौ मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

49.	07 आदिम जनजाति समूह हेतु पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 23,40.00}	8.42	3.61	(-)4.81
	पुनर्वि० (-)23,31.58}			

₹ 23,36.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

50.	09 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 5,42.96}	64.90	66.81	+1.91
	पुनर्वि० (-)4,78.06}			

₹ 4,76.15 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
51.	01 वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 10,91.52}	1,82.74	1,13.31	(-)69.43
	पुनर्वि० (-)9,08.78}			

₹ 9,78.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	090 सचिवालय			
52.	11 सचिवालय कैटीन स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 71.13}	31.58	31.58	0.00
	पुनर्वि० (-)39.55}			

₹ 39.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2230 श्रम तथा रोजगार			
	01 श्रम			
	103 सामान्य श्रम कल्याण			
1.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25,00.00}			
2.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)8,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में योजना का स्थानान्तरण किये जाने के कारण ₹ 25,00.00 लाख एवं ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
3.	09 प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	30.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			

किसी भी जिला से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10,00.00}			
5.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,00.00}			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
6.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25,00.00}			
7.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)8,00.00}			
<p>उपर्युक्त चार मामलों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में योजना का स्थानान्तरण किये जाने के कारण ₹ 10,00.00 लाख, ₹ 4,00.00 लाख, ₹ 25,00.00 लाख एवं ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
	03 प्रशिक्षण			
	003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
8.	47 पी०पी०पी० के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये भायोबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)			
	मूल 1,40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,40.00}			

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण तथा मजदूरी एवं बकाये का भुगतान हेतु निधि का प्रावधान किये जाने (₹ 1,13.00 लाख) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 27.00 लाख) के कारण ₹ 1,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	51 कौशल विकास प्रोत्साहन योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 20,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20,00.00}			
केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	47 पी०पी०पी० के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये भायोबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)			
	मूल 2,20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,20.00}			
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 1,61.00 लाख), 'व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना का विस्तार' हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने (₹ 34.00 लाख) एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बकाये का भुगतान किये जाने (₹ 25.00 लाख) के कारण ₹ 2,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
11.	51 कौशल विकास प्रोत्साहन योजना (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 30,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30,00.00}			
केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
12.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
	07 आदिम जनजातीय समूह हेतु पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 23,40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)23,40.00}			

₹ 23,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1.	01 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 35,53.81}	7,42.72	9,04.72	+1,62.00
	पुनर्वि० (-)28,11.09}			
2.	08 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 15,54.47}	4,34.81	5,49.46	+1,14.65
	पुनर्वि० (-)11,19.66}			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
3.	01 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,03,49.03}	26,47.72	26,97.47	+49.75
	पुनर्वि० (-)77,01.31}			
4.	03 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,76,56.51}	52,92.17	53,88.35	+96.18
	पुनर्वि०(-)1,23,64.34}			
5.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 98,17.20}	17,19.91	17,94.56	+74.65
	पुनर्वि० (-)80,97.29}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 45,81.38}	15,07.51	15,93.61	+86.10
	पुनर्वि० (-)30,73.87}			
7.	08 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 45,81.38}	13,06.31	13,92.40	+86.09
	पुनर्वि० (-)32,75.07}			

उपर्युक्त सात मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

- (vi) ₹ 62,37.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 3,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 98.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,98.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (vii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4059 लोक निर्माण-कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 कार्यालय भवन			
	001 निदेशन और प्रशासन			
1.	55 श्रम कार्यालय हेतु भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	75.76	75.76	0.00
	अनुपूरक 1,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,24.24}			

₹ 1,24.24 लाख की प्रत्याशित बचत श्रम कार्यालय का भवन निर्माण के स्थान पर बीड़ी कर्मकारों के लिये भवन निर्माण में गलत टैगिंग किये जाने (₹ 1,00.00 लाख) तथा किसी भी जिला से माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 24.24 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	57 बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	39.05	39.05	0.00
	पुनर्वि० (-)60.95}			

₹ 60.95 लाख की प्रत्याशित बचत किसी भी जिला से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
3.	55 श्रम कार्यालय हेतु भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,80.00	1,80.00	0.00
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० (-)2,20.00}			

₹ 2,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत श्रम कार्यालय का भवन निर्माण के स्थान पर बीड़ी कर्मकारों के लिये भवन-निर्माण में गलत टैगींग किये जाने (₹ 2,00.00 लाख) तथा किसी भी जिला से माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 20.00 लाख) के कारण हुई थी।

4.	57 बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	36.21	36.21	0.00
	पुनर्वि० (-)1,63.79}			

₹ 1,63.79 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 92.46 लाख की बचत निधि की निकासी पर प्रतिशतता प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 25.00 लाख), आयुक्तों द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने (₹ 51.62 लाख), जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने (₹ 8.27 लाख) एवं मित्तव्यतिता के उपायों (₹ 7.57 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 71.33 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	203 रोजगार			
5.	01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,12.38	1,12.38	0.00
	अनुपूरक 38.00]			
	पुनर्वि० (-)25.62}			
₹ 25.62 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है				
6.	03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं सम्बद्ध कार्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (योजना)			
	मूल 2,50.00}	1,66.09	1,66.09	0.00
	पुनर्वि० (-)83.91}			
₹ 83.91 लाख की प्रत्याशित बचत मशीन एवं उपकरण का मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं होने (₹ 43.00 लाख) तथा आयुक्तों द्वारा लघु निर्माण-कार्य हेतु निधि की निकासी नहीं किये जाने (₹ 40.91 लाख) के कारण हुई थी।				
7.	09 कार्यरत सरकारी आई०टी०आई० का मॉडल आई०टी०आई० के रूप में उन्नयन (योजना)			
	मूल 2,00.00}	22.41	22.41	0.00
	पुनर्वि० (-)1,77.59}			

बजट से कम व्यय के कारण ₹ 15.04 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई जबकि ₹ 1,62.55 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	24.12	24.12	0.00
	अनुपूरक 60.00}			
	पुनर्वि० (-)1,35.88}			

₹ 1,35.88 लाख की प्रत्याशित बचत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाँडिल के बकाये हेतु प्राक्कलन का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के फरस्वरूप निधि की निकासी की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।

9.	03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,07.99	2,07.99	0.00
	पुनर्वि० (-)42.01}			

एम०एम०भी० कार्यशाला के जीर्णोद्धार हेतु अपर्याप्त निधि के कारण ₹ 15.04 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई जबकि ₹ 57.05 लाख की प्रत्याशित बचत मशीन एवं उपकरण के मरम्मत का कार्य पूरा नहीं होने (₹ 42.10 लाख) तथा आयुक्तों द्वारा लघु निर्माण-कार्य हेतु निधि की निकासी नहीं किये जाने (₹ 15.04 लाख) के कारण हुई थी।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	203 रोजगार			
1.	02 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 15,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15,00.00}			

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से निधि की विमुक्ति की संभावना नहीं रहने के कारण ₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,50.00}			
3.	04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)			
	मूल 2,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 7,50.00 लाख एवं ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			
<p>भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से निधि की विमुक्ति की संभावना नहीं रहने के कारण ₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
5.	04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,50.00}			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	04 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)			
	मूल 2,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 7,50.00 लाख एवं ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
7.	08 कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई०टी०आई० के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश- 70: राज्यांश-30) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			
8.	08 कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई०टी०आई० के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश- 70 : राज्यांश-30) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 7,00.00 लाख एवं ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :			
मूल	2,56,14,25}	2,67,19,80	(-)17,99,02
अनुपूरक	11,05,55}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			17,64,73

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 17,99.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 4,04.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 6,45.40 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 56.15 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,05.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,64.73 लाख), अंतिम बचत (₹ 17,99.02 लाख) से ₹ 34.29 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, 105-सिविल और सेशन न्यायालय, 01-सिविल और सेशन न्यायालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,79.69 लाख की बचत, जो कि ₹ 2,30,41.29 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2014 न्याय प्रशासन			
	105 सिविल और सेशन न्यायालय			
1.	03 ग्राम न्यायालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,45.62}	0.01	0.01	0.00
	पुनर्वि० (-)1,45.61}			

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
	114	विधि सलाहकार और परामर्शदाता			
2.	01	कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (गैर-योजना)			
	मूल	2,15.82}	2,03.67	2,03.67	0.00
	अनुपूरक	39.00}			
	पुनर्वि०	(-)51.15}			
3.	02	निर्धनों को कानूनी सहायता (गैर-योजना)			
	मूल	4,62.19}	3,40.87	3,40.69	(-)0.18
	अनुपूरक	6.15}			
	पुनर्वि०	(-)1,27.47}			
4.	03	सरकारी मुकदमें (गैर-योजना)			
	मूल	5,77.00}	6,07.03	5,75.29	(-)31.44
	अनुपूरक	1,00.00}			
	पुनर्वि०	(-)69.97}			
5.	04	कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडीशियल एकेडमी) (गैर-योजना)			
	मूल	6,56.74}	12,06.51	12,06.51	0.00
	अनुपूरक	6,92.00}			
	पुनर्वि०	(-)1,42.23}			
6.	06	स्थायी लोक अदालत - अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए दैनिक शुल्क (गैर-योजना)			
	मूल	3,00.00}	1,84.84	1,84.04	(-)0.80
	पुनर्वि०	(-)1,15.16}			

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
	090 सचिवालय			
7.	18 विधि विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,84.28}	2,16.54	2,16.54	0,00
	पुनर्वि० (-)1,67.74}			

उपर्युक्त सात मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2014 न्याय प्रशासन			
116 राज्य प्रशासनिक अधिकरण			
01 विधि आयोग (गैर-योजना)			
मूल 47.79}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)47.79}			

₹ 47.79 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**विनियोग संख्या - 28 - झारखण्ड उच्च न्यायालय
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
राजस्व :			
मूल	57,56,93}	63,34,91	(-)9,93,62
अनुपूरक	5,77,98}		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			9,95,84

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 9,93.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 4,93.98 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 42.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 42.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,77.98 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,95.84 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,93.62 लाख) से ₹ 2.22 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	102 उच्च न्यायालय			
1.	01 उच्च न्यायालय, राँची (गैर-योजना)			
	मूल	54,36.93}	49,87.00	49,87.00
	अनुपूरक	4,55.58}		0.00
	पुनर्वि०	(-)9,05.51}		
2.	03 झारखण्ड उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (गैर-योजना)			
	मूल	3,20.00}	3,41.99	3,41.99
	अनुपूरक	1,08.00}		0.00
	पुनर्वि०	(-)86.01}		

उपर्युक्त दोनो मामलों में ₹ 9,05.51 लाख एवं ₹ 86.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 29 - खनन एवं भू-तत्व विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	35,70,83}	37,12,75	24,65,96	(-)12,46,69
अनुपूरक	1,41,82}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				12,46,62
पूंजी :				
मूल	6,00,00}	6,00,00	00	(-)6,00,00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				6,00,00
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व :				
(i) ₹ 12,46.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 29.99 लाख) और फरवरी 2016 (₹ 1,11.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,41.82 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				

अनुदान संख्या - 29 - क्रमशः

- (ii) शीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 02-खानों का विनियमन तथा विकास, 001-निदेशन और प्रशासन, 01-खनन स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,03.97 लाख की बचत, जो कि ₹ 11,72.53 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 02 खानों का विनियमन तथा विकास 001 निदेशन और प्रशासन 01 खनन स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 3,60.00}	2,25.39	2,25.39	0.00
	पुनर्वि० (-)1,34.61}			

₹ 1,34.61 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

2.	102 खनिज खोज 01 भूतात्विक स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 9,70.42}	9,60.90	9,60.90	0.00
	अनुपूरक 15.22}			
	पुनर्वि० (-)24.74}			

₹ 24.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विपत्र पारित नहीं होने (₹ 12.62 लाख) एवं अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने (₹ 8.40 लाख) के कारण हुई थी।

3.	02 भूतात्विक वेधन एवं प्रायोगात्मक कार्य (योजना)			
	मूल 10,34.00}	57.98	57.98	0.00
	पुनर्वि० (-)9,76.02}			

₹ 9,76.02 लाख की प्रत्याशित बचत (i) वन विभाग द्वारा बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जाने (₹ 6,00.00 लाख), (ii) विपत्र पारित नहीं किये जाने (₹ 2,76.02 लाख), (iii) चुनाव कार्य एवं स्थानीय समस्याओं (₹ 65.00 लाख), (iv) निविदा प्रक्रिया पूरा नहीं होने (₹ 15.00 लाख), (v) प्रक्रिया का निर्णय नहीं होने (₹ 10.00 लाख), (vi) प्रकाशन की सामग्री समय पर प्राप्त नहीं होने (₹ 5.00 लाख) एवं (vii) अधिकारियों का खोज कार्य में लगे रहने के फलस्वरूप सेमिनार में भाग नहीं लेने (₹ 5.00 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमांत

पूँजी :

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 अलौह धातु			
	004 अनुसंधान तथा विकास			
1.	01 खनन स्थापना- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 4,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,00.00}			
	₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
2.	03 भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.00}			
	प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
	800 अन्य व्यय			
3.	04 चेकपोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			

**अनुदान संख्या - 30 - कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	2,29,60}	2,35,15	1,52,86
अनुपूरक	5,55}		(-)82,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			81,15
पूंजी :			
मूल	1,08,05,00}	1,08,05,00	67,74,44
अनुपूरक	शून्य}		(-)40,30,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			9,48,37
टीका एवं टिप्पणियाँ :			
राजस्व :			
(i) ₹ 82.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 5.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं 101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान 02 झारखण्ड राज्य हज समिति, राँची को अनुदान (गैर-योजना)	28.00	28.00	0.00
	मूल 59.00}			
	पुनर्वि० (-)31.00}			
2.	102 धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन 01 झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण (गैर-योजना)	23.86	23.86	0.00
	मूल 36.00}			
	पुनर्वि० (-)12.14}			
3.	2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 13 झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (गैर-योजना)	75.58	75.58	0.00
	मूल 1,08.73}			
	पुनर्वि० (-)33.15}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 31.00 लाख, ₹ 12.14 लाख एवं ₹ 33.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

(iii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,48.37 लाख), अंतिम बचत (₹ 40,30.56 लाख) से ₹ 30,82.19 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(iv) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	80	सामान्य		
	277	शिक्षा		
1.	03	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (योजना)		
	मूल	10,00.00}	8,75.86	8,69.10
	पुनर्वि०	(-)1,24.14}		(-)6.76
₹ 1,24.14 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
2.	01	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (योजना)		
	मूल	3,50.00}	2,19.85	2,19.85
	पुनर्वि०	(-)1,30.15}		0.00
3.	12	अल्पसंख्यक छात्राओं के लिये साईकिल योजना (योजना)		
	मूल	8,00.00}	5,86.59	5,86.59
	पुनर्वि०	(-)2,13.41}		0.00
4.	03	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (योजना)		
	मूल	10,00.00}	7,89.70	7,89.70
	पुनर्वि०	(-)2,10.30}		0.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,30.15 लाख, ₹ 2,13.41 लाख एवं ₹ 2,10.30 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	10 छात्रावास-बर्तन उपस्कर एवं टी०वी० (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	29.02	(-)20.98
6.	11 अल्पसंख्यक जाति के लिये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०यो०यो०.)			
	मूल 11,00.00}	11,00.00	9,75.70	(-)1,24.30
7.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०.)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	6,40.28	(-)1,59.72
8.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,78.89	(-)21.11
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 20.98 लाख, ₹ 1,24.30 लाख, ₹ 1,59.72 लाख एवं ₹ 21.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
9.	13 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,50.00	1,50.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			

₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना का चयन नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	80	सामान्य		
	277	शिक्षा		
1.	12	अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)		
	मूल	2,00.00}	2,00.00	0.00
				(-)2,00.00
2.	12	अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)		
	मूल	1,00.00}	1,00.00	0.00
				(-)1,00.00
3.	12	अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम (योजना)		
	मूल	1,00.00}	1,00.00	0.00
				(-)1,00.00
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
4.	13	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता (योजना)		
	मूल	2,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,00.00}		

योजना का चयन नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 16 अल्पसंख्यक मेरिट- कम-मीन्स छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	0.00	(-)7,00.00
6.	17 अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 16,00.00}	16,00.00	0.00	(-)16,00.00

उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 7,00.00 लाख एवं ₹ 16,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 31 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	60,43}	95,48	61,00	(-)34,48
अनुपूरक	35,05}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				34,48

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 34.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 10.05 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 25.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 35.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
090	सचिवालय			
22	संसदीय कार्य विभाग (गैर-योजना)			
मूल	60.43}	61.00	61.00	0.00
अनुपूरक	35.05}			
पुनर्वि०	(-)34.48}			

₹ 34.48 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 32 - विधान सभा

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :				
दत्तमत:				
मूल	59,27,15}	63,28,07	58,24,71	(-)5,03,36
अनुपूरक	4,00,92}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				4,96,92
प्रभारित:				
मूल	26,01}	32,01	29,11	(-)2,90
अनुपूरक	6,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2,90
टीका एवं टिप्पणियाँ:				
दत्तमत :				
(i) ₹ 5,03.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 2,50.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 23,40 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 1,27.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,00.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,96.92 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,03.36 लाख) से ₹ 6,44 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत

(iii) शीर्ष 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल, 103-विधानमंडल सचिवालय, 01-विधान सभा सचिवालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,16.65 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 40,14.21 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	02 राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल 101 विधान सभा 04 सचेतकगण का कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,52.67}	1,31.85	1,31.85	0.00
	पुनर्वि० (-)20.82}			
2.	05 सदस्यगण (गैर-योजना)			
	मूल 8,95.42}	10,43.37	10,41.20	(-)2.17
	अनुपूरक 2,50.00}			
	पुनर्वि० (-)1,02.05}			
3.	06 विरोधी दल का नेता (गैर-योजना)			
	मूल 66.22}	26.50	26.50	0.00
	पुनर्वि० (-)39.72}			
4.	07 सदस्यगण-निःशुल्क रेल एवं भाड़ा कूपन (गैर-योजना)			
	मूल 6,00.00}	4,98.41	4,97,58	(-)0.83
	पुनर्वि० (-)1,01.59}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 20.82 लाख, ₹ 1,02.05 लाख, ₹ 39.72 लाख तथा ₹ 1,01.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या- 33 -कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2051	लोक सेवा आयोग			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2220	सूचना एवं प्रचार			
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	22,44,12}	25,07,16	21,36,86	(-)3,70,30
अनुपूरक	2, 63,04}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,68,87
पूँजी :				
मूल	2,00,00}	2,00,00	2,00,00	00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 3,70.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 8.56 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 71.84 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 1,82.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,63.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

(ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003 प्रशिक्षण 05 श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (एस.के.आई.पी.ए.) (गैर-योजना)	4,00.54	4,00.54	0.00
	मूल 5,68.40}			
	अनुपूरक 5,00}			
	पुनर्वि० (-)1,72.86}			

₹ 1,72.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	104 सतर्कता 01 लोकायुक्त का कार्यालय (गैर-योजना)	1,80.18	1,80.18	0.00
	मूल 2,11.09}			
	अनुपूरक 1,42}			
	पुनर्वि० (-)32.33}			

₹ 32.33 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 18.38 लाख की बचत (i) लोकायुक्त एवं लोकायुक्त के सचिव का पदस्थापन नहीं होने (₹ 3,38 लाख) एवं प्रशासनिक कैंडिडेट कमिटी के आलोक में निर्णय लिये जाने (₹ 15.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 13.95 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003 प्रशिक्षण 02 उप-दंडाधिकारी का प्रशिक्षण (गैर-योजना)	0.00	0.00	0.00
मूल 96.74}			
पुनर्वि० (-)96.74}			

₹ 96.74 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2016)।

विनियोग संख्या - 34 - झारखण्ड लोक सेवा आयोग
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
राजस्व:			
मूल	6,89,70}	6,95,20	6,07,78
अनुपूरक	5,50}		(-)87,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			87.42

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 87.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 5.50 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 राज्य लोक सेवा आयोग			
01 लोक सेवा आयोग (गैर-योजना)			
मूल	6,89.70}	6,07.78	6,07.78
अनुपूरक	5.50}		0.00
पुनर्वि	(-)87.42}		

₹ 87.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 35 - योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2053	जिला प्रशासन		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	11,46,26,95}	11,46,57,95	4,55,44,17	(-)6,91,13,78
अनुपूरक	31,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,91,42,66
(5 मई 2015	: 1,00,00,00			
3 जुलाई 2015	: 30,00,00			
10 फरवरी 2016	: 5,28,43,00			
31 मार्च 2016	: 32,99,66)			

पूंजी :

मूल	2,00,00}	2,00,00	2,00,00	00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,91,42.66 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,91,13.78 लाख) से ₹ 28.88 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

- (ii) शीर्ष 2053-जिला प्रशासन, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 25-ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (न्यू सिटी कैपिटल प्रोजेक्ट) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 12,48.00 लाख की बचत, जो कि ₹ 3,50,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2053 जिला प्रशासन 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 झारखंड राज्य योजना पर्षद (योजना)			
	मूल 5,00.00}	46.38	46.38	0.00
	पुनर्वि० (-)4,53.62}			
2.	11 जिला योजना के लिये अनाबद्ध राशि (योजना)			
	मूल 2,40,00.00}	12,89.30	12,89.30	0.00
	पुनर्वि० (-)2,27,10.70}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,53.62 लाख एवं ₹ 2,27,10.70 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
3.	17 संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय का सुदृढीकरण) (योजना)			
	मूल 77.00}	10.17	10.17	0.00
	पुनर्वि० (-)66.83}			
₹ 66.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
4.	24 ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड द्वारा खूँटी जिला में नाँलेज सिटी की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00,00.00}	58,95.00	59,31.14	+36.14
	पुनर्वि० (-)41,05.00}			

₹ 41,05.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों तथा ₹ 36.14 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	34 कैपेसिटी बिल्डिंग/सेमिनार सिम्पोजियम/डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/इनोभेसन/पी.पी.पी. वर्कशॉप/आदि (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	10.00	10.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,90.00 }			
6.	800 अन्य व्यय 11 राज्य योजना के लिये अनाबद्ध राशि (योजना)			
	मूल 2,37,03.92 }	11,96.71	11,96.71	0.00
	पुनर्वि० (-)2,25,07.21 }			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,90.00 लाख एवं ₹ 2,25,07.21 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
7.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 204 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 02 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 13,85.94 }	12,12.40	12,05.26	(-)7.14
	पुनर्वि० (-)1,73.54 }			
8.	05 प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (गैर-योजना)			
	मूल 1,84.35 }	1,45.03	1,45.03	0.00
	पुनर्वि० (-)39.32 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,73.54 लाख एवं ₹ 39.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2053 जिला प्रशासन 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 31 कौशल विकास मिशन (सामाजिक/जिला अनुदान) (योजना)			
	मूल 30,00.00 }	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30,00.00 }			

कौशल विकास को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में पुनर्स्थापना के कारण ₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

2.	33 डी.एच.डी.आर./एस.एच.डी.आर. एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00 }			
3.	36 नये वाहनों का क्रय (योजना)			
	मूल 50.00 }	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,00.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

4.	37 पी.पी.पी. (भाइविलीटी गैप फंडिंग) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15,00.00 }	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15,00.00 }			

₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	37 पी.पी.पी. (भाइविलीटी गैप फंडिंग) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15,00.00}			
6.	38 मूल्यांकन/परामर्शी/ अन्य सविदा सेवा (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 15,00.00 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।</p>				
7.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	मूल 50,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50,00.00}			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	मूल 50,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास में योजना को स्थानान्तरित किये जाने के कारण प्रत्येक के ₹ 50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
	02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
9.	204	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन		
	16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे०एस०एस०एस०पी०) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	7,17.69}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)7,17.69}		
10.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे०एस०एस०एस०पी०) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	5,75.58}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,75.58}		
11.	16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे०एस०एस०एस०पी०) (योजना)		
	मूल	3,40.08}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)3,40.08}		

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,17.69 लाख, ₹ 5,75.58 लाख एवं ₹ 3,40.08 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	11,73,23,87}	13,52,58,17	7,99,01,12	(-)5,53,57,05
अनुपूरक	1,79,34,30}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				5,58,83,85

पूंजी :

मूल	2,76,79,00}	3,18,09,00	1,93,07,24	(-)1,25,01,76
अनुपूरक	41,30,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,24,88,27

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (i) ₹ 5,53,57.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2015 (₹ 25,00.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,50,06.66 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 4,27.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,79,34.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,58,83,85 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,53,57.05 लाख) से ₹ 5,26.80 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 01-जलपूर्ति, 101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम, 04-नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना (गैर-योजना) एवं 09-स्वर्ण रेखा जलापूर्ति योजना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,04.51 लाख एवं ₹ 2,59.35 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 39,71.96 लाख एवं ₹ 30,43.94 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जल पूर्ति			
	101 शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम			
	01 आदित्यपुर जलापूर्ति योजना- (गैर-योजना)			
	मूल 7,92.89}	7,10.68	7,10.68	0.00
	अनुपूरक 4.00}			
	पुनर्वि० (-)86.21}			
2.	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
	02 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)			
	मूल 36,54.90}	32,01.08	32,01.05	(-)0.03
	पुनर्वि० (-)4,53.82}			
3.	03 हस्तचालित नलकूप, तलाब एवं कुंए-उच्च दाब नलकूप (गैर-योजना)			
	मूल 90,86.39}	76,52.08	76,56.60	+4.52
	पुनर्वि० (-)14,34.31}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 86.21 लाख एवं ₹ 4,53.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

₹ 14,29.79 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,50,87.00}	98,00.99	98,00.99	0.00
	पुनर्वि० (-)52,86.01}			
5.	10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी०) (योजना)			
	मूल 1,40,15.00}	70,07.56	70,07.56	0.00
	पुनर्वि० (-)70,07.44}			
6.	106 मल-जल सेवाएं 11 ग्रामीण स्वच्छता (निर्मल भारत अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,52,00.00}	31,83.31	31,83.31	0.00
	पुनर्वि० (-)1,20.16.69}			
7.	10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 42,11.00}	15,30.24	15,30.24	0.00
	अनुपूरक (-)26,80.76}			
8.	11 ग्रामीण स्वच्छता (निर्मल भारत अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30,57.00}	9,34.49	9,34.49	0.00
	पुनर्वि० (-)21.22.51}			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन०आर०डी०डब्लू०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 88,34.00}	24,49.85	24,49.85	0.00
	पुनर्वि० (-)63,84.15}			

उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

10.	10 ग्रामीण स्वच्छता (निर्मल भारत अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 82,06.00}	41,02.88	41,02.88	0.00
	पुनर्वि० (-)41,03.12}			

₹ 41,03.12 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 25,00.00 लाख की बचत राज्य बजट में निधि का प्रावधान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 16,03.12 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (अगस्त 2016)।

11.	11 ग्रामीण स्वच्छता (निर्मल भारत अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,23,11.00}	12,30.90	12,30.90	0.00
	पुनर्वि० (-)1,10,,80.10}			

₹ 1,10,80.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

12.	02 मल-जल तथा सफाई 105 सफाई सेवाएं 01 सरकारी भवनों में जलापूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 7,65.65}	6,23.86	6,18.44	(-)5.42
	अनुपूरक 1.00}			
	पुनर्वि० (-)1,42,79}			

₹ 1,48.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	04 विभागीय भवन (गैर-योजना)			
	मूल 90.00}	1,44.91	1,48.72	(+)3.81
	अनुपूरक 96.19}			
	पुनर्वि० (-)41.28}			

₹ 37.47 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
01 जल पूर्ति			
102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
09 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाईपों से)-शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (गैर-योजना)			
मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-)40.00}			

₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2215 जलपूर्ति तथा सफाई			
01 जल पूर्ति			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (योजना)			
मूल 39,12.00}	14,13.50	19,56.06	+5,42.56
पुनर्वि० -24,98.50}			

₹ 24,98.50 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 5,42.56 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

पूँजी :

(vi) ₹ 1,25,01.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया ₹ 41,30.00 लाख का अनुपूरक अनुरान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। अभ्यर्पित प्रावधान (1,24,88.27), अंतिम बचत (₹ 1,25,01.76 लाख) से ₹ 13.49 लाख कम था।

(vii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
	01	जल पूर्ति		
	102	ग्रामीण जल पूर्ति		
	02	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)		
		मूल 1,13,34.00}	75,65.78	76,08.64
	पुनर्वि० (-)37,68.22}			

₹ 37,68.22 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 42.86 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	04	20000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र/उपनगरों में जलापूर्ति (योजना)			
		मूल 2,25.00}	16.05	16.05	0.00
		पुनर्वि० (-)2,08.95}			

₹ 2,08.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	06	बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
		मूल 11,50.00}	25,92.37	24,75.85	(-)1,16.52
		अनुपूरक 20,00.00}			
		पुनर्वि० (-)5,57.63}			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 32,32.00}	11,79.93	11,71.15	(-)8.78
	पुनर्वि० (-)20,52.07}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 6,74.15 लाख एवं ₹ 20,60.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	06 बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 50.00}	20.06	20.06	0.00
	पुनर्वि० (-)29.94}			

₹ 29.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	07 ग्रामीण स्वच्छता (योजना)			
	मूल 2,61.00}	11.81	11.81	0.00
	पुनर्वि० (-)2,49.19}			

₹ 2,49.19 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,44.75 लाख की बचत क्षेत्रीय कार्यालय में निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुई थी।

7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग योजना 02 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 86,78.00}	49,82.88	49,68.06	(-)14.82
	पुनर्वि० (-)36,95.12}			

डिग्री होल्डर को मूलधन की राशि का भुगतान किये जाने हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 53.77 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 36,41.35 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 14.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	06 बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 14,00.00}	28,29.72	28,29.72	0.00
	अनुपूरक 21,30.00}			
	पुनर्वि० (-)7,00.28}			

₹ 7,00.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

9.	07 ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन) (योजना)			
	मूल 6,27.00}	44.59	44.59	0.00
	पुनर्वि० (-)5,82.41}			

₹ 5,82.41 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,50.69 लाख की बचत निविदा के निष्पादन में विलम्ब के कारण हुई थी। ₹ 2,31.72 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(ix) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जल पूर्ति 106 मल-जल सेवाएं 07 ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन) (योजना)			
	मूल 6,47.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)6,47.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 20,000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र/उपनगरों में जलापूर्ति (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 6,47.00 लाख एवं ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 37 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053	जिला प्रशासन			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	17,38,95}	18,00,71	17,12,57	(-)88,14
अनुपूरक	61,76}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				78,22

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 88.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 60.25 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 1.51 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 61.76 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 78.22 लाख), अंतिम बचत (₹ 88.14 लाख) से ₹ 9.92 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 2053-जिला प्रशासन, 094-अन्य स्थापनाएं, 08-राजभाषा स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 73.76 लाख की बचत, जो कि ₹ 16,74.40 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

**अनुदान संख्या - 38 - राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण			
राजस्व :				
मूल	17,65,43}	24,42,93	17,36,03	(-)7,06,90
अनुपूरक	6,77,50}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				6,71,88

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 7,06.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 72.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 5,01.50 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 1,04.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,77.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,71.88 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,06.90 लाख) से ₹ 35.02 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	02	स्टाम्प-न्यायिकेतर		
	101	स्टाम्पों की लागत		
1.	01	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)		
	मूल	2,00.00}	4,20.94	3,86.15
	अनुपूरक	6,04.00}		(-)34.79
	पुनर्वि०	(-)3,83.06}		

₹ 4,17.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 38 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	03 निबंधन			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 12,31.28}	11,06.19	11,06.19	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.09}			
3.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,21.98}	1,77.45	1,77.45	0.00
	अनुपूरक 1.50}			
	पुनर्वि० (-)46.03}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,25.09 लाख एवं ₹ 46.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
01 स्टाम्प-न्यायिक			
101 स्टाम्पों की लागत			
01 केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
	मूल 1,05.00}	0.57	0.00
	पुनर्वि० (-)1,04.43}		(-)0.57

₹ 1,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
राजस्व :				
मूल	1,70,11,85}	11,48,80,85	10,36,16,31	(-)1,12,64,54
अनुपूरक	9,78,69,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016) 1,22,50,40

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 1,12,64.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 5,21,68.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 4,57,01.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,78,69.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,22,50.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,12,64.54 लाख) से ₹ 9,85.86 लाख अधिक था।
- (iii) शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 101-आनुग्रहिक राहत, 07-कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक) (गैर-योजना) एवं 102-पीने के पानी की पूर्ति, 03-ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं नलकूपों आदि की मरम्मत (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 7,60.59 लाख तथा ₹ 5,77.11 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 3,60,00.00 लाख और ₹ 1,12,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	01 पुनर्वास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
1.	01 स्थापना प्रभार तथा प्राकृतिक विपत्ति (गैर-योजना)			
	मूल 2,37.04}	2,03.67	2,03.67	0.00
	अनुपूरक 1.00}			
	पुनर्वि० (-)34.37}			

₹ 34.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः गृह विभाग में इस विभाग का विलय के फलस्वरूप प्रधान सचिव/सचिव का वेतन का भुगतान इस विभाग द्वारा नहीं किये जाने (₹ 17.67 लाख) एवं माँग कम होने (₹ 6.37) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
	02 बाढ़, चक्रवात आदि			
2.	101 आनुग्रहिक राहत			
	03 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00}	78.66	78.66	0.00
	पुनर्वि० (-)1,71.34}			
3.	07 अन्तर्राज्यीय आपदा से प्रभावित लोगों को वस्त्रों/कम्बलों का वितरण (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	66.49	66.49	0.00
	पुनर्वि० (-)33.51}			
4.	113 घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
	02 बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	6,02.58	6,02.58	0.00
	पुनर्वि० (-)3,97.42}			
5.	80 सामान्य			
	102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध			
	01 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	7,72.85	7,72.85	0.00
	पुनर्वि० (-)2,27.15}			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	13 शीत लहर से प्रभावित लोगों को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	49.92	49.92	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.08}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 1,71.34 लाख, ₹ 33.51 लाख, ₹ 3,97.42 लाख, ₹ 2,27.15 लाख एवं ₹ 1,50.08 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
	01 सूखा			
	101 आनुग्राहिक राहत			
1.	01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)			
	मूल 13,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)13,00.00}			
2.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 30,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30,00.00}			
3.	08 खाद्यान्न की आपूर्ति के लिये राज्य सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 7,14.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,14.00}			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	09 अन्य कार्यों हेतु राज्य द्वारा सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
5.	104 चारे की पूर्ति			
	01 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
6.	282 लोक स्वास्थ्य			
	01 दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 14,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)14,50.00}			
7.	02 बाढ़, चक्रवात आदि			
	101 आनुग्रहिक राहत			
	01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
8.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
9.	06 अन्य राज्यों के आपदा पीड़ितों को सहायतार्थ (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	105 01	पशु चिकित्सा मवेशी के लिए औषधियाँ (गैर-योजना)		
	मूल	50.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00}		
11.	282 01	जन स्वास्थ्य मानव के लिए औषधियाँ (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		
12.	80 102	सामान्य विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध		
	02	संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		
13.	09	विभिन्न संवर्गों से लिए गये राज्य अधिकारियों के कोर बहुविषयी समूहों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)		
	मूल	57.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)57.00}		
14.	12	भूधसान से प्रभावित व्यक्तियों को सहायक अनुदान (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		
15.	14	अन्तर्राज्यीय आपदा हेतु राहत कैम्पों की व्यवस्था (गैर-योजना)		
	मूल	50.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00}		

उपर्युक्त पन्द्रह मामलों में निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01 सूखा			
101 आनुग्रहिक राहत			
06 अन्य कार्य (गैर-योजना)			
मूल 20,00.00}	10,23.44	14,32.20	+4,08.76
पुनर्वि० (-)9,76.56}			

₹ 9,76.56 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 4,08.76 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि:

राज्य आपदा मोचन निधि (एस०डी०आर०एफ०) एक कोष है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 48(1) (ए) के अधीन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपदा निधि (एन०डी०आर०एफ०) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 के अधीन किसी भी प्रकार के आपदा से संबंधित परिस्थितियों अथवा आपदा से निपटने के लिये किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के लिये निधि का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान एवं 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय/आपदा प्रबंधन प्रभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-33-5/2015 - एन.डी.एम.-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन एवं गठन के लिये दिशा निर्देश तैयार किया।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए :-

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

अनुदान संख्या - 39 - क्रमांत

केन्द्र एवं राज्य से निधि का वर्षवार आवंटन नीचे दर्शाया गया है:-

	2015-16	2016-17	2017-18 (₹ करोड़ में)	2018-19	2019-20	जोड़
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	2,73.00	2,86.50	3,00.75	3,15.75	3,31.50	15,07.50
राज्यांश (25 प्रतिशत)	91.00	95.50	1,00.25	1,05.25	1,10.50	5,02.50
जोड़	3,64.00	3,82.00	4,01.00	4,21.00	4,42.00	20,10.00

वर्ष 2015-16 के लिये, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या- एफ 23 (1) एफ०सी०डी०/2015 - दिनांक 27 मई 2015 एवं एफ० 23(40) एफ०सी०डी० दिनांक 29 दिसम्बर 2015 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, प्रत्येक के लिये ₹ 136.50 करोड़ के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिये द्वितीय किश्त (₹ 118.26 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 39.42 करोड़ का राज्यांश) तथा वर्ष 2015-16 के लिये प्रथम एवं द्वितीय किश्त दोनों (₹ 136.50 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 45.50 करोड़ का राज्यांश) तथा (₹ 136.56 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 45.00 करोड़ का राज्यांश) के रूप में 157.68 करोड़ की निधि में स्थानान्तरण हेतु संस्वीकृति निर्गत किया। अतः वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 5,21.68 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ने राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस०डी०आर०एफ०) समिति की सहमति से संस्वीकृति प्रदान किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक व्यय के जाँचोपरान्त वर्ष 2015-16 से संबंधित ₹ 512.01 करोड़, जो कि राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिये था। तदनुसार, वर्ष 2015-16 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत” को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹ 512.01 करोड़ नामे किया गया।

अतः 31 मार्च 2016 को राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹ 876.46 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या - 40 - राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2506 भूमि सुधार			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	4,29,94,38}	4,36,94,04	3,24,52,87	(-)1,12,41,17
अनुपूरक	6,99,66}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 1,11,77,52

पूंजी :

मूल	21,87,84}	24,70,84	22,34,16	(-)2,36,68
अनुपूरक	2,83,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 2,36,68

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (i) ₹ 1,12,41.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 1,14.66 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 2,05.60 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 3,79.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,99.66 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,11,77.52 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,12,41.17 लाख) से ₹ 63.65 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 2029-भू-राजस्व, 104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, 01-राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,66.90 लाख की बचत, जो ₹ 1,71,94.14 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 8,80.00}	4.10	4.10	0.00
	पुनर्वि० (-)8,75.90}			

₹ 8,75.90 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

2.	05 आदिवासियों को जमीन की वापसी/अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	14.00	12.52	(-)1.48
	पुनर्वि० (-)1,36.00}			

₹ 1,36.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 28.00 लाख की बचत बजट प्रावधान अधिक किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,08.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	15 सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 24,50.03}	20,88.25	20,88.19	(-)0.06
	पुनर्वि० (-)3,61.78}			

₹ 3,61.78 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)			
	मूल 22,89.00}	13,27.07	13,27.07	0.00
	पुनर्वि० (-)9,61.93}			
₹ 9,61.93 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
5.	05 आदिवासियों को जमीन की वापसी/अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 3,50.00}	22.93	22.93	0.00
	पुनर्वि० (-)3,27.07}			
₹ 3,27.07 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,52.07 लाख की बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,75.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
6.	14 भू-संबंधी नक्शा एवं अन्य अभिलेखों का मुद्रण (योजना)			
	मूल 60.00}	24.33	24.33	0.00
	पुनर्वि० (-)35.67}			
7.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 अन्य कार्यालय 17 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,84.42}	3,81.56	3,81.56	0.00
	अनुपूरक 50.66}			
	पुनर्वि० (-)53.52}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 35.67 लाख एवं ₹ 53.52 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	092 अन्य कार्यालय 04 भू-अर्जन सम्बन्धी स्थापना प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 9,49.81}	7,89.91	7,80.73	(-)9.18
	पुनर्वि० (-)1,59.90}			
₹ 1,59.90 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 9.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
9.	099 राजस्व बोर्ड 01 सामान्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,62.83}	2,43.27	2,43.27	0.00
	अनुपूरक 14.50}			
	पुनर्वि० (-)34.06}			
₹ 34.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
10.	2053 जिला प्रशासन 093 जिला प्रशासन 01 जिला प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 72,04.29}	58,03.04	58,02.89	(-)0.15
	अनुपूरक 90.60}			
	पुनर्वि० (-)14,91.85}			
11.	094 अन्य स्थापना 01 अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 38,38.00}	33,66.69	33,66.58	(-)0.11
	अनुपूरक 1,44.12}			
	पुनर्वि० (-)6,16.23}			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	04 प्रमाण-पत्र स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 2,64.29}	1,80.12	1,80.12	0.00
	पुनर्वि० (-)84.17}			
13.	101 आयुक्त 01 मुख्य कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 6,59.22}	6,26.51	6,26.51	0.00
	अनुपूरक 43.15}			
	पुनर्वि० (-)75.86}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 14,91.85 लाख, ₹ 6,16.23 लाख, ₹ 84.17 लाख एवं ₹ 75.86 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

14.	2070 अन्य प्रशासनिक ऐवाएं 115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि 03 सर्किट भवन (गैर-योजना)			
	मूल 3,84.02}	3,26.74	3,25.19	(-)1.55
	पुनर्वि० (-)57.28}			

₹ 57.28 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (योजना)			
	मूल 8,80.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)8,80.00}			
2.	103 भू-अभिलेख 01 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)			
	मूल 15,26.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15,26.00}			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 13,20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)13,20.00}			
4.	04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (योजना)			
	मूल 13,20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)13,20.00}			
<p>उपर्युक्त चार मामलों में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 8,80.00 लाख, ₹ 15,26.00 लाख, ₹ 13,20.00 लाख एवं ₹ 13,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
5.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 कृषि गणना (के०यो०यो०)			
	मूल 58.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)58.00}			
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 कृषि गणना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,59.00}	0.10	0.00	(-)0.10
	पुनर्वि० (-)1,58.90}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 58.00 लाख एवं ₹ 1,59.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमांत

पूँजी :

(v) ₹ 2,36.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 2,83.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	04 सैरात के अन्तर्गत हाट, बाजार इत्यादि का विकास (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,23.70	1,23.70	0.00
	पुनर्वि० (-)1,76.30}			
2.	800 अन्य व्यय			
	04 सैरात के अन्तर्गत हाट, बाजार इत्यादि का विकास (योजना)			
	मूल 1,00.00}	65.49	65.49	0.00
	पुनर्वि० (-)34.51}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,76.30 लाख एवं ₹ 34.51 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 41 - पथ निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2075	विविध सामान्य सेवाएं		
3054	सड़क तथा सेतु		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	2,33,45,69}	2,88,45,05	2,58,90,33	(-)29,54,72
अनुपूरक	54,99,36}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				15,66,45

पूंजी :

मूल	29,88,20,00}	33,88,20,00	33,73,83,36	(-)14,36,64
अनुपूरक	4,00,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				5,35,85

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 29,54.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 1,48.68 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 50,00.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 3,50.68 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 54,99.36 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15,66.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 29,54.72 लाख) से ₹ 13,88.27 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	3054	सड़क तथा सेतु			
	01	राष्ट्रीय राजमार्ग			
	337	सड़क निर्माण कार्य			
	01	राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (गैर-योजना)			
	मूल	14,75.00}	12,75.90	46.51	(-)12,29.39
	पुनर्वि०	(-)1,99.10}			

₹ 1,99.10 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 12,29.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	03	राज्य राजमार्ग			
	337	सड़क निर्माण-कार्य			
	01	सड़क निर्माण-कार्य (गैर-योजना)			
		मूल	1,00,00.00}	1,40,86.49	1,33,88.87
	अनुपूरक	50,00.00}			
	पुनर्वि०	(-)9,13.51}			

माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लम्बित रहने के कारण ₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 8,83.51 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 6,97.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	80	सामान्य			
	001	निदेशन एवं प्रशासन			
	02	कार्य सम्पादन (योजना)			
		मूल	1,31.28}	82.75	81.50
	पुनर्वि०	(-)48.53}			

₹ 48.53 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4.	03 अनुश्रवण (योजना)				
	मूल	2,31.83}	2,22.52	1,90.19	(-)32.33
	पुनर्वि०	(-)9.31}			

₹ 41.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)				
	मूल	6,86.05}	6,47.77	5,86.25	(-)61.52
	अनुपूरक	1.18}			
	पुनर्वि०	(-)39.46}			

मंडल में अतिरिक्त बल उपलब्ध रहने के फलस्वरूप ₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 9.46 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों तथा ₹ 61.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	06 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन (गैर-योजना)				
	मूल	92.70}	83.25	83.25	0.00
	अनुपूरक	18.00}			
	पुनर्वि०	(-)27.45}			

₹ 27.45 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

7.	09 अग्रिम योजना स्थापना (गैर-योजना)				
	मूल	6,63.26}	5,81.06	5,66.07	(-)14.99
	पुनर्वि०	(-)82.20}			

मंडल के पुनर्गठन के कारण ₹ 60.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 22.20 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों तथा ₹ 14.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 कार्य सम्पादन (योजना)			
	मूल 4,47.32}	3,54.08	3,54.08	0.00
	पुनर्वि० (-)93.24}			

₹ 93.24 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

9.	03 अनुश्रवन (योजना)			
	मूल 2,92.68}	2,54.32	2,43.20	(-)11.12
	पुनर्वि० (-)38.36}			

₹ 38.36 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 11.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2075 विविध सामान्य सेवाएं 791 विनिमय द्वारा हानि 01 विदेशी मुद्रा के विनिमय दर में भिन्नता के कारण सरकार को भुगतान (गैर-योजना)			
		0.00	2,24.45	+2,24.45
2.	3054 सड़क तथा सेतु 03 राज्य राजमार्ग, 337 सड़क निर्माण कार्य 01 सड़क निर्माण कार्य (योजना)			
		0.00	4,71.99	+4,71.99

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,24.45 लाख एवं ₹ 4,71.99 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

पूँजी :

- (v) ₹ 14,36.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 2,00,00.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,35.85 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,36.64 लाख) से ₹ 9,00.79 लाख कम था।
- (vii) शीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 03-राज्य राजमार्ग, 337-सड़क निर्माण कार्य, 01-वृहद सड़कें (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, 01-वृहद सड़कें (योजना), 03-पुल (योजना) एवं 08-वृहद सड़कें-राज्य के राजमार्गों के 2-4 लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु एशियन विकास बैंक से कर्ज (योजना) के अन्तर्गत ₹ 79,78.09 लाख, ₹ 92,10.15 लाख, ₹ 2,96.29 लाख तथा ₹ 4,24.82 लाख की निवल बचत, जो क्रमशः ₹ 11,40,00.00 लाख, ₹ 16,85,12.08 लाख, ₹ 90,00.00 लाख तथा ₹ 1,85,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 03 राज्य राजमार्ग 101 सेतु 03 पुल (योजना)				
	मूल	1,29,40.00}	1,02,65.17	1,02,93.12	+27.95
	पुनर्वि०	(-)26,74.83}			

₹ 1,74.83 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि की निकासी पर 15 प्रतिशत बन्धेज होने के कारण हुई थी। ₹ 25,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 27.95 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	337 सड़क निर्माण-कार्य 08 वृहद सड़कें-राज्य के राजमार्गों के 2-4 लेन तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु एशियन विकास बैंक से कर्ज (योजना)				
	मूल	15,00.00}	11,25.00	9,70.38	(-)1,54.62
	पुनर्वि०	(-)3,75.00}			

₹ 3,75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 1,54.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 10 बीओटी (एनयूटी) परियोजना के एनयूटी भुगतान (योजना)			
	मूल 3,58,13.88}	2,84,63.52	2,82,75.19	(-)1,88.33
	पुनर्वि० (-)73,50.36}			

₹ 50.36 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 73,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 1,88.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(viii) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
799 उचंत			
01 विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)	0.00	43,26.18	+43,26.18

₹ 43,26.18 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(ix) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 43,26.18 लाख (निवल) का उपयोग "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2015 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2016 को अन्तशेष
			(₹ लाख में)		
(i) 3054-सड़क तथा सेतु					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
जोड़	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं					
पर पूंजीगत परिव्यय					
स्टॉक-	(-)1.26	0.00	0.00	0.00	(-)1.26
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	5,52,81.15	43,26.18	0.00	43,26.18	5,96,07.33
जोड़	5,52,79.89	43,26.18	0.00	43,26.18	5,96,06.07

(x) केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान :-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" में प्रतिस्पर्शी नामें द्वारा शीर्ष "8224-केन्द्रीय सड़क निधि" में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

राज्य सरकार की अंतरित राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष '3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान' में डेबिट किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष '1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान' में क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" में प्रतिस्पर्शी नामें द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में शीर्ष '3054/5054' में पुस्तांकित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" के शेष से किया जाता है, इसे मुख्य शीर्ष "3054/5054 लघु शीर्ष, 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि" में प्रतिस्पर्शी ऋणात्मक डेबिट द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा" में डेबिट करते हुए लेखांकित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया यद्यपि, वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार से ₹ 9,10.00 लाख प्राप्त किया। शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में अन्तरण के लिए "शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" के अन्तर्गत अनुपूरक बजट, 2016-17 में समुचित बजट प्रावधान किए जाने हेतु इस मामले को सड़क निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग के समक्ष रखा गया है।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत

(xi) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता (₹ लाख में)	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2013-14	19,29,16.31	98,64.43	5.11	2,55.35	0.13
2014-15	22,42,05.70	1,19,11.00	5.31	3.51	0.00
2015-16	34,13,64.62	1,92,52.55	5.64	5,66.12	0.17

अनुदान संख्या - 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण विकास प्रभाग)
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2053	जिला प्रशासन		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्राम रोजगार		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	31,38,98,04}	37,57,32,17	24,76,21,23	(-)12,81,10,94
अनुपूरक	6,18,34,13}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,90,12,77
(14 अगस्त 2015	:	3,57,00		
15 सितम्बर 2015	:	36,00		
जनवरी 2016	:	1,77,43,38		
2 मार्च 2016	:	7,36		
31 मार्च 2016	:	:10,08,69,03)		

पूंजी :

मूल	2,29,00,00}	2,29,00,00	2,27,12,35	(-)1,87,65
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				4,07,00
---	--	--	--	---------

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 12,81,10.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (40,38.57 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 5,77,76.19 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 19.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,18,34.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,90,12.77 लाख), अंतिम बचत (₹ 12,81,10.94 लाख) से ₹ 90,98.17 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार, 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिये योजना (के०प्रा०यो०) एवं 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 10-उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,80.96 लाख एवं ₹ 9,44.36 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,63,40.00 लाख एवं ₹ 1,99,02.90 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
	02	सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम		
	101	लघु सिंचाई		
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)		
	मूल	8,82.00}	4,41.00	4,41.00
	पुनर्वि०	(-)4,41.00}		0.00
2.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)		
	मूल	2,70.00}	1,35.00	1,35.00
	पुनर्वि०	(-)1,35.00}		0.00
3.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)		
	मूल	58,32.00}	3,57.00	3,48.75
	अनुपूरक	3,57.00}		(-)8.25
	पुनर्वि०	(-)58,32.00}		

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,41.00 लाख एवं ₹ 1,35.00 लाख की प्रत्याशित बचत आई०डब्ल्यू०एम०पी० योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रारंभ किये जाने के कारण हुई थी।

₹ 58,32.00 लाख की प्रत्याशित बचत आई०डब्ल्यू० एम०पी० योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रधान मंत्री सिंचाई योजना को प्रारंभ किये जाने (₹ 54,75.00 लाख) एवं आई०डब्ल्यू०एम०पी० योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को वेतनादि के भुगतान हेतु बजट प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान किये जाने (₹ 3,57.00 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 6,48.00}	3,24.00	3,24.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,24.00}			

₹ 3,24.00 लाख की प्रत्याशित बचत आई०डब्ल्यू०एम०पी० के क्रियान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रारंभ किये जाने के कारण हुई थी।

5.	03 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम- जल छाजन निदेशालय (योजना)			
	मूल 1,50.00}	69.28	69.28	0.00
	पुनर्वि० (-)80.72}			

₹ 80.72 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

	06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
	101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना			
6.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 49,00.00}	35,40.51	35,40.51	0.00
	पुनर्वि० (-)13,59.49}			

₹ 13,59.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

7.	13 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- (योजना)			
	मूल 4,50.00}	2,72.84	2,72.84	0.00
	पुनर्वि० (-)1,77.16}			

₹ 1,77.16 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	789 05	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)		
	मूल 45,00.00}	15,01.07	15,01.07	0.00
	पुनर्वि० (-)29,98.93}			
9.	05	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)		
	मूल 15,00.00}	11,75.09	11,75.09	0.00
	पुनर्वि० (-)3,24.91}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 29,98.93 लाख एवं ₹ 3,24.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
10.	796 01	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)		
	मूल 56.00}	8.91	8.91	0.00
	पुनर्वि० (-)47.09}			
<p>₹ 47.09 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 36.00 लाख की बचत बजट प्रावधान का मुद्रण दोबारा होने जाने के कारण हुई थी। ₹ 11.09 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
11.	04	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (के०प्रा०यो०)		
	मूल 18,90.00}	4,67.01	4,53.67	(-)13.34
	पुनर्वि० (-)14,22.99}			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 6,30.00}	10,43.33	10,43.33	0.00
	अनुपूरक 6,88.70}			
	पुनर्वि० (-)2,75.37}			
13.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,08,00.00}	36,02.57	36,02.57	0.00
	पुनर्वि० (-)71,97.43}			
14.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 36,00.00}	24,96.34	24,96.34	0.00
	पुनर्वि० (-)11,03.66}			
15.	10 विभाग का कम्प्युटरीकरण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,17.19	1,17.19	0.00
	पुनर्वि० (-)1,82.81}			
16.	13 प्रखण्ड प्रशासन (योजना)			
	मूल 5,50.00}	4,81.50	4,81.50	0.00
	पुनर्वि० (-)68.50}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,82.81 लाख एवं ₹ 68.50 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	800 अन्य व्यय 04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 17,10.00}	2,98.47	2,98.47	0.00
	पुनर्वि० (-)14,11.53}			
18.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 5,70.00}	7,37.42	7,37.42	0.00
	अनुपूरक 3,56.87}			
	पुनर्वि० (-)1,89.45}			
19.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,47,00.00}	49,03.51	49,03.51	0.00
	पुनर्वि० (-)97,96.49}			
20.	2505 ग्राम रोजगार 01 राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,54,35.00}	1,72,44.86	84,21.49	(-)88,23.37
	अनुपूरक 20,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,90.14}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 14,11.53 लाख, ₹ 1,89.45 लाख एवं ₹ 97,96.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
21.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 इंदिरा आवास योजना- सामान्य के लिए योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 47,25.00}	55,39.11	55,39.11	0.00
	अनुपूरक 20,00.00}			
	पुनर्वि० (-)11,85.89}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,90.14 लाख एवं ₹ 11,85.89 लाख की प्रत्याशित बचत अनुमानित वास्तविक व्यय से अधिक निकासी किये जाने के कारण हुई थी।

22.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 नरेगा-मुख्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 1,50.00}	65.92	55.43	(-)10.49
	पुनर्वि० (-)84.08}			

₹ 94.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

23.	02 ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,49.70.00}	4,79,61.15	4,79,61.15	0.00
	अनुपूरक 70,83.21}			
	पुनर्वि० (-)3,40,92.06}			

₹ 3,40,92.06 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित वास्तविक व्यय से अधिक निकासी किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
24.	05 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 24.50}	8,48.25	8,42.03	(-)6.22
	अनुपूरक 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,76.25}			
₹ 1,82.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
25.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,29,50.00}	1,46,81.99	1,46,81.99	0.00
	अनुपूरक 21,68.33}			
	पुनर्वि० (-)1,04,36.34}			
26.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 5,50,80.00}	3,52,36.76	3,52,36.76	0.00
	अनुपूरक 52,03.99}			
	पुनर्वि० (-)2,50,47.23}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,04,36.34 लाख एवं ₹ 2,50,47.23 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित वास्तविक व्यय से अधिक निकासी किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
27.	05 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 18.00}	4,17.77	4,17.05	(-)0.72
	अनुपूरक 5,00.00}			
	पुनर्वि० (-)1,00.23}			
28.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास 28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 22,05.00}	19,59.49	19,59.49	0.00
	पुनर्वि० (-),2,45.51}			
29.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 6,75.00}	5,99.84	5,99.84	0.00
	पुनर्वि० (-)75.16}			
30.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (योजना)			
	मूल 3,64.00}	2,92.46	2,88.87	(-)3.59
	अनुपूरक 36.00}			
	पुनर्वि० (-)1,07.54}			
31.	28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 16,20.00}	14,39.62	14,39.62	0.00
	पुनर्वि० (-)1,80.38}			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत -
32.	34 प्रखंड कार्यालयों का सृष्टीकरण (योजना)			
	मूल 3,60.00}	1,49.89	1,49.89	0.00
	अनुपूरक (-)2,10.11}			
33.	43 मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 1,80.00}	1,00.00	1,00.00	0.00
	अनुपूरक (-)80.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	02 सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
	101 लघु सिंचाई			
	01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 79,38.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)79,38.00}			
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 24,30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)24,30.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में आई०डब्ल्यू०एम०पी० योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को प्रारंभ किये जाने के कारण ₹ 79,38.00 लाख एवं ₹ 24,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	11 माईक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रुकावट पर पहल (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	0.00	(-)30.00

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रूकावट पर पहल (योजना)	72.00	0.00	(-)72.00
	मूल 72.00}	72.00	0.00	(-)72.00
5.	800 अन्य व्यय 11 माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रूकावट पर पहल (योजना)	98.00	0.00	(-)98.00
	मूल 98.00}	98.00	0.00	(-)98.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 30.00 लाख, ₹ 72.00 लाख एवं ₹ 98.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 46 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (योजना)	10,00.00	0.00	0.00
	अनुपूरक 10,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्विः (-)10,00.00}			

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 उत्तर प्रखण्ड-2 प्रखण्ड (योजना)	1,00.00	0.00	
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	
	पुनर्विः (-)1,00.00}			

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

पूँजी :

- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,07.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,87.65 लाख) से ₹ 2,19.35 लाख अधिक था।
- (vi) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, 102-सामुदायिक विकास, 39-प्रखण्ड भवन-मुख्य निर्माण कार्य (योजना) के अन्तर्गत ₹ 71.60 लाख की बचत, जो कि ₹ 24,75.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।
- (vii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
38 प्रखण्ड भवन जीर्णोद्धार (योजना)			
मूल 5,50.00}	4,10.75	4,82.65	+71.90
पुनर्वि. (-)1,39.25}			

₹ 67.35 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(viii) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उचंत', जो कि लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियाँ से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2015 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2016 का अन्तशेष
			(₹ लाख में)		
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
जोड़	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16
जोड़	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16

**अनुदान संख्या - 43 - उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	90,71,25}	1,03,61,00	78,71,23	(-)24,89,77
अनुपूरक	12,89,75}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				26,38,97
(दिसम्बर 2015	: 9,33,00			
5 फरवरी 2016	: 1,14			
31 मार्च 2016	: 17,04,83)			

पूंजी :

मूल	1,32,30,00}	1,32,30,00	84,02,71	(-)48,27,29
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				48,14,46
(फरवरी 2016	: 30,50,00			
31 मार्च 2016	: 17,64,46)			

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 24,89.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 2,24.73 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 10,39.88 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 25.14 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,89.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 26,38.97 लाख), अंतिम बचत (₹ 24,89.77 लाख) से ₹ 1,49.20 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, 105- पॉलिटैक्नीक, 01-डिप्लोमा पाठ्यक्रम सहित सेंडबीच पाठ्यक्रम (गैर-योजना), 44-राजकीय पॉलिटैक्नीकों/खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम)(योजना) के अन्तर्गत ₹ 99.47 लाख एवं ₹ 70.49 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 22,38.74 लाख एवं ₹ 7,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,35.94}	1,07.16	1,06.36	(-)0.80
	अनुपूरक 1.14}			
	पुनर्वि० (-)29.92}			
2.	003 प्रशिक्षण 82 कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रु पोलिटैकनिक (के०यो०यो०)			
	मूल 64.94}	39.90	39.90	0.00
	अनुपूरक 18.60}			
	पुनर्वि० (-)43.64}			
3.	004 अनुसंधान 05 बी.आई.टी. मेसरा, राँची- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 11,10.00}	5,28.65	5,28.65	0.00
	अनुपूरक 2,46.42}			
	पुनर्वि० (-)8,27.77}			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	47 बाह्य संपोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम-70 प्रतिशत सहायक अनुदान (योजना)			
	अनुपूरक 1,50.00}	75.75	75.75	0.00
	पुनर्वि० (-)74.25}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	02 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,04.00}	79.90	79.90	0.00
	पुनर्वि० (-)24.10}			
6.	05 बी.आई.टी. मेसरा, राँची- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,90.00}	1,00.00	1,00.00	0.00
	अनुपूरक 86.58}			
	पुनर्वि० (-)3,76.58}			
7.	47 बाह्य संपोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम-70 प्रतिशत सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,60.00}	69.28	69.28	0.00
	पुनर्वि० (-)1,90.72}			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	62 तकनीकी शिक्षा- जनजातीय क्षेत्र उपयोग, निदेशन एवं प्रशासन (योजना)			
	मूल 1,04.00}	80.77	80.77	0.00
	पुनर्वि० (-)23.23}			
	800 अन्य व्यय			
9.	47 बाह्य संपोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम-70 प्रतिशत सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 7,40.00}	2,59.87	4,09.87	+1,50.00
	पुनर्वि० (-)4,80.13}			
10.	51 तकनीकी शिक्षा अन्य व्यय निदेशन एवं प्रशासन (योजना)			
	मूल 2,96.00}	2,10.47	2,10.47	0.00
	पुनर्वि० (-)85.53}			

उपर्युक्त दस मामलों में प्रत्याशित बचत तथा क्रम संख्या-9 के अन्तर्गत ₹ 1,50.00 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 004 अनुसंधान 42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 37.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)37.00}			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	112 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान ए 1 तकनीकी विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 37.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)37.00}			
3.	800 अन्य व्यय 70 इंस्टीट्यूशन नेटवर्किंग और सहयोग (योजना)			
	मूल 29.60}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)29.60}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 37.00 लाख, ₹ 37.00 लाख एवं ₹ 29.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूंजी :

- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 48,14.46 लाख), अंतिम बचत (₹ 48,27.29 लाख) से ₹ 12.83 लाख कम था।
(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02 तकनीकी शिक्षा			
105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान			
06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (के०यो०यो०)			
मूल 50,00.00}	2,46.42	2,46.42	0.00
पुनर्वि० (-)47,53.58}			

₹ 47,53.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00
	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान	0.00	0.00	0.00
	71 अभियंत्रण/पोलिटैक्निक में महिला छात्रावास का निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 30.00}			
	पुनर्वि० (-)30.00}			
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	0.00	0.00	0.00
	71 अभियंत्रण/पोलिटैक्निक में महिला छात्रावास का निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 20.00}			
	पुनर्वि० (-)20.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 30.00 लाख एवं ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 44 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2205	कला एवं संस्कृति			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	7,05,81}	7,61,27	6,04,06	(-)1,57,21
अनुपूरक	55,46}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,63,67
(11 फरवरी 2016	: 46,00			
31 मार्च 2016	: 1,17,67)			

टीका और टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 1,57.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 33.80 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 21.66 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 55.46 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,63.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,57.21 लाख) से ₹ 6.46 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2205 कला एवं संस्कृति			
	105 सार्वजनिक पुस्तकालय			
1.	01 सार्वजनिक पुस्तकालय (गैर-योजना)			
	मूल	57.26}	38.45	44.91
	पूरवि०	(-)18.81}		(+)6.46

₹ 12.35 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 44 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 01 शिक्षा विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 5,34.50}	4,54.21	4,54.21	0.00
	अनुपूरक 36.96}			
	पूनर्वि० (-)1,17.25}			
3.	03 झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 58.28}	49.17	49.17	0.00
	अनुपूरक 18.50}			
	पूनर्वि० (-)27.61}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,17.25 लाख तथा ₹ 27.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,07,70,74}	1,98,34,11	1,08,76,41	(-)89,57,70
अनुपूरक	90,63,37}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			89,57,70
(जनवरी 2016 : 5,75,80			
फरवरी 2016 : 71,75,03			
31 मार्च 2016 : 12,06,87)			

पूंजी :

मूल	34,00,00}	34,00,00	0,90	(-)33,99,10
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			33,99,10
(सितम्बर 2015 : 20,00,00			
जनवरी 2016 : 4,00,00			
फरवरी 2016 : 7,50,00)			
31 मार्च 2016 : 2,49,10)			

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (i) ₹ 89,57.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 30,18.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 35,41.74 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 25,03.63 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 90,63.37 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

- (ii) शीर्ष 2203 तकनीकी शिक्षा, 001 निदेशन एवं प्रशासन, ए 2-नेशनल ई-गवर्नेंस योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,09.00 लाख की बचत, जो कि ₹ 85,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 21 ई-गवर्नेंस-सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)	11,25.04	11,25.04	0.00
	मूल 14,00.00} पुनर्वि० (-)2,74.96}			
2.	63 ई-गवर्नेंस-आपदा प्रबंधन/ गृह/स्वास्थ्य एवं अन्य सभी विभागों के लिए ग्रीवांस एवं एमरजेंसी सर्विस हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना (योजना)	45.48	45.48	0.00
	मूल 1,00.00} पुनर्वि० (-)54.52}			
3.	85 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)	40.10	40.10	0.00
	मूल 1,00.00} पुनर्वि० (-)59.90}			
4	87 ई-नागरिक (योजना)	29.20	29.20	0.00
	मूल 85.00} पुनर्वि० (-)55.80}			

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	93 ई-मुलाकात (योजना)			
	मूल 17.00}	1,61.58	1,61.58	0.00
	अनुपूरक 1,88.00}			
	पुनर्वि० (-)43.42}			
6.	95 झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (जैप-आई.टी) के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 33.26}	33.26	33.26	0.00
	अनुपूरक 42.24}			
	पुनर्वि० (-)42.24}			
7.	96 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	65.44	65.44	0.00
	पुनर्वि० (-)34.56}			
8.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 02 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,70.74}	1,67.37	1,67.37	0.00
	अनुपूरक 19.60}			
	पुनर्वि० (-)22.97}			

उपर्युक्त आठ मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 10 नेशनल ई-गवर्नेंस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 75,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)75,00.00}			
2.	65 आई.टी. पार्क की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
3.	68 आई.आई.आई.टी. की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
4.	86 साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
5.	89 ई-ऑफिस (योजना)			
	मूल 80.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)80.00}			
6.	98 आई.टी./आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज इन्सेन्टिव (योजना)			
	मूल 25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	ए 0 आई.टी. भवन का निर्माण हेतु परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	85 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	01 जिला में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

(iv)	बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :- शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4202 शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान			
	70 सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी/पार्क का निर्माण (योजना)			
	मूल 23,00.00}	0.90	0.90	0.00
	पुनर्वि० (-)22,99.10}			

₹ 22,99.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमांत

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00
	02 तकनीकी शिक्षा			
1.	105 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान	0.00	0.00	0.00
	69 आई.आई.आई.टी. का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00}			
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			
2.	73 आई०टी०भवन का निर्माण (योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल 4,50.00}			
	पुनर्वि० (-)4,50.00}			
3.	73 आई०टी० पार्क का निर्माण (योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल 4,00.00}			
	पुनर्वि० (-)4,00.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,50.00 लाख, ₹ 4,50.00 लाख तथा ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452	पर्यटन			
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	38,54,12}	38,93,48	34,09,59	(-)4,83,89
अनुपूरक	39,36}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				4,83,39
पूंजी :				
मूल	64,60,00}	64,60,00	61,42,10	(-)3,17,90
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,24.40
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i)	₹ 4,83.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 21.28 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 18.08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 39.36 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 15 पर्यटक विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,65.53}	1,63.83	1,63.83	0.00
	अनुपूरक 18.38}			
	पुनर्वि० (-)20.08}			
2.	3452 पर्यटन 01 पर्यटक अवसंरचना 101 पर्यटक केन्द्र 17 पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढीकरण, रखरखाव, संचालन एवं आधुनिकीकरण तथा नये सूचना केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,50.00}	45.90	45.90	0.00
	पुनर्वि० (-)1,04.10}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 17 पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढीकरण, रखरखाव, संचालन एवं आधुनिकीकरण तथा नये सूचना केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	19.96	19.96	0.00
	पुनर्वि० (-)80.04}			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

क्रम १	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	80 सामान्य 001 निदेशन और प्रशासन 01 निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,05.27}	1,10.59	1,10.09	(-)0.50
	अनुपूरक 20.20}			
	पुनर्वि० (-)14.88}			
5.	104 संवर्धन तथा प्रचार 13 कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (योजना)			
	मूल 1,75.00}	72.26	72.26	0.00
	पुनर्वि० (-)1,02.74}			
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 13 कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (योजना)			
	मूल 1,75.00}	95.71	95.71	0.00
	पुनर्वि० (-)79.29}			

उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमांत

पूँजी:

- (iii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,24.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,17.90 लाख) से ₹ 1,93.50 लाख कम था।
- (iv) शीर्ष 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 65-पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरज्म इत्यादि (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,93.50 लाख की बचत, जो कि ₹ 22,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे (बचत ₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
62 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरज्म इत्यादि (योजना)			
मूल	1,00.00}	20.41	20.41
पुनर्वि०	(-)79.59}		0.00

₹ 79.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 47 - परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2041 वाहन कर			
3055 सड़क परिवहन			
3075 अन्य परिवहन सेवाएं			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,07,27,20}	1,07,35,61	98,11,54	(-)9,24,07
अनुपूरक	8,41}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 9,24,04

पूँजी :

मूल	9,15,00}	9,15,00	2,35,97	(-)6,79,03
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 6,79.03

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 9,24.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 1.91 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 6.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8.41 लाख का अनुपूरक अनुदान पुर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2041 वाहन कर 001 निदेशन और प्रशासन 01 राज्य परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 1,35.45}	87.68	87.68	0.00
	अनुपूरक 1.00}			
	पुनर्वि० (-)48.77}			
2.	101 संग्रहण प्रभार 01 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 1,70.01}	90.55	90.52	(-)0.03
	अनुपूरक 1.00}			
	पुनर्वि० (-)80.46}			
3.	02 मोटर वाहन पर नियंत्रण (गैर-योजना)			
	मूल 9,98.90}	4,33.62	4,33.62	0.00
	अनुपूरक 0.51}			
	पुनर्वि० (-)5,65.79}			
4.	102 मोटर वाहनों का निरीक्षण 01 वाहनों का निरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 1,34.59}	68.66	68.66	0.00
	पुनर्वि० (-)65.93}			
5.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 14 परिवहन विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,93.25}	1,46.06	1,46.06	0.00
	अनुपूरक 5.90}			
	पुनर्वि० (-)53.09}			

उपर्युक्त पांच मामलों में प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	3075	अन्य परिवहन सेवाएं			
	60	अन्य			
	101	लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता			
	04	रेल परियोजनाओं के लिए विशेष परियोजन वाहन (एस.पी.भी.) (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि० (-)40.00}				
2.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	04	रेल परियोजनाओं के लिए विशेष परियोजन वाहन (एस.पी.भी.) (योजना)			
		मूल 60.00}	0.00	0.00	0.00
		पुनर्वि० (-)60.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 40.00 लाख एवं ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

(iv) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
	02	परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवनों का निर्माण (योजना)		
		मूल 80.00}	40.37	40.37
	पुनर्वि० (-)39.63}			

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 40.00}	19.71	19.71	0.00
	पुनर्वि० (-)20.29}			
3.	17 मशीन एवं उपकरण (योजना)			
	मूल 80.00}	5.19	5.19	0.00
	पुनर्वि० (-)74.81}			
4.	21 प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी०एम०यू०) ट्रांसपोर्ट (योजना)			
	मूल 1,51.00}	96.54	96.54	0.00
	पुनर्वि० (-)54.46}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)			
	मूल 60.00}	16.13	16.13	0.00
	पुनर्वि० (-)43.87}			
6.	17 मशीन एवं उपकरण (योजना)			
	मूल 1,20.00}	20.97	20.97	0.00
	पुनर्वि० (-)99.03}			
7.	20 स्मार्ट कार्ड (योजना)			
	मूल 60.00}	27.09	27.09	0.00
	पुनर्वि० (-)32.91}			

उपर्युक्त सात मामलों में प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	15 प्रवर्तन तंत्र के लिए यातायात नियम से संबंधित सामग्रियां (योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल 15.00} पुनर्वि० (-)15.00}			
2.	20 स्मार्ट कार्ड (योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल 40.00} पुनर्वि० (-)40.00}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना	0.00	0.00	0.00
	02 परिवहन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण-भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,20.00} पुनर्वि० (-)1,20.00}	0.00	0.00	0.00
	14 ट्रेनिंग एवं एक्सपोजन/ कार्याशाला/गोष्ठी/ जागरूकता अभियान (योजना)			
4.	मूल 12.00} पुनर्वि० (-)12.00}	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	15 प्रवर्तन तंत्र के लिए यातायात नियम से संबंधित सामग्रियाँ (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 15.00 लाख, ₹ 40.00 लाख, ₹ 1,20.00 लाख, ₹ 12.00 लाख एवं ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	19 मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

7.	21 प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) (परिवहन) (योजना)			
	मूल 49.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)49.00}			

₹ 49.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
6217 शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व :

मूल	16,55,63,86}	24,44,56,79	15,56,12,81	(-)8,88,43,98
अनुपूरक	7,88,92,93}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				8,76,07,77

पूंजी :

मूल	19,93,11}	19,93,11	19,16,34	(-)76,77
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				76,77

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 8,88,43.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 2,33,07.30 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 3,33,04.63 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 2,22,81.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,88,92.93 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,76,07.77 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,88,43.98 लाख) से ₹ 12,36.21 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 01-जल पूर्ति, 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, 01-पेयजल की आपूर्ति के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना), 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-नगर निगम को सहायता, 34-शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान (योजना), 79-वृहत शहरी परिवहन योजनाएं तथा नगरीय आधारभूत संरचना (योजना) 81-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में-जेनरल बेसिक ग्रांट के अन्तर्गत नगर निगम को अनुदान (गैर-योजना), 89-प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये सहाय्य अनुदान (पी०एम०ए०वाई०) (के०प्रा०यो०) तथा 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 38-शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 10,00.00 लाख, ₹ 1,30.48, ₹ 1,65.69 लाख, ₹ 2,22.95 लाख, ₹ 1,35.37 लाख एवं ₹ 1,10.39 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,10,00.00 लाख, ₹ 45,00.00 लाख, ₹ 74,00.00 लाख, 1,07,34.78 लाख, ₹ 25,00.00 लाख तथा ₹ 13,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 01 जल पूर्ति 191 नगर निगमों को सहायता	40,00.00	40,00.00	0.00
	01 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 80,00.00} पुनर्वि० (-)40,00.00}			

₹ 40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का कम मांग होने के कारण हुई थी।

2.	02 मल-जल तथा सफाई 191 नगर निगम को सहायता	4,00.00	4,00.00	0.00
	11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 7,60.00} पुनर्वि० (-)3,60.00}			

₹ 3,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के फलस्वरूप योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	12 सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 30,00.00}	20,00.00	20,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10,00.00}			

₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत चयनित निकायों के योजना का प्रारंभ होने के कारण हुई थी।

4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	5,00.00	5,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के फलस्वरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी।

5.	12 सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 45,00.00}	25,00.00	25,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20,00.00}			

₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत चयनित निकायों में योजना का प्रारंभ होने के कारण हुई थी।

6.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 राज्य स्तरीय नगरीय प्रशासन निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 87.81}	50.89	50.89	0.00
	अनुपूरक 13.92}			
	पुनर्वि० (-)50.84}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	03 नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 72.11}	40.31	37.61	(-)2.70
	पुनर्वि० (-)31.80}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.84 लाख तथा ₹ 31.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
8.	04 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव आयोजन (गैर-योजना)			
	मूल 4,00.00}	3,45.59	3,45.59	0.00
	पुनर्वि० (-)54.41}			
₹ 54.41 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
9.	191 नगर निगमों को सहायता 26 नगर निगमों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 1,28,64}	10.51	10.51	0.00
	पुनर्वि० (-)1,18.13}			
₹ 1,18.13 लाख की प्रत्याशित बचत मानदेय के अन्तर्गत मांग पर रोक लगाये जाने के कारण हुई थी।				
10.	33 शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 45,00.00}	40,16.60	40,16.60	0.00
	पुनर्वि० (-)4,83.40}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	35 कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,02.29	1,02.29	0.00
	पुनर्वि० (-)97.71}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में 4,83.40 लाख तथा ₹ 97.71 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

12.	60 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 16,50.00}	6,58.11	6,58.11	0.00
	पुनर्वि० (-)9,91.89}			

₹ 9,91.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

13.	63 राजीव आवास योजना हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 24,10.00}	4.32	4.32	0.00
	पुनर्वि० (-)24,05.68}			

₹ 24,05.68 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 23,50.00 लाख की बचत भारत सरकार से पर्याप्त निधि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 55.68 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

14.	64 राजीव आवास योजना (आर०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 66,60.00}	10.00	10.00	0.00
	पुनर्वि० (-)66,50.00}			

₹ 66,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 66,00.00 लाख की बचत भारत सरकार से पर्याप्त निधि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 50.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	68 स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 4,00.00}	23,24.73	23,24.73	0.00
	अनुपूरक 42,78.00}			
	पुनर्वि० (-)23,53.27}			
16.	71 शहरी पुनरूथान मिशन (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	7,57.98	7,57.98	0.00
	अनुपूरक 8,60.00}			
	पुनर्वि० (-)3,02.02}			
17.	73 स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	12,00.00	0.00
	अनुपूरक 14,00.00}			
	पुनर्वि० (-)14,00.00}			
18.	76 शहरी पुनरूथान मिशन (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	3,58.33	3,58.33	0.00
	अनुपूरक 22,45.00}			
	पुनर्वि० (-)20,86.67}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 23,53.27 लाख, ₹ 3,02.02 लाख, ₹ 14,00.00 लाख तथा ₹ 20,86.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	78 जे०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत पूर्व से संचालित योजना (योजना)			
	मूल 78,00.00}	39,00.00	39,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)39,00.00}			

₹ 39,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 30,00.00 लाख की बचत निधि की मांग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 9,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

20.	05 नगर पर्षदों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,95.00}	20.52	20.52	0.00
	पुनर्वि० (-)2,74.48}			

₹ 2,74.48 लाख की प्रत्याशित बचत मानदेय के अन्तर्गत अनुदान पर रोक लगाये जाने के कारण हुई थी।

21.	40 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 3,49.85}	2,91.18	2,91.18	0.00
	पुनर्वि० (-)58.67}			

₹ 58.67 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

22.	82 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 5,64.41}	46,26.34	46,26.33	(-)0.01
	पुनर्वि० (-)5,38.07}			

₹ 5,38.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
23.	05 नगर पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,06.31}	16.14	16.14	0.00
	पुनर्वि० (-)1,90.17}			

₹ 1,90.17 लाख की प्रत्याशित बचत मानदेय के अन्तर्गत अनुदान पर रोक लगाये जाने (₹ 1,66.89 लाख) एवं निधि की निकासी नहीं किये जाने (₹ 23.28 लाख) के कारण हुई थी।

24.	40 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 4,18.54}	2,46.50	2,46.50	0.00
	पुनर्वि० (-)1,72.04}			

₹ 1,72.04 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

25.	83 14वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 24,74.82}	18,22.46	18,22.46	0.00
	पुनर्वि० (-)6,52.36}			

₹ 6,52.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
26.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 35 कौशल विकास एवं क्षमता संवर्द्धन के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,50.00}	14.83	14.83	0.00
	पुनर्वि० (-)2,35.17}			
₹ 2,35.17 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
27.	60 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (एन०यू०एल०एम०) (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 22,50.00}	71.45	71.45	0.00
	पुनर्वि० (-)21,78.55}			
₹ 21,78.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
28.	64 राजीव आवास योजना (आर०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 52,00.00}	17.82	17.82	0.00
	पुनर्वि० (-)51,82.18}			
₹ 51,82.18 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 50,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,82.18 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
29.	68 स्वच्छ भारत मिशन (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 6,00.00}	33,68.26	33,68.26	0.00
	अनुपूरक 44,60.00}			
	पुनर्वि० (-)16,91.74}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
30.	73 स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 18,00.00}	18,00.00	18,00.00	0.00
	अनुपूरक 10,85.00}			
	पुनर्वि० (-)10,85.00}			
31.	75 स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	2,00.00	2,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			
32.	76 शहरी पुनरूथान मिशन (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}	1,33.33	1,33.33	0.00
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० (-)3,66.67}			
<p>उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 16,91.74 लाख, ₹ 10,85.00 लाख, ₹ 7,00.00 एवं ₹ 3,66.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
33.	78 जे०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत पूर्व से संचालित योजना (योजना)			
	मूल 71,00.00}	45,00.00	45,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)26,00.00}			

₹ 26,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 21,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत अपेक्षित मांग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 5,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
34.	89 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सहाय्य अनुदान (पी०एम०ए०वाई०) (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 30,00.00}	30,00.00	22,62.69	(-)7,37.31

₹ 7,37.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

35.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 05 शहरी विकास विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 5,59.53}	3,99.90	3,99.90	0.00
	अनुपूरक 6.00}			
	पुनर्वि० (-)1,65.63}			

₹ 1,65.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 01 जल पूर्ति 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों के को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10,00.00}			

निधि की मांग कम किये जाने कारण ₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	02 मल-जल तथा सफाई 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,40.00}			

अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के फलस्वरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 2,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	12 सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			

चालू वित्तीय वर्ष में योजना का शुभारंभ होने के कारण ₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

4.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन			
	05 राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना व्यय हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			

निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	191 नगर निगमों को सहायता 59 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु अनुदान (एन०यू०एल०एम०) (योजना)			
	मूल 5,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,50.00}			

भारत सरकार से पर्याप्त निधि का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 5,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

6.	61 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना- सह-एन०आर०सी०पी० हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 12,60.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)12,60.00}			

केन्द्रांश का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 12,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

7.	62 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना सह- एन०आर०सी०पी० (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 24,40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)24,40.00}			

भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 24,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	65 झारखण्ड राज्य विकास निधि हेतु अनुदान (राज्य निधि) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	67 बाह्य सम्पोषित, राँची सिवरेज-ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजनाओं हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)5,00.00}			

₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

10.	69 केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			
11.	70 स्मार्ट सिटी (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्रांश का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 40.00 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	74	केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	80.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)80.00}		

भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

13.	75	स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	6,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)6,00.00}		

₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

14.	80	पी०पी०पी० योजनाओं का कार्यान्वयन (योजना)		
	मूल	3,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)3,00.00}		

₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,00.00 लाख के शेष प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

15.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	35	कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)		
	मूल	50.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00}		

निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	59 राष्ट्रीय शहरी आजीविका/मिशन (एन०यू०एल०एम०) हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
भारत सरकार से पर्याप्त निधि का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
17.	60 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०यू०एल०एम०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)6,00.00}			
₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
18.	63 राजीव आवास योजना (आर०ए०वाई०) हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10,00.00}			
19.	64 राजीव आवास योजना (आर०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में भारत सरकार से निधि आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख प्रत्येक के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
20.	78 जे०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत पूर्व से संचालित योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			

अपेक्षित मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

21.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०यू०एल०एम०) हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 7,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,50.00}			

पर्याप्त निधि का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 7,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

22.	61 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-सह-एन०आर०सी०पी० (एन०एल०सी०पी० एवं एन०जी०आर०बी०ए०) हेतु अनुदान सहित (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 30,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30,00.00}			

केन्द्रांश का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

23.	62 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-सह-एन०आर०सी०पी० (एन०एल०सी०पी० एवं एन०जी०आर०बी०ए०) हेतु अनुदान सहित (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 70,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70,00.00}			

भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 70,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
24.	63 राजीव आवास योजना हेतु अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 18,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)18,00.00}			
₹ 18,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से पर्याप्त निधि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,00.00 लाख के शेष प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
25.	67 बाह्य सम्पोधित, राँची सिवरेज-ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजनाओं हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20,00.00}			
₹ 20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
26.	69 केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 60.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)60.00}			
27.	70 स्मार्ट सिटी (राज्यांश) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्रांश का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 60.00 लाख एवं ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय + बचत (-)
28.	79 केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,20.00}			
29.	77 जे०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत चालू योजना (राँची सिवरेज एण्ड सी०सी०बी०पी०) (केन्द्रांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,31,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,31,00.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,20.00 लाख एवं ₹ 1,31,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
30.	80 पी०पी०पी० योजनाओं का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 7,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)7,00.00}			

₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान अपेक्षित मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 2,00.00 लाख के शेष प्रावधान के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

पूँजी :

- (v) शीर्ष-6217 शहरी विकास के लिए कर्ज, 60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 192- नगरपालिकाओं/नगर पर्वदों को कर्ज, 03-नगर पर्वद/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए ऋण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 60.62 लाख की बचत, जो कि ₹ 8,20.85 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6217 शहरी विकास के लिए कर्ज			
60 अन्य शहरी विकास योजनाएं			
193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को कर्ज			
62 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए ऋण (गैर-योजना)			
मूल	1,48.57}	1,32.42	1,32.42
पुनर्वि०	(-)16.15}		0.00

₹ 16.15 लाख की प्रत्याशित बचत मांग कम प्राप्त होने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2700	मुख्य सिंचाई		
2701	मध्यम सिंचाई		
2705	कमान क्षेत्र विकास		
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	3,61,10,26}	3,62,75,87	2,57,64,77	(-)1,05,11,10
अनुपूरक	1,65,61}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 87,52,11

पूँजी :

मूल	14,68,91,00}	16,53,99,00	11,09,37,13	(-)5,44,61,87
अनुपूरक	1,85,08,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 4,94,72,36

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 1,05,11.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 12.53 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 1,53.08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,65.61 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 87,52.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,05,11.10 लाख) से ₹ 17,58.99 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2700 मुख्य सिंचाई			
	01 मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	01 तेनुघाट बाँध परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 4,50.03}	3,83.90	3,82.26	(-)1.64
	अनुपूरक 0.33}			
	पुनर्वि० (-)66.46}			
₹ 66.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
2.	02 स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 1,63,61.60}	1,36,48.92	1,28,22.97	(-)8,25.95
	अनुपूरक 1,20.34}			
	पुनर्वि० (-)28,33.02}			
3.	2701 मध्यम सिंचाई			
	03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	06 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 68,78.78}	48,44.91	43,16.54	(-)5,28.37
	अनुपूरक 10.13}			
	पुनर्वि० (-)20,44.00}			
4.	07 मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
	मूल 1,10,60.75}	75,66.24	72,64.15	(-)3,02.09
	अनुपूरक 32.24}			
	पुनर्वि० (-)35,26.75}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 36,58.97 लाख, ₹ 25,72.37 लाख एवं ₹ 38,28.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	80 सामान्य 001 निदेशक तथा प्रशासन 01 मुख्यालय सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 2,05.89}	1,77.19	1,74.66	(-)2.53
	पुनर्वि० (-)28.70}			
6.	2705 कमान क्षेत्र विकास 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 कांची सिंचाई योजना (केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50) (योजना)			
	मूल 50.00}	8.00	7.50	(-)0.50
	पुनर्वि० (-)42.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 28.70 लाख एवं ₹ 42.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
7.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 09 जल संसाधन विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 7,49.17}	6,80.05	6,61.85	(-)18.20
	अनुपूरक 2.57}			
	पुनर्वि० (-)71.69}			

₹ 89.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2705	कमान क्षेत्र विकास		
	101	मयुराक्षी कमान क्षेत्र विकास		
	01	मयुराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50) (योजना)		
	मूल	50.00}	22.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)28.00}		(-)22.00
2.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	01	मयुराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50) (योजना)		
		मूल	50.00}	50.00
				(-)50.00
3.	2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
	01	बाढ़ नियंत्रण		
	001	निर्देशन और प्रशासन		
	01	गंगा नदी के दाएं तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		0.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

पूँजी:

(v) ₹ 5,44,61.87 लाख की वृहद् अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 97,49.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 87,59.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,85,08.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,94,72.36 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,44,61.87 लाख) से ₹ 49,89.51 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

- (vii) शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 09-स्वर्णरेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 19,90.15 लाख की बचत, जो कि ₹ 2,83,35.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	80	सामान्य		
	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		
	12	ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (योजना)		
		मूल 2,61,75.00} पुनर्वि० (-)2,21,00.00}	40,75.00	19,09.59

₹ 2,42,65.41 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	11	स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि) (योजना)		
		मूल 1,26,00.00}	1,26,00.00	23,33.64

₹ 1,02,66.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	12	ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (योजना)		
		मूल 4,26,25.00} पुनर्वि० (-)1,66,25.00}	2,60,00.00	2,60,00.00

₹ 1,66,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 7,00.00} पुनर्वि० (-)2,16.93}	4,83.07	3,65.63	(-)1,17.44
5.	66 नई भवनों का निर्माण तथा पुराने भवनों की मरम्मत (योजना)			
	मूल 3,00.00} पुनर्वि० (-)1,08.92}	1,91.08	1,60.63	(-)30.45
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 25,00.00} पुनर्वि० (-)17,60.78}	7,39.22	5,68.39	(-)1,70.83
7.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (योजना)			
	मूल 40,00.00} पुनर्वि० (-)19,72.69}	20,27.31	19,19.29	(-)1,08.02
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	68 भवनों का संधारण (योजना)			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

		मूल 3,00.00}	1,02.68	57.44	(-)45.24
		पुनर्वि० (-)1,97.32}			
9.	69	प्रशिक्षण, कर्मशाला एवं सेमिनार (योजना)			
		मूल 50.00}	5.00	2.83	(-)2.17
		पुनर्वि० (-)45.00}			
10.	70	ई-गवर्नेंस (योजना)			
		मूल 1,20.00}	37.56	32.41	(-)5.15
		पुनर्वि० (-)82.44}			
11.	74	2011-12 में सम्पूर्ण होने वाले मध्यम सिंचाई परियोजना का अवशेष कार्य तथा दायित्व (योजना)			
		मूल 39,80.00}	33,50.00	28,37.76	(-)5,12.24
		पुनर्वि० (-)6,30.00}			
12.	75	सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
		मूल 4,00.00}	2,02.13	1,09.43	(-)92.70
		पुनर्वि० (-)1,97.87}			
13.	800 46	अन्य व्यय सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
		मूल 29,00.00}	23,75.09	15,71.35	(-)8,03.74
		पुनर्वि० (-)5,24.91}			
क्रम सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	54	पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(योजना)

		मूल	45,00.00}	30,38.32	20,97.28	(-)9,41.04
		पुनर्वि०	(-)14,61.68}			
15.	71	छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 2011-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व (योजना)				
		मूल	59,00.00}	59,00.00	52,20.12	(-)6,79.88
16.	75	सर्वेक्षण, अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)				
		मूल	6,00.00}	4,78.30	32.92	(-)4,45.38
		पुनर्वि०	(-)1,21.70}			
उपर्युक्त तरह मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।						
	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
	01	बाढ़ नियंत्रण				
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
17.	58	नई बाढ़ नियंत्रण/ कटाव निरोधक कार्य कार्यान्वयन (योजना)				
		मूल	5,28.00}	3,64.93	3,64.93	0.00
		पुनर्वि०	(-)1,63.07}			

₹ 1,63.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 नई बाढ़ नियंत्रण/ कटाव निरोधक कार्य का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 12,00.00}	11,17.56	10,33.91	(-)83.65
	पुनर्वि० (-)82.44}			

₹ 1,66.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 12 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	(-)0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
2.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 65 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
3.	72 मध्यम सिंचाई परियोजना (ए०आई०बी०पी०) के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	796 12 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना डेम सेफटी एवं हाईड्रोलॉजी प्रोजेक्ट-2 (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
5.	14 झारखण्ड सिंचाई आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
6.	39 वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.00}			
7.	63 मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 35.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)35.00}			
8.	67 जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापना एवं नये वाहन का क्रय (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
9.	72 मध्यम सिंचाई परियोजना (ए०आई०बी०पी०) के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,75.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,75.00}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	800 अन्य व्यय 65 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,55.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,55.00}			

उपर्युक्त दस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(ix) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
62 मध्यम सिंचाई परियोजना के अनतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
मूल 33,10.00}	13,11.61	14,70.62	+1,59.01
पुनर्वि० (-)19,98.39}			

₹ 18,39.38 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

- (x) शीर्ष 4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 64-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,41.35 लाख का निवल अधिक व्यय, जो कि ₹ 50,70.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे निम्नलिखित मामले में बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
10 स्वर्णरेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	0.00	1,30,10.85	+1,30,10.85

₹ 1,30,10.85 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(xi) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ (-)83.21 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष "उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम-इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उप-शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2015 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2016 को अन्तशेष
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	48,19.48	0.00	83.21	(-)83.21	47,36.27
जोड़	48,19.48	0.00	83.21	(-)83.21	47,36.27

**अनुदान संख्या - 50 - जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2702 लघु सिंचाई				
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व :				
मूल	92,91,75}	98,21,31	69,27,32	(-)28,93,99
अनुपूरक	5,29,56}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				25,22,23
(5 दिसम्बर 2015 : 10,00,00				
31 मार्च 2016 : 15,22,23)				
पूंजी :				
मूल	5,34,09,00}	5,67,95,61	47,56,95	(-)5,20,38,66
अनुपूरक	33,86,61}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,,26,95,94
(14 अगस्त 2015 : 8,86,60				
5 दिसम्बर 2015 : 2,69,00,00				
10 फरवरी 2016 : 1,05,39,01				
31 मार्च 2016 : 43,70,33)				

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 28,93.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 5,02.73 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 26.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,29.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 25,22.23 लाख), अंतिम बचत (₹ 28,93.99 लाख) से ₹ 3,71.76 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2702 लघु सिंचाई	68,27.82	64,58.98	(-)3,68.84
	02 भू-जल			
	005 अन्वेषण			
	01 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (गैर-योजना)			
	मूल 92,91.73}			
	अनुपूरक 26.83}			
	पुनर्वि० (-)24,90.74}			

₹ 28,59.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	03 सतही सिंचाई योजना हेतु वित्त (गैर-योजना)	26.44	26.44	0.00
	मूल 0.01}			
	अनुपूरक 44.36}			
	पुनर्वि० (-)17.93}			

₹ 17.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

(iv) ₹ 5,20,38.66 लाख की वृहत् अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 8,86.61 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 25,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 33,86.61 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,26,95.94 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,20,38.66 लाख) से ₹ 93.42.72 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(vi) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 सतही जल 18 चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 6,00.00}	5,99.86	4,76.73	(-)1,23.13
	पुनर्वि० (-)0.14}			
2.	19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 22,00.00}	7,50.37	4,50.96	(-)2,99.41
	अनुपूरक 9,00.00}			
	पुनर्वि० (-)23,49.63}			
3.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 27,00.00}	16,13.88	14,21.41	(-)1,92.47
	पुनर्वि० (-)10,86.12}			
4.	25 भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 80.00}	1,07.93	84.74	(-)23.19
	अनुपूरक 60.00}			
	पुनर्वि० (-)32.07}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 27,00.00}	6.70	4.16	(-)2.54
	पुनर्वि० (-)26,93.30}			
6.	31 सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्शी एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 80.00}	58.00	21.81	(-)36.19
	पुनर्वि० (-)22.00}			
उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
7.	34 झारखंड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको को वेतन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 4,50.00}	4,07.16	4,07.16	0.00
	अनुपूरक 4,43.30}			
	पुनर्वि० (-)4,86.14}			
₹ 4,86.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
8.	35 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 1,03,00.00}	12,00.00	68.47	(-)11,31.53
	पुनर्वि० (-)91,00.00}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	796 03 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टीक्स (के०यो०यो०)			
	मूल 5,00.00}	1,24.65	16.12	(-)1,08.53
	पुनर्वि० (-)3,75.35}			
10.	18 चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,50.00}	2,19.99	1,81.00	(-)38.99
	पुनर्वि० (-)1,30.01}			
11.	19 नई लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण (योजना)			
	मूल 19,60.00}	35,00.00	9,94.97	(-)25,05.03
	अनुपूरक 15,40.00}			
12.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 14,33.00}	1,72.29	1,22.00	(-)50.29
	पुनर्वि० (-)12,60.71}			
13.	24 नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण (योजना)			
	मूल 40.00}	3.27	1.20	(-)2.07
	पुनर्वि० (-)36.73}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 70,00.00}	56.70	24.17	(-)32.53
	पुनर्वि० (-)69,43.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

15.	34 झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति, एवं झालको को वेतन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 4,30.00}	4,07.16	4,07.16	0.00
	अनुपूरक 4,43.30}			
	पुनर्वि० (-)4,66.14}			

₹ 4,66.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

16.	35 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 2,12,00.00}	48,00.00	13.59	(-)47,86.41
	पुनर्वि० (-)1,64,00.00}			

₹ 2,11,86.41 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 सतही जल 07 वॉटर वॉडिज कार्य का पुनर्स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
2.	36 भू-जल सिंचाई योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 18 चालू सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
4.	19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
5.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 25,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25,00.00}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 66.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)66.00}			
7.	35 ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 07 वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
9.	36 भू-जल सिंचाई योजना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमांत

(ix) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 7.39 लाख (निवल) को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम-इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2015 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2016 को अन्तशेष
			(₹ लाख में)		
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	5,05.37	7.39	0.00	7.39	5,12.76
जोड़	5,05.37	7.39	0.00	7.39	5,12.76

**अनुदान संख्या - 51 - कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	11,35,53,10}	13,35,02,53	11,72,03,55	(-)1,62,98,98
अनुपूरक	1,99,49,43}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				83,89,11

पूंजी :

मूल	2,07,84,00}	2,22,90,38	1,66,63,69	(-)56,26,69
अनुपूरक	15,06,38}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,40,74

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 1,62,98.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 47,32.21 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 31,81.66) लाख एवं फरवरी 2016 (₹ 1,20,35.56 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,99,49.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 83,89.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,62,98.98 लाख) से ₹ 79,09.87 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 61-प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना) 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, 04-आदिम जनजातियों का विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०), 11-तकनीकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०), 61-प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना), 78-समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (योजना) एवं 90-वन बंधु कल्याण योजना (के०यो०यो०) के अन्तर्गत ₹ 1,42.33 लाख, ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 1,19.98 लाख, ₹ 3,36.83 लाख, ₹ 1,17.84 लाख एवं ₹ 2,55.20 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 25,00.00 लाख ₹ 15,75.00 लाख, ₹ 48,70.46 लाख, ₹ 38,00.00 लाख, ₹ 12,00.00 लाख एवं ₹ 26,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	44,69.48	20,35.36	(-)24,34.12
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 47,59.78}			
	अनुपूरक 2.83}			
	पुनर्वि० (-)2,93.13}			
₹ 27,27.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
2.	277 शिक्षा	1,42.50	80.05	(-)62.45
	02 छात्रावास संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 1,42.50}			
₹ 62.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
3.	03 आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)	17,92.43	15,99.43	(-)1,93.00
	मूल 19,27.91}			
	अनुपूरक 3.63}			
	पुनर्वि० (-)1,39.11}			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4.	789 01	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना निर्देशन एवं प्रशासन (योजना)			
	मूल	2,20.00}	2,11.28	1,85.16	(-)26.12
	पुनर्वि०	(-)8.72}			
5.	10	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 (के०प्रा०यो०)			
	मूल	75.00}	74.84	35.72	(-)39.12
	पुनर्वि०	(-)0.16}			
6.	10	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 (योजना)			
	मूल	75.00}	50.70	29.80	(-)20.90
	पुनर्वि०	(-)24.30}			
<p>उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,32.11 लाख, ₹ 34.84 लाख, ₹ 39.28 लाख एवं ₹ 45.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>					
7.	67	विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल	20,00.00}	20,00.00	20,00.00	0.00
	अनुपूरक	20,00.00}			
	पुनर्वि०	(-)20,00.00}			

₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार तृतीय अनुपूरक के द्वारा बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 03 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास (गैर-योजना)			
	मूल 8,49.73}	6,42.81	5,07.97	(-)1,34.84
	पुनर्वि० (-)2,06.92}			
9.	04 आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 72,72.37}	58,00.10	53,95.18	(-)4,04.92
	अनुपूरक 3.81}			
	पुनर्वि० (-)14,76.08}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,41.76 लाख एवं ₹ 18,81.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
10.	18 अन्य कल्याण कार्यक्रम- गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	14.60	14.58	(-)0.02
	पुनर्वि० (-)35.40}			
₹ 35.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
11.	57 उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 7,50.00}	9,03.03	7,29.75	(-)1,73.28
	पुनर्वि० 1,53.03}			

₹ 1,53.03 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि एवं ₹ 1,73.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	65 प्रवेशिकोत्तर तकनीकी छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	1,99.96	(-)5,00.04
	पुनर्वि० (-)71.33}			
	₹ 5,00.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
13.	69 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 3,10.86}	2,39.53	1,65.85	(-)73.68
	पुनर्वि० (-)71.33}			
	₹ 1,45.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
14.	84 आदिम जनजातियों के लिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 1,20.00}	55.17	55.17	0.00
	पुनर्वि० (-)64.83}			
	₹ 64.83 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
15.	85 मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 9,00.00}	7,61.84	7,61.84	0.00
	पुनर्वि० (-)1,38.16}			
	₹ 1,38.16 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
16.	282 स्वास्थ्य 01 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 2,60.12}	2,42.32	1,72.08	(-)70.24
	पुनर्वि० (-)17.80}			
	₹ 88.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 26 झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	51.30	(-)48.70
	पुनर्वि० (-)32.51}			
₹ 48.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
18.	32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,67.49	1,67.49	0.00
	पुनर्वि० (-)32.51}			
₹ 32.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
19.	39 ग्रामीण अस्पतालों का संधारण (योजना)			
	मूल 21,00.00}	16,46.33	16,29.03	(-)17.30
	पुनर्वि० (-)4,53.67}			
20.	54 अनुसूचित जनजातियों के लिए भोकेशनल शिक्षा-गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	68.67	50.35	(-)18.32
	पुनर्वि० (-)31.33}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,70.97 लाख एवं ₹ 49.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
21.	84 आदिम जनजातियों के लिए अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 2,80.00}	81.88	81.88	0.00
	पुनर्वि० (-)1,98.12}			

₹ 1,98.12 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

22.	85 मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 26,00.00}	24,59.76	22,70.38	(-)1,89.38
	पुनर्वि० (-)1,40.24}			

₹ 1,40.24 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 1,89.38 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

23.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 18 पिछड़ी जातियों के लिए आवासीय विद्यालयों का संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 2,59.60}	2,48.55	2,26.90	(-)21.65
	अनुपूरक 0.20}			
	पुनर्वि० (-)11.25}			

₹ 32.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

24.	84 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	47.51	(-)52.49

₹ 52.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
25.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 18 पिछड़ी जातियों के लिए आवासीय विद्यालयों का संधारण (योजना)			
	मूल 1,10.00}	95.38	91.14	(-)4.24
	अनुपूरक 27.17}			
	पुनर्वि० (-)41.79}			

₹ 46.03 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

26.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 06 कल्याण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,87.91}	3,87.91	3,48.61	(-)39.30

₹ 39.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 04 अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 41.10}	41.10	0.00	(-)41.10

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
2.	20 शिक्षा-अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को स्थापना अनुदान एवं सहायक अनुदान (योजना)	1,50.00}	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
3.	86 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग 9 एवं 10) (योजना)	4,00.00}	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
4.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 227 शिक्षा 24 शिक्षा-छात्रावास संधारण, बर्तन, उपस्कर एवं टी०बी० (योजना)	40.00}	40.00	0.00	(-)40.00
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 भोकेशनल प्रशिक्षण (योजना)	40.00}	40.00	0.00	(-)40.00
6.	26 झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (के०प्रा०यो०)	1,00.00}	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	49 शिक्षा-छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास संधारण, बर्तन, उपस्कर एवं टी०वी० (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
8.	89 लाह एवं लघु वनो उपज विपणन एवं विकास कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30,00.00}			
केन्द्र सरकार द्वारा आर०टी०जी०एस० के माध्यम से दोनों अभिकरणों (झास्को लैम्प) एवं (झास्कोफेड) को सीधे निधि का स्थानांतरण किये जाने के कारण ₹ 30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
9.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 06 ओ०बी०सी० को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 60.00}	60.00	0.00	(-)60.00
10.	06 ओ०बी०सी० को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
11.	06 ओ०बी०सी० को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृति (के०यो०यो०)			
	मूल 90.00}	90.00	0.00	(-)90.00
13.	06 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
14.	06 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृति (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
15.	07 पिछड़ा वर्ग विकास निगम- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			

उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पिछड़ा वर्ग विकास निगम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप निधि का आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी :

(v) ₹ 56,26.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 15,06.38 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,40.74 लाख), अंतिम बचत (₹ 56,26.69 लाख) से ₹ 52,85.95 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

- (vii) शीर्ष 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 08-संविधान की धारा 275(1) के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,30.64 लाख की अंतिम बचत जो कि ₹ 1,15,06.38 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, कि अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)				
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,40.35}	1,40.35	80.60				
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण							
	283 आवास							
	06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)							
	मूल	1,40.35}	1,40.35	80.60	(-)59.75			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3,59.65}	3,59.65	3,15.25				
	06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)							
	मूल				3,59.65}	3,59.65	3,15.25	(-)44.40
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 59.75 लाख एवं ₹ 44.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।								
3.	09 आवासीय विद्यालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)	10,00.00}	9,91.26	8,90.16				
	मूल				10,00.00}	9,91.26	8,90.16	(-)1,01.10
	पुनर्वि०				(-)8.74}			

₹ 1,09.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	37 आदिवासियों का जाहेरस्थान/ हड़गड़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 10,00.00}	7,48.56	7,48.56	0.00
	पुनर्वि० (-)2,51.44}			

₹ 2,51.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	38 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,13.05	(-)36.95

₹ 36.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1.	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	0.00	(-)2,60.00
2.	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	0.00	(-)2,60.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	21 बाबु जगजीवन राम बालिका छात्रावास निर्माण योजना (योजना)			
	मूल 5,05.00}	5,05.00	0.00	(-)5,05.00
4.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण शिक्षा			
	277 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 85.00}	85.00	0.00	(-)85.00
5.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 85.00}	85.00	0.00	(-)85.00
6.	40 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति बालक-बालिका छात्रावास (योजना)			
	मूल 2,45.00}	2,45.00	0.00	(-)2,45.00
7.	41 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	0.00	(-)2,60.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	0.00	(-)2,60.00
10.	05 पहाड़िया दीवाकालीन आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (बिरसा मुण्डा डी०ए०भी० स्कूल) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
11.	39 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय (योजना)			
	मूल 6,05.00}	6,05.00	0.00	(-)6,05.00
12.	40 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति बालक- बालिका छात्रावास (योजना)			
	मूल 3,65.00}	3,65.00	0.00	(-)3,65.00
13.	41 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (योजना)			
	मूल 3,72.00}	3,72.00	0.00	(-)3,72.00
	03 पिछले वर्गों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
14.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	0.00	(-)2,60.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	0.00	(-)2,60.00
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 85.00}	85.00	0.00	(-)85.00
17.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 85.00}	85.00	0.00	(-)85.00

उपर्युक्त सत्रह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 52 - पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	79,36,20}	84,79,71	58,11,74	(-)26,67,97
अनुपूरक	5,43,51}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				26,66,55

पूंजी :

मूल	14,48,00}	14,48,00	12,97,41	(-)1,50,59
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,00,59

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 26,67.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 0.01 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 4,78.10 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 65.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,43.51 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(ii) शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 102-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम, 01-राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशासन (गैर-योजना) के अन्तर्गत 57.32 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 7,29.95 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2204 102 07 खेलकूद तथा युवा सेवाएं विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए नवीन इकाई (गैर-योजना)			
	मूल 1,46.32}	46.33	46.33	0.00
	पुनर्वि० (-)99.99}			
2.	104 02 खेलकूद खेलकूद (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.93}	81.75	81.75	0.00
	पुनर्वि० (-)19.18}			
3.	13 युवा गतिविधियाँ (योजना)			
	मूल 1,75.00}	99.03	99.03	0.00
	पुनर्वि० (-)75.97}			
4.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/ प्रतिभा खोज/खेल कीट/ खेल सामग्री (योजना)			
	मूल 2,00.00}	53.30	53.30	0.00
	पुनर्वि० (-)1,46.70}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	40 अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/ जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी एवं साहसिक खेल (योजना)			
	मूल 1,90.00}	1,60.50	1,60.50	0.00
	अनुपूरक 50.00}			
	पुनर्वि० (-)79.50}			
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	27 खिलाड़ी कल्याण कोष, छात्रवृत्ति/सम्मान (योजना)			
	मूल 50.00}	2.50	2.50	0.00
	पुनर्वि० (-)47.50}			
7.	40 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/ जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी एवं साहसिक खेल (योजना)			
	मूल 30.00}	12.30	12.30	0.00
	पुनर्वि० (-)17.70}			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	13 युवा गतिविधियाँ (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,37.50	1,37.50	0.00
	पुनर्वि० (-)37.50}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/ प्रतिभा खोज/खेल कीट/ खेल सामग्री (योजना)			
	मूल 3,30.00}	2,93.63	2,93.63	0.00
	पुनर्वि० (-)36.37}			
10.	40 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी एवं साहसिक खेल (योजना)			
	मूल 2,80.00}	4,18.87	4,17.97	(-)0.90
	अनुपूरक 3,68.35}			
	पुनर्वि० (-)2,29.48}			
11.	45 सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का सृजन (योजना)			
	मूल 75.00}	50.00	50.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			
12.	2205 कला एवं संस्कृति 101 ललित कला शिक्षा 04 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (योजना)			
	मूल 3,55.00}	3,09.88	3,09.88	0.00
	पुनर्वि० (-)45.12}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
13.	34 सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (योजना)			
	मूल 45.00}	30.00	30.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00}			
14.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,21.80	1,21.80	0.00
	पुनर्वि० (-)78.20}			
15.	07 संग्रहालय का विकास एवं सांस्कृतिक जागरूकता (योजना)			
	मूल 75.00}	50.49	50.49	0.00
	पुनर्वि० (-)24.51}			
16.	34 सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (योजना)			
	मूल 1,75.00}	65.06	65.06	0.00
	पुनर्वि० (-)1,09.94}			
17.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 02 कला, संस्कृति, खेलकूद तथा युवा कल्याण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,88.71}	1,71.02	1,71.02	0.00
	अनुपूरक 1.58}			
	पुनर्वि० (-)19.27}			

उपर्युक्त सत्रह मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 104 खेल-कूद 10 राष्ट्रीय सेवा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
2.	32 स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,20.00}			
3.	33 प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
4.	35 कौशल विकास (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			
5.	44 राजीव गाँधी खेल अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 32 स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 80.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)80.00}			
7.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/ प्रतिभा खोज/खेल कीट/ खेल सामग्री (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 32 स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			
9.	33 प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			
10.	35 कौशल विकास (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
11.	44 राजीव गाँधी खेल अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 70.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70.00}			
12.	2205 कला एवं संस्कृति 101 ललित कला शिक्षा 33 राज्य स्तरीय ललित कला, संगीत, नाट्य एवं साहित्य कला अकादमी तथा उच्च कला का गठन (योजना)			
	मूल 15.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00}			
13.	37 रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह की स्थापना एवं कार्यशाला का आयोजन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00}			
14.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 28 जनजातीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			
15.	33 राज्य स्तरीय ललित कला, संगीत, नाट्य अकादमी एवं उच्च कला का गठन (योजना)			
	मूल 25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			
16.	37 रविन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,85.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,85.00}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
17.	37 रबिन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन (योजना)			
	मूल 1,90.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,90.00}			

उपर्युक्त सत्रह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी :

- (iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,00.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,50.59 लाख) से ₹ 50.00 लाख कम था।
- (v) शीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 03-खेलकूद तथा युवा सेवा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 18-स्टेडियम/खेल छात्रावास एवं खेल संरचनाओं का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 7,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	04 कला तथा संस्कृति			
	101 ललित कला शिक्षा			
	01 सांस्कृतिक भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 70.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	02 संग्रहालय भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 15.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2405	मछली-पालन			
4405	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	41,12,08}	46,47,10	34,50,92	(-)11,66,18
अनुपूरक	5,05,02}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,48,93
(20 अगस्त 2015	: 3,10,00			
9 दिसम्बर 2015	: 75,00			
31 मार्च 2016	: 7,63,93)			
पूंजी :				
मूल	33,37,20}	39,67,20	25,30,87	(-)14,36,33
अनुपूरक	6,30,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				13,93,28
(20 अगस्त 2015	: 2,30,00			
31 मार्च 2016	: 11,63,28)			

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) ₹ 11,66.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 4,99.05 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 5.97 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,05.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,48.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,66.18 लाख) से ₹ 17.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2405 मछली-पालन 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 मत्स्य विकास योजना एवं मत्स्य अनुसंधान योजना (गैर-योजना)	10,01.95	9,98.37	(-)3.58
	मूल 11,49.28}			
	अनुपूरक 5.97}			
	पुनर्वि० (-)1,53.30}			

₹ 1,53.30 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 75.00 लाख की बचत कार्यरत बल की सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण हुई थी। ₹ 78.30 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)	5,43.98	5,39.97	(-)4.01
	मूल 3,40.00}			
	अनुपूरक 2,72.95}			
	पुनर्वि० (-)68.97}			

₹ 72.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	2,95.48	2,95.16	0.32
	मूल 3,68.00}			
	पुनर्वि० (-)72.52}			
4.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)	1,81.46	1,81.35	(-)0.11
	मूल 2,55.00}			
	पुनर्वि० (-)73.54}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 72.52 लाख एवं ₹ 73.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	23 मत्स्य अनुसंधान योजना (योजना)			
	मूल 35.80}	17.11	17.11	0.00
	पुनर्वि० (-)18.69}			
6.	49 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों तथा कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,32.30	1,27.20	(-)5.10
	पुनर्वि० (-)17.70}			
₹ 17.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
7.	50 मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट (योजना)			
	मूल 80.00}	59.60	59.60	0.00
	पुनर्वि० (-)20.40}			
₹ 20.40 लाख की प्रत्याशित बचत लाभकों द्वारा समय पर अंशदान नहीं दिये जाने के कारण हुई थी।				
8.	56 फीश फीड फैक्टरी की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,10.00}	38.99	38.99	0.00
	पुनर्वि० (-)71.01}			

₹ 71.01 लाख की प्रत्याशित बचत गौरिया करमा में अन्य निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)			
	मूल 80.00}	1,39.73	1,37.83	(-)1.90
	अनुपूरक 75.60}			
	पुनर्वि० (-)15.87}			
10.	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 92.00}	73.96	72.86	(-)1.10
	पुनर्वि० (-)18.04}			
11.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 60.00}	40.47	40.07	(-)0.40
	पुनर्वि० (-)19.53}			
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)			
	मूल 1,80.00}	2,86.63	2,86.63	0.00
	अनुपूरक 1,50.50}			
	पुनर्वि० (-)43.87}			
13.	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,15.00}	1,83.52	1,83.40	(-)0.12
	पुनर्वि० (-)31.48}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	18 मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन (योजना)			
	मूल 1,29.00}	91.68	91.68	0.00
	पुनर्वि० (-)37.32}			

₹ 37.32 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विलम्ब से आपत्ति उठाये जाने एवं कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने के कारण हुई थी।

15.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 1,10.00}	84.14	83.54	(-)0.60
	पुनर्वि० (-)25.86}			

₹ 25.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2405 मछली-पालन 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 17 एन०एफ०डी०बी० (योजना)			
	मूल 24.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)24.00}			

एन०एफ०डी०बी० से अंशदान प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

2.	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)			
	मूल 1,60.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,60.00}			

₹ 1,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	55 विभागीय कर्मियों की प्रशिक्षण योजना (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			

श्री कृष्ण लोक प्रशासनिक संस्थान से विपत्र प्राप्त होने में विलम्ब के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

4.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)			
	मूल 40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00}			

5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)			
	मूल 1,10.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,10.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 40.00 लाख एवं ₹ 1,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	52 मात्स्यकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना			
	मूल 25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00}			

प्रशासनिक संवर्ग समिति से पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

पूँजी:

- (v) ₹ 14,36.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 6,30.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 13,93.28 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,36.33 लाख) से ₹ 43.05 लाख कम था।
- (vii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4405 मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय	3,03.75	3,03.75	0.00
	101 अन्तर्देशीय मछली-पालन			
	02 मछुआरों का आवास निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,50.00}			
	पुनर्वि० (-)1,46.25}			

₹ 1,46.25 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

2.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)	2,16.00	1,98.75	(-)17.25
	मूल 4,50.00}			
	पुनर्वि० (-)2,34.00}			

₹ 2,51.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	59 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)	1,06.48	1,06.48	0.00
	मूल 1,27.00}			
	पुनर्वि० (-)20.52}			

₹ 20.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

4.	64 रियरींग तालाब का निर्माण (योजना)	4,31.40	4,17.00	(-)14.40
	मूल 4,65.00}			
	पुनर्वि० (-)33.60}			

₹ 48.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	65 फीश फीड फैक्टरी की स्थापना (योजना)			
	मूल 40.00}	9.00	9.00	0.00
	पुनर्वि० (-)31.00}			
₹ 31.00 लाख की प्रत्याशित बचत गौरिया करमा में अन्य निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण हुई थी।				
6.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	15.04	15.04	0.00
	पुनर्वि० (-)84.96}			
₹ 84.96 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
7.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	43.50	37.50	(-)6.00
	पुनर्वि० (-)56.50}			
8.	64 रियरींग तालाब का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,03.17	97.77	(-)5.40
	पुनर्वि० (-)16.83}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 62.50 लाख एवं ₹ 22.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना मछुआरों का आवास निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	71.25	71.25	0.00
	पुनर्वि० (-)1,28.75}			
10.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	98.25	98.25	0.00
	पुनर्वि० (-)1,01.75}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,28.75 लाख एवं ₹ 1,01.75 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

11.	64 रियरिंग तालाब का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,15.00}	1,92.37	1,92.37	0.00
	पुनर्वि० (-)22.63}			

₹ 22.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4405 मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 19 मत्स्य किसान विकास अभिकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 36.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)36.00}			

भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2.	58 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 19 मत्स्य किसान विकास अभिकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 18.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)18.00}			
4.	58 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1 (योजना)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 18.00 लाख एवं ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	62 मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट (योजना)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			

योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

6.	63 मात्स्यिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,25.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.00}			

प्रशासनिक संवर्ग समिति से पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 54 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2404	डेरी विकास			
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	1,16,76,22}	2,38,93,43	1,80,01,08	(-58,92,35
अनुपूरक	1,22,17,21}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				47,39,39
(अक्टूबर 2015 : 23,31,50				
31 मार्च 2016 : 24,07,89)				
पूंजी :				
मूल	12,57,00}	12,57,00	9,63,73	(-2,93,27
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,93,27
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 58,92.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1,22,17.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 47,39.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 58,92.35 लाख) से ₹ 11,52.96 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2404 डेरी विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन तथा प्रसार (योजना)			
	मूल 1,85.00}	1,28.87	1,28.88	+0.01
	पुनर्वि० (-)56.13}			

₹ 56.13 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

2.	05 मुख्यालय स्थापना तथा डेयरी सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (गैर-योजना)			
	मूल 1,61.24}	1,59.34	1,59.34	0.00
	अनुपूरक 24.71}			
	पुनर्वि० (-)26.61}			

₹ 26.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	102 डेरी विकास परियोजनाएं			
	04 ग्रामीण डेयरी (योजना)			
	मूल 50.00}	15.67	15.67	0.00
	पुनर्वि० (-)34.33}			

₹ 34.33 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

4.	07 क्षेत्रीय डेयरी विकास कार्यालय एवं प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 1,02.20}	79.34	79.22	(-)0.12
	पुनर्वि० (-)22.86}			

₹ 22.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	10 विस्तृत इकाइयाँ (गैर-योजना)			
	मूल 6,69.78}	5,42.26	5,42.14	(-)0.12
	पुनर्वि० (-)1,27.52द्व			

₹ 1,27.52 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

6.	39 नस्ल सुधार एवं हीफर रियरींग कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 4,80.00}	4,79.95	2,81.45	(-)1,98.50
	पुनर्वि० (-)0.05}			

₹ 1,98.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

7.	48 विद्युत चालित चैफ कटर का वितरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 90.00}	59.70	59.70	0.00
	पुनर्वि० (-)30.30}			

₹ 30.30 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

8.	62 दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम (आर०के०वी०वाई०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,56.94}	6,56.94	3,45.47	(-)3,11.47

9.	62 दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम (आर०के०वी०वाई०) (योजना)			
	मूल 4,37.96}	4,37.96	4,26.44	(-)11.52

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,11.47 लाख एवं ₹ 11.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	109 विस्तार तथा प्रशिक्षण 06 प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 2,90.00}	2,15.11	2,11.93	(-)3.18
	पुनर्वि० (-)74.89}			

₹ 74.89 लाख की प्रत्याशित बचत संस्वीकृत निधि से कम व्यय के कारण हुई थी।

11.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 06 प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 1,40.00}	96.15	96.15	0.00
	पुनर्वि० (-)43.85}			

₹ 43.85 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत निधि से कम व्यय के कारण हुई थी।

12.	62 दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम (आर०के०वी०वाई०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,58.40}	1,58.40	55.58	(-)1,02.52
13.	62 दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम (आर०के०वी०वाई०) (योजना)			
	मूल 1,05.60}	1,05.60	35.57	(-)70.23

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,02.52 लाख एवं ₹ 70.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 प्रशिक्षण एवं विस्तार (योजना)			
	मूल 2,30.00}	1,52.77	1,,52.77	0.00
	पुनर्वि० (-)77.23}			

₹ 77.23 लाख की प्रत्याशित बचत संस्वीकृत निधि से कम व्यय के कारण हुई थी।

15.	05 टेक्निकल इन्पुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 3,65.00}	3,12.86	3,12.86	0.00
	पुनर्वि० (-)52.14}			

₹ 52.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

16.	41 चारा बीज संग्रहण एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 60.75}	1.97	1.97	0.00
	पुनर्वि० (-)58.78}			

₹ 58.78 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी।

17.	62 दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम (आर०के०वी०वाई०) (योजना)			
	अनुपूरक 3,03.96}	3,03.96	30.25	(-)2,73.71

18.	62 दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम (आर०के०वी०वाई०) (योजना)			
	अनुपूरक 2,02.64}	2,02.64	19.43	(-)1,83.21

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,73.71 लाख एवं ₹ 1,83.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2404 डेरी विकास 102 डेरी विकास परियोजनाएं 36 दुधारू मवेशी वितरण (योजना)			
	मूल 10,72.85}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10,72.85}			
2.	37 नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 65.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)65.00}			
3.	38 नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स (एन०एम०पी०एस०) योजनाएं (योजना)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			
4.	41 बीज संग्रहण एवं वितरण कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,35.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,35.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में मात्र 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति मिलने के कारण ₹ 10,72.85 लाख, ₹ 65.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	41 बीज संग्रहण एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 45.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)45.00}			
6.	46 गैर-वन बंजर भूमि/ ग्रासलैंड में चारा उत्पादन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 45.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)45.00}			
7.	47 एजोला उत्पादन एवं प्रत्यक्षण निमित्त प्रशिक्षण एवं मानव सम्पदा का विकास (के०प्रा०यो०)			
	मूल 60.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)60.00}			
8.	49 फॉडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 37.50}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)37.50}			
9.	51 बायपास प्रोटीन मेकिंग इकाई की स्थापना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,50.50}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.50}			

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	51 बायपास प्रोटीन मेकिंग इकाई की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
11.	52 फीड जाँच प्रयोगशाला की स्थापना/आधुनिकीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.00}			
12.	52 फीड जाँच प्रयोगशाला की स्थापना/आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
13.	55 पशु मेला (के०प्रा०यो०)			
	मूल 21.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)21.00}			
14.	56 क्षेत्रीय पशु मेला (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
15.	60 नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी विकास (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,00.00}			

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	61 राष्ट्रीय गोकुल मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00}			

उपर्युक्त तेरह मामलों में केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

17.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 36 दुधारू मवेशी वितरण (योजना)			
	मूल 2,63.95}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,63.95}			

18.	38 नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स (एन०एम०पी०एस०) योजनाएं (योजना)			
	मूल 1,30.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,30.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में मात्र 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण ₹ 2,63.95 लाख एवं ₹ 1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

19.	41 चारा संग्रहण एवं वितरण कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 29.25}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)29.25}			

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
20.	796 36	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना दुधारू मवेशी वितरण (योजना)		
	मूल	4,94.70}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,94.70}		0.00
21.	37	नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम (योजना)		
	मूल	35.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)35.00}		0.00
22.	38	नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स (एन०एम०पी०एस०) योजनाएं (योजना)		
	मूल	1,70.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,70.00}		0.00
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में मात्र 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण ₹ 4,94.70 लाख, ₹ 35.00 लाख एवं ₹ 1,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।</p>				
23.	46	गैर-वन बंजर भूमि/ ग्रासलैंड में चारा उत्पादन (के०प्रा०यो०)		
	मूल	20.25}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.25}		0.00
24.	46	एजोला उत्पादन एवं प्रत्यक्ष निमित्त प्रशिक्षण एवं मानव सम्पदा का विकास (के०प्रा०यो०)		
	मूल	27.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)27.00}		0.00

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
25.	56 क्षेत्रीय पशु मेला (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00}			
26.	61 राष्ट्रीय गोकुल मिशन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	0.00	0.00	(-)0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00}			

उपर्युक्त चार मामलों में केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी :

(v) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4404 डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय 102 डेरी विकास परियोजना 01 क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन तथा प्रसार (योजना)			
	मूल 2,15.00}	1,12.50	1,12.50	0.00
	पुनर्वि० (-)1,02.50}			

₹ 1,02.50 लाख की प्रत्याशित बचत चहारदिवारी का निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

2.	08 गोकुल नगर योजना (योजना)			
	मूल 2,10.00}	1,33.74	1,33.74	0.00
	पुनर्वि० (-)76.26}			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान संख्या - 54 - क्रमांत		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		कुल अनुदान			
3.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		46.52	0.00
	08	गोकुल नगर योजना (योजना)			
	मूल	90.00}		46.52	
	पुनर्वि०	(-)43.48}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 76.26 लाख एवं ₹ 43.48 लाख की प्रत्याशित बचत गोकुल ग्राम विकास केन्द्र का निर्माण पूरा नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

4.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		20.73	0.00
	06	विस्तार और प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल	40.00}		20.73	
	पुनर्वि०	(-)19.27}			

₹ 19.27 लाख की प्रत्याशित बचत मापी पुस्तिका में बजट प्रावधान से कम प्रविष्टि किये जाने के कारण हुई थी।

5.	08	गोकुल नगर योजना (योजना)		1,50.24	0.00
	मूल	2,00.00}		1,50.24	
	पुनर्वि०	(-)49.76}			

₹ 49.76 लाख की प्रत्याशित बचत गोकुल ग्राम विकास केन्द्र का निर्माण पूरा नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 55 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2505 ग्राम रोजगार			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	10,08,18,41}	10,13,32,23	9,64,61,74	(-)48,70,49
अनुपूरक	5,13,82}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 47,64,49

पूंजी :

मूल	10,63,40,00}	20,63,40,00	15,24,41,82	(-)5,28,98,18
अनुपूरक	10,00,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 5,40,35,37

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 48,70.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 5,00.00 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 13.82 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,13.82 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 47,64.49 लाख), अंतिम बचत (₹ 48,70.49 लाख) से ₹ 1,06.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 27-अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,74.18 लाख की बचत, जो कि ₹ 60,04.83 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2505 ग्राम रोजगार 01 राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 9,30.00} पुनर्वि० (-)2,58.46}	6,71.54	6,71.45	(-)0.09
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 12,30.00} पुनर्वि० (-)1,87.51}	10,42.49	10,42.17	(-)0.32
3.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 25 मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 64.10} अनुपूरक 0.40} पुनर्वि० (-)62.20}	2.30	2.30	0.00

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	26 अभियंता प्रमुख (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 2,05.61}	1,35.24	1,35.24	0.00
	अनुपूरक 2.60}			
	पुनर्वि० (-)72.97}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 2,58.46 लाख, ₹ 1,87.51 लाख, ₹ 62.20 लाख एवं ₹ 72.97 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

5.	28 अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग)- गैर-पी०एम०जी०एस० वाई० सड़क हेतु (गैर-योजना)			
	मूल 1,00,00.00}	71,09.35	70,03.77	(-)1,05.58
	पुनर्वि० (-)28,90.65}			

₹ 28,90.65 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 1,05.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	102 सामुदायिक विकास 08 मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ख) ग्रामीण विकास (विशेष प्रमंडल स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 6,49.18}	3,16.85	3,16.85	0.00
	पुनर्वि० (-)3,32.33}			

₹ 3,32.33 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मियों की कमी के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 16 ग्रामीण कार्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,35.69}	1,59.31	1,59.31	0.00
	अनुपूरक 9.82}			
	पुनर्वि० (-)86.20}			

₹ 86.20 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 35 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०आई०यू० का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 35 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०आई०यू० का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

पूँजी :

(v) ₹ 5,38,98.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 10,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,40,35.37 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,38,98.18 लाख) से ₹ 1,37.19 लाख अधिक था।

(vii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
	103	ग्राम विकास			
	04	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल	2,66,70.00}	4,18,34.87	4,18,34.87	0.00
	अनुपूरक	4,50,00.00}			
	पुनर्वि०	(-)2,98,35.13}			

निधि का अत्यधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 66,67.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,31,67.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

2.	07	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)			
	मूल	29,75.00}	11,50.48	11,50.48	0.00
	पुनर्वि०	(-)18,24.52}			

₹ 18,24.52 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मियों की कमी के कारण हुई थी।

3.	36	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	मूल	2,50.00}	81.08	81.08	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,68.92}			

₹ 1,68.92 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 33.92 लाख की बचत अधियाचना कम रहने के कारण हुई थी। ₹ 1,35.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल 63,50.00}	23.52	64.25	+40.73
	पुनर्वि० (-)63,26.48}			

₹ 63,26.48 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 40.73 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,04,80.00}	5,97,32.82	5,97,32.82	0.00
	अनुपूरक 5,50,00.00}			
	पुनर्वि० (-)2,57,47.18}			

बजट प्रावधान अत्यधिक रहने के कारण ₹ 76,02.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,81,45.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

6.	07 मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग) (योजना)			
	मूल 63,25.00}	30,16.19	30,14.07	(-)2.12
	पुनर्वि० (-)33,08.81}			

₹ 33,08.81 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मियों की कमी के कारण हुई थी।

7.	20 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	मूल 1,00.00}	3.60	3.60	0.00
	पुनर्वि० (-)96.40}			

₹ 96.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	36 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,10.90	1,10.90	0.00
	पुनर्वि० (-)39.10}			

₹ 39.10 लाख की प्रत्याशित बचत अधियाचना कम रहने के कारण हुई थी।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 103 ग्राम विकास 14 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,50.00}			
2.	15 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई०/राज्य संपोषित योजना/एम०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			

अनुदान संख्या - 55 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	20	जे०एस०आर०आर०डी०ए० का सुदृढीकरण (योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		
4.	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		
	36	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)		
	मूल	1,00.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00}		
5.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	14	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)		
	मूल	2,50.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,50.00}		
6.	15	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई०/ राज्य संपोषित योजना/ एम०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)		
	मूल	50.00}	00.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00}		

उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 56 - ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2015 निर्वाचन			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज			

राजस्व :

मूल	15,22,70,45}	23,29,32,41	8,22,95,94	(-)15,06,36,47
अनुपूरक	8,06,61,96}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				14,81,24,68

पूंजी :

मूल	4,00,00}	4,00,00	3,42,45	(-)57,55
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				57,55

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 15,06,36.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 7,91,05.80 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 14,74.31 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 81.85 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,06,61.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,81,24.68 लाख), अंतिम बचत (₹ 15,06,36.47 लाख) से ₹ 25,11.79 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2015 निर्वाचन 109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार 04 पंचायत चुनाव (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 80.00}	50.00	50.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00}			
₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान से कम आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।				
2.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 03 जिला पंचायत स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,36,56.37}	1,37,76.67	1,32,06.76	(-)5,69.91
	अनुपूरक 14,69.03}			
	पुनर्वि० (-)13,48.73}			
3.	05 पंचायत चुनाव (गैर-योजना)			
	मूल 1,50,00.00}	1,56,01.64	1,55,06.99	(-)94.65
	अनुपूरक 50,00.00}			
	पुनर्वि० (-)43,98.36}			
4.	06 जिला पंचायत स्थापना- दलपतियों से संबंधित व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 85.20}	44.40	40.30	(-)4.10
	पुनर्वि० (-)40.80}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	003 प्रशिक्षण 01 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (गैर-योजना)			
	मूल 3,48.30}	2,75.03	2,72.66	(-)2.37
	अनुपूरक 1.36}			
	पुनर्वि० (-)74.63}			
6.	101 पंचायती राज 04 पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय/दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	15,28.60	13,25.91	(-)2,02.69
	पुनर्वि० (-)4,71.40}			
7.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 61,53.50}	16,09.50	16,08.37	(-)1.13
	पुनर्वि० (-)45,44.00}			
8.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (योजना)			
	मूल 20,50.96}	5,36.96	5,36.12	(-)0.84
	पुनर्वि० (-)15,14.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
9.	196 03	जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	15,04.40}	15,04.40	13,35.35	(-)1,69.05
10.	04	13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	2,60.16}	2,60.16	1,39.31	(-)1,20.85
11.	197 03	प्रखण्ड पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत को सहायता 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	15,04.40}	15,04.40	13,35.35	(-)1,69.05
12.	04	13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफार्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	2,60.16}	2,60.16	1,39.31	(-)1,20.85
13.	198 03	ग्राम पंचायत को सहायता 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफार्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	45,13.20}	45,13.20	39,10.15	(-)6,03.05

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम० सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	04 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफार्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 7,80.48}	7,80.48	4,62.41	(-)3,18.07

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

15.	44 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य आधारभूत अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 6,52,83.00}	3,26,42.00	3,26,42.00	0.00
	पुनर्वि० (-)3,26,41.00}			

₹ 3,26,41.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

16.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 11,91.00}	13.00	11.85	(-)1.15
	पुनर्वि० (-)11,78.00}			
17.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (योजना)			
	मूल 3,96.96}	4.96	3.95	(-)1.01
	पुनर्वि० (-)3,92.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 11,79.15 लाख एवं ₹ 3,93.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
18.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 26 प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 64.00}	10.84	8.29	(-)2.55
	पुनर्वि० (-)53.16}			
₹ 53.16 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 34.00 लाख की बचत प्रशासनिक संवर्ग समिति से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 19.16 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
19.	33 जिला परिषदों को पंचायत भवन निर्माण एवं अन्य आय श्रोतों में वृद्धि हेतु परिसम्पत्तियों का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,13.95	(-)36.05
₹ 36.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
20.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 17 पंचायती राज एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) (गैर-योजना)			
	मूल 1,23.89}	84.40	83.52	(-)0.88
	अनुपूरक 3.27}			
	पुनर्वि० (-)42.76}			
₹ 42.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,55,05.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,55,05.00}			
2.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 1,70,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,70,00.00}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 55,90.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)55,90.00}			
4.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 85,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)85,00.00}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,58,05.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,58,05.00}			
6.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25,80.50}	2.50	0.00	(-)2.50
	पुनर्वि० (-)25,78.00}			
7.	37 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (योजना)			
	मूल 8,60.08}	66.08	0.00	(-)66.08
	पुनर्वि० (-)7,94.00}			
8.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 2,55,00.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,55,00.00}			

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमांत

पूंजी :

(v) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज			
197 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को कर्ज			
01 जिला तथा स्थानीय निधि समितियों को उधार (गैर-योजना)			
मूल 4,00.00}	3,42.45	3,42.45	0.00
पुनर्वि० (-)57.55}			

₹ 57.55 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान से कम निधि का आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 57 - नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2216 आवास			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
6216 आवास के लिए उधार			

राजस्व :

मूल	27,16,37}	27,21,85	22,17,37	(-)5,04,48
अनुपूरक	5,48}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				5,04,48

पूंजी :

मूल	23,50,00}	23,50,00	23,50,00	00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 5,04.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 4.48 लाख) एवं दिसम्बर 2015 (₹ 1.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5.48 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 57 - क्रमांत

(ii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2216 आवास 02 शहरी आवास 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 08 पी.एम.यू. एवं परामर्शी शुल्क हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00} पुनर्वि० (-)1,50.00}	0.00	0.00	0.00
2.	09 झारखंड राज्य आवास बोर्ड के लिए भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00} पुनर्वि० (-)2,50.00}	0.00	0.00	0.00
3.	03 ग्रामीण आवास 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 सिद्धु-कान्हू आवास योजना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00} पुनर्वि० (-)1,00.00}	0.00	0.00	0.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 2,50.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	12,83,10,13}	14,35,84,37	10,52,62,65	(-)3,83,21,72
अनुपूरक	1,52,74,24}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2,36,76,38
पूंजी :				
मूल	6,55,00}	6,55,00	90,06	(-)5,64,94
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,64,94
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i) ₹ 3,83,21.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 54,88.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 41,00.00 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 1,56,86.24 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,52,74.24 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,36,76.38 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,83,21.72 लाख) से ₹ 1,46,45.34 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 36-केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (योजना) एवं 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, 01-इंटरमीडिएट शिक्षा (+2-व्यवसायिक शिक्षा सहित) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 98.54 लाख एवं ₹ 2,14.91 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 13,20.00 लाख एवं ₹ 84,21.02 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 101 निरीक्षण 02 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी (गैर-योजना)	14,41.94	12,31.55	(-)2,10.39
3.	03 क्षेत्रीय उप निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (गैर-योजना)	2,09.78	1,47.88	(-)61.90
3.	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01 माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)	4,20,54.89	2,90,69.78	(-)1,29,85.11
4.	02 राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (के०प्रा०यो०)	10.34	10.34	0.00
	मूल 65.00} पुनर्वि० (-)54.67}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	08 विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 1,25.00}	55.56	55.56	0.00
	पुनर्वि० (-)69.44}			
6.	18 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत (सार्वजनिक पुस्तकालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}	4.64	4.64	0.00
	पुनर्वि० (-)45.36}			
7.	24 सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 4,00.00}	2,34.54	2,34.54	0.00
	पुनर्वि० (-)1,65.46}			
8.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 59,62.50}	1,34.47	1,34.47	0.00
	पुनर्वि० (-)58,28.03}			
9.	36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 20,00.00}	17,71.44	17,71.44	0.00
	पुनर्वि० (-)2,28.56}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
10.	45	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केन्द्रांश-90:राज्यांश-10) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	74,45.50}	66,29.17	66,29.17	0.00
	पुनर्वि०	(-)8,16.33}			
11.	61	कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (योजना)			
	मूल	1,44.00}	56.94	56.94	0.00
	पुनर्वि०	(-)87.06}			
12.	62	छात्राओं को पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण (योजना)			
	मूल	30,00.00}	18,67.16	18,67.16	0.00
	पुनर्वि०	(-)11,32.84}			
13.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	45	केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50:राज्यांश-50) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	37,87.50}	9,00.00	9,00.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)28,87.50}			
14.	62	छात्राओं को पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण (योजना)			
	मूल	10,20.00}	3,06.08	3,06.08	0.00
	पुनर्वि०	(-)7,13.92}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
15.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 24 झारखंड क्षेत्र के लिये विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 2,64.00}	91.41	91.41	0.00
	पुनर्वि० (-)1,72.59}			
16.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (केन्द्रांश-75:राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 22,50.00}	24.89	24.89	0.00
	पुनर्वि० (-)22,25.11}			
17.	61 कोचिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा (योजना)			
	मूल 95.00}	55.16	55.16	0.00
	पुनर्वि० (-)39.84}			
18.	62 छात्राओं को पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण (योजना)			
	मूल 19,80.00}	12,46.20	12,46.20	0.00
	पुनर्वि० (-)7,33.80}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	2,61.60	2,61.60	0.00
	103 राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
	04 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)	2,61.60	2,61.60	0.00
	मूल 3,13.09}			
	पुनर्वि० (-)57.49}			
20.	05 भाषा विकास	1,02.63	1,02.63	0.00
	103 संस्कृत शिक्षा			
	04 राजकीय संस्कृत विद्यालय (गैर-योजना)	1,02.63	1,02.63	0.00
	मूल 1,61.15}			
	पुनर्वि० (-)58.52}			
21.	05 गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय (गैर-योजना)	2,55.08	2,55.08	0.00
	मूल 3,28.80}			
	पुनर्वि० (-)73.72}			
22.	200 अन्य भाषाओं की शिक्षा	2,04.48	2,04.48	0.00
	05 एस०पी०व्यू०ई०एम० योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के०यो०यो०)			
	मूल 4,08.96}			
	पुनर्वि० (-)2,04.48}			

उपर्युक्त बाईस मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20,00.00} पुनर्वि० (-)20,00.00}	0.00	0.00	0.00
2.	59 जे०सी०ई०आर०टी० की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	0.00	(-)50.00
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 08 विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 42.00}	42.00	0.00	(-)42.00
4.	24 सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 1,36.00} पुनर्वि० (-)1,36.00}	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	36	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	6,80.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)6,80.00}		
6.	796 59	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (योजना)		
	मूल	12,00.00}	12,00.00	0.00
				(-)12,00.00
7.	36	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (केन्द्रांश-50 : राज्यांश-50) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	13,20.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)13,20.00}		
8.	45	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना (केन्द्रांश-90 : राज्यांश-10) (के०प्रा०यो०)		
	अनुपूरक	29,29.90}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)29,29.90}		
9.	59	जे०सी०ई०आर०टी० की स्थापना (योजना)		
	मूल	33.00}	33.00	0.00
				(-)33.00

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
10.	05 भाषा विकास			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	05 एस०पी०क्यू०ई०एम० योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 4,18.71}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,18.71}			

भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 4,18.71 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,64.94 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,64.94 लाख) से ₹ 2,00.00 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
	202 माध्यमिक शिक्षा			
	46 इन्दिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	16.65	16.65	0.00
	पुनर्वि० (-)1,33.35}			
2.	47 राज्य में बी०एड० कॉलेजों का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,25.00}	23.53	23.53	0.00
	पुनर्वि० (-)2,01.47}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	47	राज्य में बी०एड० कॉलेजों का निर्माण (योजना)		
	मूल	75.00}	49.88	49.88
	पुनर्वि०	(-25.12}		0.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,33.35 लाख, ₹ 2,01.47 लाख एवं ₹ 25.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	01	सामान्य शिक्षा		
1.	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	46	इन्दिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण (योजना)		
	मूल	50.00}	50.00	0.00
				(-)50.00
2.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		
	47	राज्य में बी०एड० कॉलेजों का निर्माण (योजना)		
	मूल	1,50.00}	1,50.00	0.00
				(-)1,50.00

उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2202 सामान्य शिक्षा			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	60,31,98,18}	64,80,12,74	44,71,64,47	(-)20,08,48,27
अनुपूरक	4,48,14,56}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				13,39,16,88

पूंजी :

मूल	15,00,00}	15,00,00	5,47,34	(-)9,52,66
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				9,52,66

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 20,08,48.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 2,45,61.58 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 2,02,52.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,48,14.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 19,39,16.88 लाख), अंतिम बचत (₹ 20,08,48.27 लाख) से ₹ 69,31.39 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 53-कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे०ई०पी०सी० को अनुदान (योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, 53-कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे०ई०पी०सी० का अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,00.00 लाख एवं ₹ 1,30.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 24,40.00 लाख एवं ₹ 26,23.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,06.47} पुनर्वि० (-)62.61}	1,43.86	1,43.86	0.00

₹ 62.61 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।

2.	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 23,10,64.40} पुनर्वि० (-)3,91,53.60}	19,19,10.80	19,18,93.94	(-)16.86

₹ 3,91,53.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 81,53.60 लाख की बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 3,10,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

3.	03 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,56,50.00} पुनर्वि० (-)49,26.08}	1,07,23.92	1,07,23.92	0.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	15 सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (योजना)			
	मूल 10,00.00}	9,60.15	9,60.15	0.00
	अनुपूरक 10,00.00}			
	पुनर्वि० (-)10,39.85}			
5.	24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,60.00}	2,07.18	2,07.18	0.00
	पुनर्वि० (-)52.82}			
6.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 19,00.00}	16,99.82	16,99.82	0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.18}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 49,26.08 लाख, ₹ 10,39.85 लाख, ₹ 52.82 लाख एवं ₹ 2,00.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
7.	46 उर्दू शिक्षकों का वेतन (योजना)			
	मूल 40.00}	9,74.97	9,72.74	(-)2.23
	पुनर्वि० 9,34.97}			

₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि एवं ₹ 2,65.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
8.	47 व्यस्क/अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों का वेतन (योजना)			
	मूल 3,60.00}	2,89.90	2,89.90	0.00
	पुनर्वि० (-)70.10}			
₹ 70.10 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।				
9.	50 गरीबी रेखा के उपर के बालकों को निःशुल्क पोषाक वितरण (योजना)			
	मूल 11,20.00}	9,94.34	9,94.34	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.66}			
10.	51 मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (योजना)			
	मूल 9,60.00}	6,21.53	5,84.27	(-)37.26
	पुनर्वि० (-)3,38.47}			
11.	56 मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत अतिरिक्त राज्य सहायता हेतु एम०डी०एम० प्राधिकरण को अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00}	14,50.66	8,50.66	(-)6,00.00
	पुनर्वि० (-)5,49.34}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,25.66 लाख, ₹ 3,38.47 लाख एवं ₹ 5,49.34 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। क्रम संख्या 10 एवं 11 के अन्तर्गत ₹ 37.26 लाख एवं ₹ 6,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
12.	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 02 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 2,45,61.58}	1,55,90.04	1,55,90.04	0.00
	अनुपूरक 2,45,61.58}			
	पुनर्वि० (-)3,35,33.12}			
13.	104 निरीक्षण 01 निरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 54,74.45}	42,63.78	42,54.91	(-)8.87
	पुनर्वि० (-)12,10.67}			
14.	105 अनौपचारिक शिक्षा 04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}	89.25	89.25	0.00
	पुनर्वि० (-)2,10.75}			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 3,35,33.12 लाख, ₹ 12,10.67 लाख एवं ₹ 2,10.75 लाख की प्रत्याशित बचत एवं क्रम संख्या 13 के अन्तर्गत ₹ 8.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
15.	107 अध्यापक प्रशिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 14,50.28}	10,96.78	10,96.78	0.00
	पुनर्वि० (-)3,53.50}			

₹ 3,53.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
16.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,60.00}	46.23	45.24	(-)0.99
	पुनर्वि० (-)3,13.77}			

₹ 3,13.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

17.	42 डायट (योजना)			
	मूल 1,20.00}	18.65	13.65	(-)5.00
	पुनर्वि० (-)1,01.35}			

₹ 1,01.35 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

18.	111 सर्व शिक्षा अभियान 25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,19,37.75}	3,17,41.53	3,17,41.53	0.00
	पुनर्वि० (-)4,01,96.22}			

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के फंडिंग पैटर्न में बदलाव किये जाने एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोगना प्रक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश की कम आवश्यकता के कारण ₹ 7,93.39 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 3,94,02.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

19.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,75,61.64}	1,96,18.00	1,96,18.00	0.00
	पुनर्वि० (-)79,43.64}			

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकार, सर्व शिक्षा अभियान एवं झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण प्रक्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश की कम आवश्यकता के कारण ₹ 15,41.06 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी ₹ 52,02.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
20.	49 महिला समाख्या को सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,00.00}	1,51.93	1,51.93	0.00
	पुनर्वि० (-)4,48.07}			
21.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 59,44.50}	35,08.49	35,08.49	0.00
	पुनर्वि० (-)24,36.01}			
22.	04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	40.43	40.43	0.00
	पुनर्वि० (-)59.57}			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 4,48.07 लाख, ₹ 24,36.01 लाख एवं ₹ 59.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
23.	15 सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (योजना)			
	मूल 4,25.00}	4,08.05	4,08.05	0.00
	अनुपूरक 4,25.00}			
	पुनर्वि० (-)4,41.95}			

₹ 4,41.95 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
24.	22 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिये खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	80.53	80.53	0.00
	पुनर्वि० (-)99.47}			
25.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,30,79.58}	82,23.08	82,23.08	0.00
	पुनर्वि० (-)48,56.50}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 99.47 लाख एवं ₹ 48,56.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
26.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,17,13.70}	75,99.00	75,99.00	0.00
	पुनर्वि० (-)41,14.70}			
<p>सर्व शिक्षा अभियान एवं झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण प्रक्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप निधि की कम आवश्यकता के कारण ₹ 9,13.18 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 31,01.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
27.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,80.00}	6,44.62	6,44.62	0.00
	पुनर्वि० (-)8,35.38}			

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
28.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,53.00}	24.14	18.14	(-)6.00
	पुनर्वि० (-)1,28.86}			
29.	49 महिला समाख्या को सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,55.00}	38.54	38.54	0.00
	पुनर्वि० (-)2,16.46}			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 8,35.38 लाख, ₹ 1,28.86 लाख एवं ₹ 2,16.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
30.	50 गरीबी रेखा के उपर के बालकों को निःशुल्क पोषाक वितरण (योजना)			
	मूल 4,76.00}	2,23.28	2,23.28	0.00
	पुनर्वि० (-)2,52.72}			
31.	51 मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (योजना)			
	मूल 4,08.00}	1,09.84	1,09.84	0.00
	पुनर्वि० (-)2,98.16}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,52.72 लाख एवं ₹ 2,98.16 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।</p>				
32.	53 कस्तुरबा गाँधी विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे०ई०पी०सी० को अनुदान (योजना)			
	मूल 10,37.00}	8,75.17	8,75.17	0.00
	पुनर्वि० (-)1,61.83}			

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
33.	56 मध्याह्न योजना अन्तर्गत अतिरिक्त राज्य सहायता हेतु एम०डी०एम० प्राधिकरण को अनुदान (योजना)			
	मूल 8,50.00}	6,16.53	3,61.53	(-)2,55.00
	पुनर्वि० (-)2,33.47}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,61.83 लाख एवं ₹ 2,33.47 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। क्रम संख्या 33 के अन्तर्गत ₹ 2,55.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

34.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,65,75.50}	62,31.09	62,31.09	0.00
	पुनर्वि० (-)1,03,44.41}			
35.	04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,00.00}	65.08	65.08	0.00
	पुनर्वि० (-)3,34.92}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,03,44.41 लाख एवं ₹ 3,34.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
36.	15 सामान्य एवं पिछड़ी जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (योजना)			
	मूल 10,75.00}	10,11.03	10,11.03	0.00
	अनुपूरक 10,75.00}			
	पुनर्वि० (-)11,38.97}			

₹ 11,38.97 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।

37.	24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,10.00}	1,35.39	1,35.39	0.00
	पुनर्वि० (-)1,74.61}			
38.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,57,78.57}	1,58,98.70	1,58,98.70	0.00
	पुनर्वि० (-)2,98,79.87}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,74.61 लाख एवं ₹ 2,98,79.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

39.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान			
	मूल 2,96,28.76}	2,05,00.00	2,05,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)91,28.76}			

सर्व शिक्षा अभियान एवं झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण प्रक्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश की कम आवश्यकता के कारण ₹ 16,09.27 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 63,19.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
40.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न के मूल्य उठाव हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 21,70.00}	10,91.85	10,91.85	0.00
	पुनर्वि० (-)10,78.15}			
41.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,87.00}	37.57	33.59	(-)3.98
	पुनर्वि० (-)3,49.43}			
42.	42 डायट (योजना)			
	मूल 1,29.00}	67.70	66.18	(-)1.52
	पुनर्वि० (-)61.30}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 10,78.15 लाख, ₹ 3,49.43 लाख एवं ₹ 61.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

43.	44 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (योजना)			
	मूल 1,72.00}	1,11.38	1,11.38	0.00
	पुनर्वि० (-)60.62}			

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण प्रक्षेत्र हेतु कम निधि विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश की कम आवश्यकता के कारण ₹ 60.62 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई।

44.	46 उर्दू शिक्षकों का वेतन (योजना)			
	मूल 43.00}	8,43.40	8,30.88	(-)12.52
	पुनर्वि० 8,00.40}			

₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि, ₹ 3,99.60 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 12.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
45.	48 शैक्षणिक विकास हेतु सहायता अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहाय्य अनुदान (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,16.00}	1,96.61	1,96.61	0.00
	पुनर्वि० (-)3,19.39}			
<p>सर्व शिक्षा अभियान हेतु फंडिंग पैटर्न में बदलाव किये जाने तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना प्रक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश की कम आवश्यकता के कारण ₹ 1,63.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 1,55.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
46.	49 महिला समाख्या को सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,45.00}	67.37	67.37	0.00
	पुनर्वि० (-)5,77.63}			
<p>₹ 5,77.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
47.	50 गरीबी रेखा के उपर के बालकों को निःशुल्क पोशाक वितरण (योजना)			
	मूल 12,04.00}	5,71.38	5,71.38	0.00
	पुनर्वि० (-)6,32.62}			
48.	51 मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (योजना)			
	मूल 10,32.00}	8,71.75	8,66.09	(-)5.66
	पुनर्वि० (-)1,60.25}			

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
49.	56 मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत अतिरिक्त राज्य सहायता हेतु एम०डी०एम० प्राधिकरण को अनुदान (योजना)			
	मूल 21,50.00}	15,59.46	9,75.08	(-)5,84.38
	पुनर्वि० (-)5,90.54}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 6,32.62 लाख, ₹ 1,60.25 लाख एवं ₹ 5,90.54 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। क्रम सं० 48 एवं 49 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 5.66 लाख एवं ₹ 5,84.38 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,30.00}	14,30.00	0.00	(-)14,30.00
2.	05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,80.00}	3,80.00	0.00	(-)3,80.00
3.	07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	0.00	(-)4,00.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	789 05	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)		
	मूल	6,00.00}	6,00.00	0.00
				(-)6,00.00
5.	07	बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)		
	मूल	1,70.00}	1,70.00	0.00
				(-)1,70.00
6.	42	डायट (योजना)		
	मूल	51.00}	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)51.00}		
7.	796 05	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)		
	मूल	15,50.00}	15,50.00	0.00
				(-)15,50.00
8.	05	स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (योजना)		
	मूल	4,20.00}	4,20.00	0.00
				(-)4,20.00
9.	07	बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)		
	मूल	4,30.00}	4,30.00	0.00
				(-)4,30.00

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 59 - क्रमांत

पूँजी :

(v) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक को) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 सामान्य शिक्षा			
1.	201 प्रारंभिक शिक्षा			
	01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 6,00.00}	1,37.86	1,37.86	0.00
	पुनर्वि० (-)4,62.14}			
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,55.00}	1,27.06	1,27.06	0.00
	पुनर्वि० (-)1,27.94}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 6,45.00}	2,82.43	2,82.43	0.00
	पुनर्वि० (-)3,62.57}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 4,62.14 लाख, ₹ 1,27.94 लाख एवं ₹ 3,62.57 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2236	पोषण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	18,14,38,36}	29,75,50,15	18,68,37,41	(-)11,07,12,74
अनूपूरक	11,61,11,79}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 10,81,22,89

पूंजी :

मूल	2,54,00,00}	2,54,00,00	88,80,32	(-)1,65,19,68
अनूपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2016) 1,65,19,68

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 11,07,12.74 लाख की वृहद अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2015 (₹ 9,87,82.82 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,29,52.80 लाख) एवं फरवरी 2016 (₹ 43,76.17 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,61,11.79 लाख का अनूपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,81,22.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,07,12.74 लाख) से ₹ 25,89.85 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

- (iii) शीर्ष 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 102-बाल कल्याण, 97-मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 36-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना), 03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 14-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना), 17-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 14-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना), 17-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना), 2236-पोषण, 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण, 101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना) एवं 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,53.63 लाख, ₹ 1,84.50 लाख, ₹ 1,89.13 लाख, ₹ 2,07.75 लाख, ₹ 1,53.45 लाख, ₹ 2,65.99 लाख, ₹ 4,63.48 लाख एवं ₹ 1,10.97 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 50,00.00 लाख, ₹ 19,20.00 लाख, ₹ 27,98.85 लाख, ₹ 27,98.85 लाख, ₹ 30,73.87 लाख, ₹ 32,75.07 लाख, ₹ 1,51,99.00 लाख एवं ₹ 40,78.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 001 निदेशन और प्रशासन 01 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 1,98.48}	1,44.61	1,44.61	0.00
	पुनर्वि० (-)53.87}			
2.	101 विकालंग व्यक्तियों का कल्याण 03 मूक एवं बधिर विद्यालय तथा कर्मशाला (गैर-योजना)			
	मूल 95.26}	54.05	54.05	0.00
	पुनर्वि० (-)41.21}			
3.	18 स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना (योजना)			
	मूल 41,00.00}	68,21.44	67,12.54	(-)1,08.90
	अनुपूरक 34,87.00}			
	पुनर्वि० (-)7,65.56}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 53.87 लाख एवं ₹ 41.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

₹ 8,74.46 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	102 बाल कल्याण 47 मेडिसीन किट्स (योजना)			
	मूल 1,61.00}	1,07.00	1,07.00	0.00
	पुनर्वि० (-)54.00}			
5.	48 स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (योजना)			
	मूल 4,81.00}	3,20.00	3,20.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,61.00}			
6.	49 प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (योजना)			
	मूल 2,23.00}	19.73	19.73	0.00
	पुनर्वि० (-)2,03.27}			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 54.00 लाख, ₹ 1,61.00 लाख एवं ₹ 2,03.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।</p>				
7.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,06,09.00}	97,24.83	97,19.16	(-)5.67
	पुनर्वि० (-)1,08,84.17}			
8.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (योजना)			
	मूल 22,90.00}	35,28.39	34,19.61	(-)1,08.78
	अनुपूरक 53,00.00}			
	पुनर्वि० (-)40,61.61}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,08,89.84 लाख एवं ₹ 41,70.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	53 प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,67.00}	65.14	65.14	0.00
	पुनर्वि० (-)1,01.86}			
10.	53 प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (योजना)			
	मूल 19.00}	79.96	79.96	0.00
	अनुपूरक 98.10}			
	पुनर्वि० (-)37.14}			
11.	55 किशोरी शक्ति योजना (के०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 65.00}	24.90	24.90	0.00
	पुनर्वि० (-)40.10}			
12.	58 किशोरी बालिकाओं के लिए सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना (सबला)-नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,97.00}	67.43	67.43	0.00
	पुनर्वि० (-)1,29.57}			
13.	88 विश्व बैंक सम्पोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,00.00}	22.92	21.46	(-)1.46
	पुनर्वि० (-)11,77.08}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	88 विश्व बैंक सम्पोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (योजना)			
	मूल 1,33.00}	1.12	1.12	0.00
	पुनर्वि० (-)1,31.88}			
15.	93 राज्य पोषण मिशन अन्तर्गत सामाजिक गतिशिलता (योजना)			
	मूल 41.00}	31.00	31.00	0.00
	अनुपूरक 31.00}			
	पुनर्वि० (-)41.00}			
16.	ए 1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 65.00}	4.73	4.73	0.00
	पुनर्वि० (-)60.27}			
17.	103 महिला कल्याण 28 आंगनवाड़ी सेविकाओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना)			
	मूल 33,60.00}	22,00.34	22,00.34	0.00
	पुनर्वि० (-)11,59.66}			
18.	36 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना)			
	मूल 16,40.00}	12,86.20	12,86.20	0.00
	पुनर्वि० (-)3,53.80}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	75 आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,92.00}	1,38.78	1,38.78	0.00
	पुनर्वि० (-)53.22}			
20.	75 आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (योजना)			
	मूल 64.00}	67.31	67.31	0.00
	अनुपूरक 38.00}			
	पुनर्वि० (-)34.69}			
21.	79 आँगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (90 : 10) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,25.00}	83.00	83.00	0.00
	पुनर्वि० (-)42.00}			
22.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (75 : 25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 8,64.00}	1,44.32	1,44.32	0.00
	पुनर्वि० (-)7,19.68}			
23.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (75 : 25) (योजना)			
	मूल 2,88.00}	1,25.53	1,25.53	0.00
	अनुपूरक 1,74.00}			
	पुनर्वि० (-)3,36.47}			

उपर्युक्त पन्द्रह मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
24.	98 आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के लिये जीवन ज्योति बीमा योजना			
	अनुपूरक 1,19.00}	93.94	78.97	(-)14.97
	पुनर्वि० (-)25.06}			
₹ 40.03 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
25.	106 सुधारक सेवाएं 01 किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समितियों एवं विकलांगता से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों के बैठक भत्ता/मानदेय तथा रिमाण्ड होम के अंतःवासियों के लिये परिवहन (गैर-योजना)			
	मूल 92.00}	51.23	51.23	0.00
	पुनर्वि० (-)40.77}			
26.	39 प्रतिप्रेक्षण गृह (गैर-योजना)			
	मूल 2,21.51}	1,87.51	1,87.51	0.00
	पुनर्वि० (-)34.00}			
27.	39 प्रतिप्रेक्षण गृह (योजना)			
	मूल 53.00}	42.22	42.22	0.00
	अनुपूरक 20.00}			
	पुनर्वि० (-)30.78}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 40.77 लाख, ₹ 34.00 लाख एवं ₹ 30.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
28.	789 18	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)		
	मूल 11,00.00}	11,87.70	11,36.03	(-)51.67
	अनुपूरक 2,81.00}			
	पुनर्वि० (-)1,93.30}			

₹ 2,44.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

29.	36	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना)		
	मूल 4,40.00}	3,21.80	3,21.75	(-)0.05
	पुनर्वि० (-)1,18.20}			
30.	57	इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०प्रा०यो०)		
	मूल 1,54.00}	18.88	18.88	0.00
	पुनर्वि० (-)1,35.12}			
31.	58	किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०यो०यो०)		
	मूल 53.00}	15.20	15.20	0.00
	पुनर्वि० (-)37.80}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,18.20 लाख, ₹ 1,35.12 लाख एवं ₹ 37.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

32.	796 18	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)		
	मूल 48,00.00}	40,54.53	40,49.11	(-)5.42
	पुनर्वि० (-)7,45.47}			

₹ 7,50.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
33.	28 आंगनबाड़ी सेविकाओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना)			
	मूल 36,40.00}	22,96.38	22,96.38	0.00
	पुनर्वि० (-)13,43.62}			
34.	31 समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (योजना)			
	मूल 70.00}	31.55	31.55	0.00
	पुनर्वि० (-)38.45}			
35.	32 आयुक्त निःशक्तता के लिये कार्यालय की स्थापना (योजना)			
	मूल 60.00}	18.19	18.19	0.00
	पुनर्वि० (-)41.81}			
36.	40 प्रतिप्रेक्षण गृह का संचालन (योजना)			
	मूल 57.00}	34.73	34.33	(-)0.40
	अनुपूरक 25.00}			
	पुनर्वि० (-)47.27}			
37.	47 मेडिसीन किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,74.00}	1,16.00	1,16.00	0.00
	पुनर्वि० (-)58.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
38.	48 स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (10 प्रतिशत राज्यांश) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,22.00}	3,48.00	3,48.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,74.00}			
39.	49 प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,42.00}	29.51	29.51	0.00
	पुनर्वि० (-)2,12.49}			
40.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,23,27.00}	1,18,96.18	1,18,94.01	(-)2.17
	पुनर्वि० (-)1,04,30.82}			
41.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (योजना)			
	मूल 24,80.00}	39,09.33	39,05.54	(-)3.79
	अनुपूरक 59,30.00}			
	पुनर्वि० (-)45,00.67}			
42.	52 आफ्टर केयर होम का संचालन (योजना)			
	मूल 50.00}	15.00	15.00	0.00
	पुनर्वि० (-)35.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
43.	53 प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	1,61.02	1,61.02	0.00
	अनुपूरक 43.10}			
	पुनर्वि० (-)62.08}			
44.	53 प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (योजना)			
	मूल 20.00}	18.04	18.04	0.00
	अनुपूरक 60.00}			
	पुनर्वि० (-)61.96}			
45.	55 किशोरी शक्ति योजना (के०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 77.00}	33.15	33.15	0.00
	पुनर्वि० (-)43.85}			
46.	57 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,46.00}	2,29.82	2,29.82	0.00
	पुनर्वि० (-)10,16.18}			
47.	58 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 2,30.00}	71.13	71.13	0.00
	पुनर्वि० (-)1,58.87}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
48.	75 आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोषाक (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,08.00}	1,57.62	1,57.62	0.00
	पुनर्वि० (-)50.38}			
49.	79 आँगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (90 : 10) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,35.00}	90.00	90.00	0.00
	पुनर्वि० (-)45.00}			
50.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एम०) (75 : 25) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,36.00}	2,43.10	2,43.10	0.00
	पुनर्वि० (-)6,92.90}			
51.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (75 : 25) (योजना)			
	मूल 3,12.00}	1,23.43	1,23.43	0.00
	अनुपूरक 1,86.00}			
	पुनर्वि० (-)3,74.57}			
52.	88 विश्व बैंक सम्पोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (के०प्रा०यो०)			
	मूल 11,00.00}	33.98	33.98	0.00
	पुनर्वि० (-)10,66.02}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
53.	88 विश्व बैंक संपोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (योजना)			
	मूल 1,23.00}	5.37	5.37	0.00
	पुनर्वि० (-)1,17.63}			
54.	93 राज्य पोषण मिशन अन्तर्गत सामाजिक गतिशिलता (योजना)			
	मूल 48.00}	58.00	58.00	0.00
	अनुपूरक 58.00}			
	पुनर्वि० (-)48.00}			
उपर्युक्त बाइस मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
55.	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 11 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 68,05.56}	59,20.20	52,24.94	(-)6,95.26
	पुनर्वि० (-)8,85.36}			
₹ 15,80.62 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
56.	12 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 1,14,93.04}	93,53.67	93,53.31	(-)0.36
	पुनर्वि० (-)21,39.37}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
57.	13 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 76,93.18}	40,57.80	40,57.80	0.00
	पुनर्वि० (-)36,35.38}			
58.	15 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 3,32.94}	1,57.87	1,57.87	0.00
	पुनर्वि० (-)1,75.07}			
59.	16 आदिम जनजाति समुहों के लिये पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 23,40.00}	45.26	45.26	0.00
	पुनर्वि० (-)22,94.74}			
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
60.	18 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 3,33.07}	1,69.41	1,57.87	(-)11.54
	पुनर्वि० (-)1,63.66}			
61.	102 राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना			
	19 राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 10,71.10}	7,19.85	3,86.30	(-)3,33.55
	पुनर्वि० (-)3,51.25}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
62.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 11 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 28,11.09} पुनर्वि० (-)5,97.30}	22,13.79	21,72.76	(-)41.03
63.	12 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 46,29.65} पुनर्वि० (-)13,60.59}	32,69.06	32,51.58	(-)17.48
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
64.	13 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 27,70.46} पुनर्वि० (-)14,57.70}	13,12.76	13,12.76	0.00
65.	14 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 11,08.01} पुनर्वि० (-)1,49.67}	9,58.34	9,56.38	(-)1.96
66.	15 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 1,68.06} पुनर्वि० (-)1,21.35}	46.71	46.70	(-)0.01

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
67.	18 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 1,68.89}	46.72	46.72	0.00
	पुनर्वि० (-)1,22.17}			
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
68.	19 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 3,99.00}	2,59.15	2,32.10	(-)27.05
	पुनर्वि० (-)1,39.85}			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
69.	11 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 77,01.31}	62,12.71	59,38.97	(-)2,73.74
	पुनर्वि० (-)14,88.60}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,66.90 लाख एवं ₹ 17,62.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
70.	12 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 1,23,64.34}	1,00,49.65	1,00,49.05	(-)0.60
	पुनर्वि० (-)23,14.69}			
71.	13 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 80,97.29}	44,71.66	44,70.22	(-)1.44
	पुनर्वि० (-)36,25.63}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
72.	15 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 4,67.97}	1,50.47	1,50.47	0.00
	पुनर्वि० (-)3,17.50}			
73.	16 आदिम जनजाति समुहों के लिये पेंशन योजना (योजना)			
	अनुपूरक 23,31.58}	3,78.74	3,78.74	0.00
	पुनर्वि० (-)19,52.84}			
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
74.	18 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 4,78.06}	2,27.93	1,50.32	(-)77.61
	पुनर्वि० (-)2,50.13}			
75.	19 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 11,92.30}	7,87.50	5,13.70	(-)2,73.80
	पुनर्वि० (-)4,04.80}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,27.74 लाख एवं ₹ 6,78.60 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	2236 पोषण			
	02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
	101 विशेष पोषण कार्यक्रम			
76.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,51,99.00}	86,81.75	86,81.75	0.00
	पुनर्वि० (-)65,17.25}			
77.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,30.00}	3,71.02	3,71.02	0.00
	पुनर्वि० (-)8,58.98}			
78.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (योजना)			
	मूल 12,30.00}	4,63.71	4,63.71	0.00
	पुनर्वि० (-)7,66.29}			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
79.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40,78.00}	23,11.39	23,11.39	0.00
	पुनर्वि० (-)17,66.61}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
80.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,30.00}	1,01.00	1,01.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,29.00}			
81.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (योजना)			
	मूल 3,30.00}	94.77	94.77	0.00
	पुनर्वि० (-)2,35.23}			
82.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,77,93.00}	1,03,10.37	1,03,10.37	0.00
	पुनर्वि० (-)74,82.63}			
83.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,40.00}	4,85.35	4,85.35	0.00
	पुनर्वि० (-)9,54.65}			
84.	05 किशोरी बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)-नई योजना (योजना)			
	मूल 14,40.00}	3,06.28	3,06.28	0.00
	पुनर्वि० (-)11,33.72}			

उपर्युक्त नौ मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
85.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 09 समाज कल्याण (योजना)			
	मूल 2,44.54}	2,09.93	2,09.93	0.00
	अनुपूरक 0.57}			
	पुनर्वि० (-)35.18}			

₹ 35.18 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 94 आदर्श आँगनबाड़ी केन्द्र (योजना)			
	मूल 78.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)78.00}			
2.	103 महिला कल्याण 26 हेल्पलाइन योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 44.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)44.00}			
3.	71 जीवन आशा (योजना)			
	मूल 1,82.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,82.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना (योजना)			
	मूल 4,10.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,10.00}			
5.	92 नारी उत्थान कोष (योजना)			
	मूल 82.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)82.00}			
6.	106 सुधारक सेवाएं 96 समेकित बाल विकास योजना (सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 65,46.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)65,46.00}			
7.	96 समेकित बाल विकास योजना (सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन) (योजना)			
	मूल 15,14.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15,14.00}			
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 71 जीवन आशा (योजना)			
	मूल 49.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)49.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
9.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना (योजना)			
	मूल 1,10.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,10.00}			
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 62 राज्य परियोजना सहायक इकाई (के०यो०यो०)			
	मूल 48.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)48.00}			
11.	65 स्वधार गृह योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 31.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)31.00}			
12.	67 किशोरी बालिकाओं तथा धाइयों को एंटी ट्रैफिकिंग से बचाव हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)50.00}			
13.	71 जीवन आशा (योजना)			
	मूल 2,13.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)2,13.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
14.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम योजना (योजना)			
	मूल 4,80.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)4,80.00}			
उपर्युक्त चौदह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।				
15.	91 पूर्ण शक्ति केन्द्र की स्थापना (पी०एस०के०) (महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत) (के०यो०यो०)			
	मूल 41.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)41.00}			
केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 41.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
16.	92 नारी उत्थान कोष (योजना)			
	मूल 96.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)96.00}			
17.	94 आदर्श आँगनवाड़ी केन्द्र (योजना)			
	मूल 91.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)91.00}			
18.	96 समेकित बाल विकास योजना (सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 70,91.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70,91.00}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
19.	96 समेकित बाल विकास योजना (सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन) (योजना)			
	मूल 16,40.00}	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)16,40.00}			

उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102 सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन			
10 वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)			
अनुपूरक 9,59.64}	4,13.21	5,24.04	+1,10.83
पुनर्वि० (-)5,46.43}			

₹ 4,35.60 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

पूँजी :

(vi) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
1.	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 02 समाज कल्याण 103 महिला कल्याण 71 बेसहारा, परित्यक्त एवं तिरस्कृत महिलाओं के लिये नारी निकेतन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र/अल्पकालीन गृह का निर्माण (योजना)	43.70	43.70	0.00
	मूल 96.00} पुनर्वि० (-)52.30}			
2.	73 समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण/अनुरक्षण/उन्नयन (के०प्रा०यो०)	23,04.00	23,04.00	0.00
	मूल 86,40.00} पुनर्वि० (-)63,36.00}			
3.	73 समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण/अनुरक्षण/उन्नयन (योजना)	15,36.00	15,36.00	0.00
	मूल 28,80.00} पुनर्वि० (-)13,44.00}			
4.	106 सुधारक सेवाएं 69 ओल्ड एज होम का निर्माण (योजना)	3,77.58	3,77.58	0.00
	मूल 5,00.00} पुनर्वि० (-)1,22.42}			

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 69 ओल्ड एज होम का निर्माण (योजना)			
	मूल 5,00.00} पुनर्वि० (-)84.66}	4,15.34	4,15.34	0.00
6.	71 बेसहारा, परित्यक्त एवं तिरस्कृत महिलाओं के लिये नारी निकेतन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र/ अल्पकालीन गृह का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,04.00} पुनर्वि० (-)60.30}	43.70	43.70	0.00
7.	73 समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/अनुरक्षण/उन्नयन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 93,60.00} पुनर्वि० (-)68,64.00}	24,96.00	24,96.00	0.00
8.	73 समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/अनुरक्षण/उन्नयन (योजना)			
	मूल 31,20.00} पुनर्वि० (-)14,56.00}	16,64.00	16,64.00	0.00

उपर्युक्त आठ मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
1.	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	02	समाज कल्याण			
	102	बाल कल्याण			
	72	प्रतिप्रेक्षण गृह का निर्माण (योजना)			
	मूल 96.00}	0.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि० (-)96.00}				
1.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	72	प्रतिप्रेक्षण गृह का निर्माण (योजना)			
		मूल 1,04.00}	0.00	0.00	0.00
		पुनर्वि० (-)1,04.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 96.00 लाख एवं ₹ 1,04.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या XVI पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक (+)/कमी (-)	
1	2	3	4	
		(₹ हजार में)		
03- भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	30,00	00	(-)30,00
12 - योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	14,39,63	00	(-)14,39,63
38- राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (निबंधन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	10,00	00	(-)10,00
39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	00	5,12,00,87	+5,12,00,87
56 - ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	1,00,00	00	(-)1,00,00
जोड़ :	राजस्व दत्तमत	40,00	5,12,00,87	+5,11,60,87
	पूंजी दत्तमत	15,39,63	00	(-)15,39,63
कुल जोड़ :	राजस्व	40,00	5,12,00,87	+5,11,60,87
	पूंजी	15,39,63	00	(-)15,39,63

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2016

www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in